द्वितीय माला, खण्ड ५५—अंक ५३

मंगलवार, २५ अप्रैल, १९६१
५ वैशाख १८८३ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(तेरहवां सत्र)

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

(खण्ड ५५ में अंक ५१ से अंक ६१ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

द्वितीय माला, खंड ५५---अंक ५१ से ६१---२२ अप्रैल से ५ मई, १९६१/२ से १५ वैशाख १८८३ (शक)

पृष्ठ

अंक ५१---शनिवार, २२ अप्रैल, १९६१/२ वैशाख, १८८३ (शक)

वित्त विधेयक

खण्ड २ से १७, १ तथा प्रथम और द्वितीय अनुसूची . ५९९९--६००३

पारित करने का प्रस्ताव . . ५९८३--६००३

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति---

तिरासीवां प्रतिवेदन . . . ६००४

तेलों के जमाये जाने पर रोक विधेयक (श्री झूलन सिंह का)---

विचार करने का प्रस्ताव ---अस्वीकृत . . ६००४

हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक (धारा १४ का संशोधन) (श्री सुब्बया अम्बलम का) ६००४

विचार करने का प्रस्ताव

परिचालित करने का संशोधन---स्वीकृत . . . ६००४--६००६

अत्यावश्यक पण्य (मूल्यों का निर्धारण, विनियमन तथा नियंत्रण) विधेयक (श्री नारायणन कुट्टि मेनन का) ६००७-१९

विचार करने का प्रस्ताव ---अस्वीकृत . ६००७--१९

अखिल भारतीय घरेलू कर्मचारी विधेयक (श्री बालमीकी का)

विचार करने का प्रस्ताव ६०१९

दैनिक संक्षेपिका . . . ६०२०--२१

अंक---५२ सोमवार, २४ अप्रैल, १९६१
४ वैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या १६८४, १६८५, १६८७, १६८९, १६९१, १६९२, १६९५ से १६९८, १७००, १७०२ से १७०५ और १७०७, १७०८, १७१०, १७०९ और १६९० ६०२३--४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या १६८६, १६८८, १६९३, १६९४, १६९९, १७०१ और १७०६ . . ६०४८--५२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३७२६ से ३७५४, ३७५६ से ३७७३ और ३७७५ से ३७८२ . . . ६०५२--७४

विषय	पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव

१. पूर्व कजोरा कोयला खान में दुर्घटना . . ६०७४–७५

२. रूरकेला में आदिवासी कर्मचारियों की कथित गिरफ्तारी ६०७६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––

बिलासपुर में चावल के लाने ले जाने के लिए वैगन ६०७७–७८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ६०७८

कलकत्ता क्षेत्र में बिजली के बारे में वक्तव्य ६०७८

आय-कर विधेयक ––पुरस्थापित . ६०७९

तार विधियां (संशोधन) विधेयक––

राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधन स्वीकृत हुए . ६०७९–८०

औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक––

राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधन स्वीकृत हुए . . ६०८०–८१

दण्ड विधि संशोधन विधेयक . . ६०८१––६०१३

विचार करने का प्रस्ताव . . ६०८१––६१०१

पारित करने का प्रस्ताव ६१०१––६१०३

भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमों के बारे में प्रस्ताव ६१०३––०८

दैनिक संक्षेपिका . . ६१०९––१४

अंक ५३ मंगलवार, २५ अप्रैल, १९६१/
५ वैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १७११, १७१२, १७१४ से १७१६, १७१९ से १७२१, १७२३ और १७२५ से १७३० . ६११५––३९

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १७१३, १७१७, १७१८, १७२२ और १७२४ ६१३९––४१

अतारांकित प्रश्न संख्या ३७८३ से ३८४५ और ३८४७ से ३८६० ६१४१––७८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ६१७८–७९

भाखड़ा बांध के बिजली घर में दुर्घटना––

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ६१७९–८०

अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (सामान्य) १९५८–५९ के बारे में वक्तव्य––

अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (रेलवेज) १९५८–५९ के बारे में वक्तव्य––

लाभ पदों संबंधी संयुक्त समिति ६१८०

तीसरा प्रतिवेदन––

विषय	पृष्ठ
उड़ीसा राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक	६१८०—८५
राज्य-सभा द्वारा पास किया गया विचार के रूप में . .	६१८०—८४
खंड २, ३, और १	६१८४
पारित करने का प्रस्ताव	१६८४—८५
औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) संशोधन विधेयक .	६१८५—६७
विचार प्रस्ताव .	६१८५—६१
खंड २, ३ और १ .	६१६२
पारित करने का प्रस्ताव . .	६१६२—६७
उड़ीसा अनुदानों की मांगें १६६१–६२ . . .	६१६७—६२०८
इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन तथा एयर-इंडिया इंटरनैशनल कारपोरेशन के वार्षिक प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव	६२०८—२१
उड़ीसा की अनुदान की मांगों के बारे में . .	
दैनिक संक्षेपिका	६२२२—२७

अंक ५४—बुधवार, २६ अप्रैल, १६६१/ ६ बैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७३१, १७३२, १७३७ से १७४३ और १७४५ से १७५०	६२२६—५४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७३३ से १७३६, १७४४ और १७५१ से १७५३	६२५४—५६
अतारांकित प्रश्न संख्या ३८६१ से ३६६६, ३६६८ से ३६७१ और ३६७३ से ३६७६ . . .	६२६०—६३०८
दिनांक २८–३–१६६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २४३७ के उत्तर में शुद्धि	६३०८
स्थगन प्रस्ताव—	
कुछ डाक तथा तार यूनियनों को शिकायतें पेश करने से रोकना	६३०८—११
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .	
उड़ीसा में प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों को नौकरी से निकालना	६३११–१२
सभा पटल पर रखे गये पत्र	६३१२–१३
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
चौरासीवां प्रतिवेदन	६३१३
समिति के द्वारा द्वारा निर्वाचन .	६३१३–१४

विषय	पृष्ठ
१. भारतीय खान स्कूल की प्रशासक परिषद् . . .	६३१३–१४
२. राष्ट्रीय एटलस और भौगोलिक नामों के लिए सलाहकार समिति बोर्ड	६३१४
उड़ीसा की अनुदानों की मांगें —१९६१–६२ . .	६३१४–१६
अत्यावश्यक पण्य (संशोधन) विधेयक	६३१९–२६
विचार करने के लिये प्रस्ताव . .	६३१९–२५
खण्ड १ और २ .	६३२५
पारित करने का प्रस्ताव .	६३२५–२६
विधि व्यवसायी विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	६३२६–३९
दैनिक संक्षेपिका	६३४०–४७

गुरुवार, २७ अप्रैल, १९६१

अंक ५५—

७ वैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७५४ से १७५८, १७६० से १७६३ और १७६६ से १७६९ . .	६३४९–७१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७५९, १७६४ और १७७० से १७७६ .	६३७१–७६
अतारांकित प्रश्न संख्या ३९८० से ५०२६ और ४०२८ से ४०४७	६३७६–६४०२
स्थगन प्रस्ताव—	
कलकत्ता में बिजली का बन्द होना	६४०२–०३
सभा पटल पर रखे गये पत्र	६४०३–०४
प्राक्कलन समिति —	
कार्यवाही का सारांश	६४०४
२२ अप्रैल, १९६१ को पूर्व कजोरा कोयला खान में हुई दुर्घटना के बारे में वक्तव्य	६४०४–०५
सभा का कार्य	६४०५–०६
उड़ीसा विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६१—पुरस्थापित	६४०६
विधि व्यवसाई विधेयक	६४०६–३३
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	६४०६–२०
खंड २, ४ से २३, २५ से २८, ३१ से ५७, ३, २४, २९, ३०, अनुसूची तथा खंड १ .	६४२०–३३
पारित करने का प्रस्ताव .	६४३३–३४

विषय	पृष्ठ
आयकर विधेयक, १९६१ .	६४३४--३९
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . .	६४३४--३९
अशोक होटल में गो मांस परोसे जाने के बारे में आधे घंटे की चर्चा	६४४०--४६
दैनिक संक्षेपिका	६४४७--५१

अंक ५६--शुक्रवार, २८ अप्रैल, १९६१/८ वैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १७७७, १७७८, १७८३ से १७८७, १७८९ से १७९१, १७९३, १७९४ और १७९६ से १७९८	६४५३--७४
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १७७९ से १७८२, १७८८, १७९२ और १७९५ .	६४७५--७८
अतारांकित प्रश्न संख्या ४०४८ से ४१२९, ४१३१ और ४१३२	६४७८--६५१५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
बैसाखी के अवसर पर जमना में डूब कर मरने की घटनायें	६५१५---१६
प्राक्कलन-समिति . .	६५१६--१७
(१) कार्यवाही सारांश	
(२) एक सौ अठतीसवां प्रतिवेदन	
राज्य सभा से संदेश	६५१६
विशेषाधिकार समिति--	
बारहवां प्रतिवेदन .	६५१७
सभा का कार्य . . .	६५१७--१८
कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) संशोधन विधेयक--पुरस्थापित	६५१८
उड़ीसा विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६१--पारित	६५१८--१९
आयकर विधेयक	६५१९--३१
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव .	६ १९--३१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--	
चौरास्सीवां प्रतिवेदन . .	६५३१
धर्म परिवर्तन कर के बौद्ध धर्म स्वीकार करने वालों के बारे में संकल्प--अस्वीकृत	६५३१--४३
व्यक्तिगत आय के बारे में संकल्प	६५४३--४५
दैनिक संक्षेपिका	६५४६--५१

विषय	पृष्ठ
अंक ५७—सोमवार, १ मई, १९६१/११ वैशाख, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७९९, १८००, १८०२, १८०३, १८०५ से १८०८, १८१०, १८११, १८१३ और १८२०	६५५३—७५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १८१०, १८०४, १८०९, १८१२, १८१४ से १८१९ और १८२१ से १८३२	६५७६—८५
अतारांकित प्रश्न संख्या ४१३३ से ४२४० और ४२४२ से ४२४९	६५८५—६६३४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
हावड़ा पुरी एक्सप्रेस की दुर्घटना .	६६३४—३५
कलकत्ते में बिजली की कमी के सम्बन्ध में वक्तव्य के बारे में	६६३५
सभा पटल पर रखे गये पत्र	६६३५—३६
राज्य-सभा से सन्देश	६६३६—३७
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	६६३७
व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में	६६३७
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति—	
चौबीसवां प्रतिवेदन	६६३७—३८
विशेषाधिकार समिति—	
बारहवां प्रतिवेदन	६६३८—३९
आयकर विधेयक, १९६१	६६३९—४३
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव	६६३९—४३
दिल्ली नगरीय क्षेत्र काश्तकार सहायता विधेयक	६६४३—६५
विचार करने का प्रस्ताव	६६४३—६२
खंड २ और तीन	६६६३—६५
दैनिक संक्षेपिका	६६६६—७३
अंक ५८—मंगलवार, २ मई, १९६१/१२ वैशाख, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १८३३ से १८३६, १८३८, १८४० से १८४४ और १८४६ से १८५०	६६७५—९७
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १५	६६९८—६७०२

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १८३७, १८३६, १८४५ और १८५१ से १८५६ .	६७०२--०७
अतारांकित प्रश्न संख्या ४२६० से ४३२६	६७०७--४१
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
अंगुल परगने के लोगों से "वैद्यकरण शुल्क" की वसूली	६७४१--४२
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में--	
न्यू एज में प्रकाशित कुछ बातें	६७४२-४३
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	६७४३--४५
भारती रेलवे (संशोधन) विधेयक--पुरस्थापित . .	६७४५
दिल्ली (नगरीय-क्षेत्र) काश्तकार सहायता विधेयक	६७४६--४६
खंड ३ से ६ और १	६७४६-४७
पारित करने का प्रस्ताव . .	६७४७--४६
भारतीय बंडलों पर निशान लगाना (संशोधन) विधेयक .	६७४६-५०
विचार करने का प्रस्ताव	६७४६-५०
खंड १ और २ .	६७४६-५०
पारित करने का प्रस्ताव .	६७५०
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) १६५८-५६	६७५०--५८
विनियोग (संख्या ३) विधेयक १६६१--पारित	६७५८-५६
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) १६५८-५६	६७५६-६०
विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक १६६१--पारित	६७६१--६३
कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) संशोधन विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव . . .	६७६३--६७
भारतीय श्रम सम्मेलन के सत्रवें और अठारहवें अधिवेशन के बारे में प्रस्ताव .	६७६८--७५
दैनिक संक्षेपिका	६७७६--८२

अंक ५६--बुधवार, ३ मई, १६६१/१३ बैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १८६० से १८६४, १८६६, १८६८, १८७१ से १८७४, १८७६ से १८७६ और १८८२ .	६७८४--६८०७

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १८६५, १८६७, १८६६, १८७०, १८७५, १८८०, १८८१ और १८८३ से १८६८	६८०७–१६
अतारांकित प्रश्न संख्या ४३२७ से ४३३५, ४३३७ से ४४६५, ४४६५-क, ४४६५-ख, ४४६५-ग और ४४६५-घ	६८१७–७८
स्थगन प्रस्ताव—	
भारतीय विमान बल के डकोटा विमान का लापता होना	६८७६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
भारतीय ब्रिटिश और यूरोपीय नौवहन समवायों के बीच मिल जुल कर काम करने की व्यवस्था	६८७६–८०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	६८८०—८४
अनुपस्थिति की अनुमति	६८८४–८५
सदस्य की गिरफ्तारी	६८८५
कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) संशोधन विधेयक	६८८५–६७
विचार करने का प्रस्ताव	६८८५—६३
खंड २ से ५ तथा १	६८६३–६४
पारित करने का प्रस्ताव	६८६४—६७
दिल्ली दुकान तथा संस्थान (संशोधन) विधेयक	६८६७—६६१६
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	६८६७—६६१७
खंड २ से ५ तथा १	६६१७—१६
पारित करने का प्रस्ताव	६६१६
सालारजंग संग्रहालय विधेयक	६६१६–२०
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	
भाखरा नंगल परियोजना के बारे में आधे घंटे की चर्चा	६६२०–२१
दैनिक संक्षेपिका	६६२२—३०

अंक ६० गुरुवार, ४ मई, १९६१/१४ वैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १८६६, १६०४, १६०५, १६०७ से १६११, १६१४ और १६१५	६६३१—५७

विषय	पृष्ठ
अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १६	६६५७—५६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १६००, १६०१, १६०३, १६०६, १६१२, १६१३, १६१६, १६१६-क और १६१७ से १६२५ . .	६६५६—६६
अतारांकित प्रश्न संख्या ४४६६ से ४५७३, ४५७५ से ५४८७, ४५८६ से ४५६२, ४५६४ से ४६०६, ४६०६-क और ४६०६-ख .	६६७६—७०२४
भारतीय विमान बल के डकोटा विमान के लापता होने के बारे में वक्तव्य	७०२४—२५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
यू० पी० के एक गांव में अनुसूचित जाति के लोगों के घरों में आग लगाने की कथित घटना . .	७०२५—२६
सभा पटल पर रखे गये पत्र	७०२६—२८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
कार्यवाही सारांश . . .	७०२८
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति—	
कर्यवाही सारांश	७०२८
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति संबंधी समिति—	
कार्यवाही सारांश	७०२८
राज्य-सभा से सन्देश . . .	७०२६
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति—	
ग्यारहवां प्रतिवेदन	७०२६
सालारजंग संग्रहालय विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	७०२६—५३
खंड २ से २८ और खंड १	७०४६—५३
पारित करने का प्रस्ताव .	७०५३
सदस्य को सजा	७०५३
मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक—	
राज्य-सभा के संशोधनों पर विचार . . .	७०५४—५६
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	७०५६—६३
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के बारे में आधे घंटे की चर्चा	७०६३—६५
दैनिक संक्षेपिका	७०६६—७५

विषय पृष्ठ

अंक ६१—शुक्रवार, ५ मई, १९६१/१५ वैशाख, १८८३ (शाक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९२६, १९२९, १९३३ से १९४०, १९४२, १९४३ से १९४५, १९४७, १९४६ और १९४६-क १९४२-क, . ७०७७—९७

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १७ से २१ . . . ७०९८—७१०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९२७, १९२८, १९३० से १९३२ और १९४१ ७१०४—०७

अतारांकित प्रश्न संख्या ४६०७ से ४६२६, ४६२८ से ४६६४ और ४६६६ से ४७०३ . . . . . . ७१०७—४६

स्थगन प्रस्ताव . . . . . . ७१४६—४८

स्वदेशी काटन मिल्स में ताला बन्दी

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ७१४८-४९

१. दिल्ली में मकान बनाने वाले मजदूरों की हड़ताल ।

२. पाकिस्तानी पानी संसाधन विशेषज्ञों द्वारा कलकत्ता पत्तन की यात्रा ।

३. रानीगंज की कोयले की पट्टी क्षेत्र की कुछ कोयला खानों की घटनायें ।

४. व्यापारियों और उत्पादकों के पास रूई का बड़ी मात्रा में इकट्ठा हो जाना ।

५. पूर्वोत्तर सीमांत अभिकरण के सीमांत डिवीज़न में स्थित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के शस्त्रागार से कुछ शस्त्राशत्रों का कथित गायब हो जाना ।

६. अलीपुर में खंड क्षेत्र में बाढ़ आने का खतरा ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . . ७१४९—५१

राउरकेला में आदिवासी विस्थापित व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बारे में वक्तव्य ७१५१

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति ७१५२

कार्यवाही सारांश

याचिका संबंधी ७१५२

कार्यवाही सारांश

प्राक्कलन समिति

कार्यवाही सारांश ७१५२

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . ७१५२

प्राक्कलन समिति ७१५२

एक-सौ पैंतीसवां, एक-सौ छतीसवां और एक-सौ सैतिसवां प्रतिवेदन

विषय	पृष्ठ
लोक लेखा समिति . .	७१५३
सैंतीसवां प्रतिवेदन ।	
याचिका समिति	७१५३
बारहवां प्रतिवेदन ।	
तारांकित प्रश्न संख्या ७८५ के उत्तर की शुद्धि .	७१५३
पंजीकुन्नू नैमांम, जिला त्रिवेन्द्रम में हुए विस्फोट के बारे में वक्तव्य	७१५३–५४
विधेयक–पुरस्थापित	७१५४
१. काफी (संशोधन) विधेयक	
२. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक	
भारतीय रेलवे संशोधन विधेयक .	७१५४––६०
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव	
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जांच समिति के प्रतिवेदन के बारे में .	७१५६
संघ राज्य क्षेत्र (स्टाम्प और कोर्ट फीस विधियां) विधेयक १९६१–पुरस्थापित	७१६१
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव .	७१६१––६५
वृद्धावस्था पेंशन विधेयक (श्री अरविन्द घोषाल का)–पुरस्थापित .	७१६५
अखिल भारतीय घरेलू कर्मचारी विधेयक (श्री बाल्मीकी का)–वापिस	
विचार करने का प्रस्ताव	७१६५––९३
संविधान (संशोधन) विधेयक . . .	७१९३
(धारा २२६ का संशोधन) (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् का)	
विचार करने का प्रस्ताव	
पंजाब में सेवाओं के एकीकरण के बारे में आधे घंटे की चर्चा . .	७१९४––९९
बिदाई संबंधी उल्लेख . . .	७१९९
दैनिक संक्षेपिका	७२००––०९
तेरहवा सत्र के कार्यवाही सारांश . . .	७२१०––१२

नोट :–मौखिक उत्तर वाले प्रश्न के किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

GMGIPND—LS III—586 (Ai) LSD—8-7 61—125.

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

मंगलवार, २५ अप्रैल, १९६१
५ वैशाख, १८८३ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

रामगंगा नदी परियोजना

\+
*१७११. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री पांगर कर :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ११०९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में रामगंगा नदी परियोजना के विभिन्न चरणों में इस बीच क्या प्रगति हुई है ;

(ख) उसके विभिन्न चरणों का शेष निर्माण-कार्य कब तक पूरा हो जाने की आशा की जाती है;

(ग) उस के निर्माण पर कुल कितना धन व्यय होने का अनुमान है; और

(घ) उसके निर्माण के लिये भारत सरकार अब तक कितनी सहायता दे चुकी है अथवा भविष्य में देने वाली है ?

†**सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी का विवरण सभा पटल पर रखा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

(क) दिसम्बर, १९६० के अन्त तक की रामगंगा परियोजना पर प्रगति निम्नलिखित बताई गई है :--

रामगंगा पर पुल का निर्माण	७८ प्रतिशत पूर्ण
छेदन कार्य (ड्रिलिंग ओपरेशन्स) . . .	६६ प्रतिशत
कालागढ़ में सर्वेक्षण	९२ प्रतिशत
भूतत्वीय अनुसन्धान	१८.५ प्रतिशत

(ख) आशा है कि यह परियोजना चौथी योजना पूर्ण हो जायेगी ।

(ग) परियोजना की अनुमानित लागत ३९.८३ करोड़ रुपये स्वीकृत हुई है। ऐसा बताया गया है कि परियोजना के अनुकूलन (ऐस्टीमेट्स) राज्य सरकार द्वारा दुहराये जा रहे हैं।

(घ) केन्द्र से इस परियोजना के लिये कोई भी विशेष वित्तीय सहायता निश्चित नहीं की गई है । किन्तु राज्य सरकार स्वीकृति विकीर्ण विकास योजनाओं के लिये उन्हें दिये गये इकट्ठे ऋण में से इस पर धन लगा रही है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, इस विवरण में जो सबसे पहली बात है वह यह है कि रामगंगा नदी पर जो पुल बनने वाला है उसका ७८ प्रतिशत काम अब तक पूरा हुआ है। २३ अगस्त को बताया गया था कि ६५.६ पूरा हुआ है और उसके बाद १ दिसम्बर को बताया गया कि ७२ प्रतिशत पूरा हुआ है और अब बताया जा रहा है कि ७८ प्रतिशत पूरा हुआ है। यह पुल जो कि इस बांध के निर्माण के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है, आखिर इसके निर्माण में इतनी देरी क्यों लग रही है और कब तक यह पूरा हो सकेगा ?

श्री हाथी : देरी नहीं हो रही है, लेकिन जब पुल की ऊंचाई बढ़ती है तब काम भी बढ़ता है। ७८ प्रतिशत काम हो चुका है और बाकी कुछ महीनों में कम्पलीट हो जाएगा ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, इस बांध के निर्माण के बारे में पिछले पांच सात वर्ष से बातचीत चल रही है और बीच में शिथिलता इस काम में आ गई थी । मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार सन्तुष्ट है कि जिस चाल से यह काम हो रहा है, उससे जो समय इसके लिए निर्धारित किया गया है, उसके अन्दर यह पूरा हो जाएगा और यदि नहीं तो क्या इसमें तेजी लाने का प्रयत्न किया जाएगा ?

श्री हाथी : पिछले पांच सात साल से तो नहीं लेकिन मेरे ख्याल से १९५९-६० से शुरू किया गया है और चौथी योजना तक काम खत्म हो जाएगा ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि इस परियोजना के लिए कुल कितनी धन राशि नियत की गई थी और अब तक उसमें से कितनी धन राशि व्यय हो चुकी है ?

†**श्री हाथी** : १९५९-६० के लिए २५ लाख रु० और १९६०-६१ के लिये ९३ लाख रु० मंजूर किये गये थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, प्रश्न के 'घ' खंड के उत्तर में बताया गया है कि इस बारे में अभी तक कोई विशेष सहायता नहीं दी गई है। मैं जानना चाहता हूं कि, उत्तर प्रदेश में एक रिहांड बांध है जो पूरा होने वाला है और यह उसके वाद दूसरा महत्वपूर्ण बांध है, तो क्या केन्द्रीय सरकार इसके लिए खास तौर से कुछ आर्थिक व्यवस्था करने का प्रयत्न करेगी और जल्दी से इसको बनाने का प्रयत्न करेगी ?

श्री हाथी : जी हां, कोशिश करेगी।

श्री ब्रजराज सिंह : इस परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा कुछ सहायता की मांग क्या केन्द्रीय सरकार से की गई थी और यदि की गई थी तो कितनी सहायता की मांग की गई थी और कितनी सहायता केन्द्रीय सरकार ने देना स्वीकार किया है ?

श्री हाथी : अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए सहायता नहीं दी जाती है, लम्पसम प्राजेक्ट्स के लिए रकमें दी जाती हैं। इसके लिए कोई अलग से सहायता नहीं दी गई है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि लम्पसम सहायता उत्तर प्रदेश सरकार को दी गई है। म जानना चाहता हूं कि कितनी लम्पसक सहायता दी गई है और उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या यह बताया है कि उसमें से कितनी सहायता का उपयोग इस काम के लिए किया गया है और कितनी रकम इसके लिए खर्च की गई है ?

श्री हाथी : जैसा कि मैंने बताया, योजना के प्रत्येक वर्ष में राज्यों के सामान्य संसाधनों पर विचार किया जाता है और उस अवधि में हुए व्यय पर भी ध्यान दिया जाता है। समूचे राज्य के लिए इकट्ठी रकम प्रदान की जाती है किसी सिंचाई कार्य अथवा विद्युत क्षेत्र के लिए नहीं।

†**श्री भक्त दर्शन** : यह रकम कितनी है ?

†**श्री हाथी** : मुझे इसका पता नहीं।

गैर-सरकारी नर्सिंग होम और उपचार-गृहों के बारे में विधान

†*१७१२. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गैर-सरकारी नर्सिंग होम और उपचार-गृहों को विनियमित करने लिए विधान प्रस्तुत करने की प्रस्थापना किस प्रक्रम पर है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : गैर-सरकारी नर्सिंग होम्स और क्लिनिक्स के विनियमन के लिए एक नमूने के बिल का मसौदा तैयार किया जा रहा है और तैयार हो जाने के बाद इसे राज्य सरकारों को भेज दिया जायेगा ताकि वे उसे अपने विधान मंडलों द्वारा पारित करा कर लागू करें।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या गैर-सरकारी चिकित्सकों के संगठनों के विचारों की इस सिलसिले में जानकारी प्राप्त की गयी है ?

†**श्री करमरकर** : जी हां। उदाहरणतः इंडियन मैडिकल एसोसिएशन इस प्रस्थापना से सहमत नहीं है किन्तु उसे नर्सिंग होम्स का विनियमन किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

†**श्री तिरुमाल राव** : क्या यह विधेयक १९६१—६२ में पारित हो कर विधि-पुस्तक का अंग बन जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री करमरकर** : हम तो नमूने का विधान तैयार कर रहे हैं और हम उसे राज्य सरकारों को भेज देंगे। इसके बारे में कदम उठाना राज्य सरकारों का कार्य है। मेरे लिये यह कहना कठिन है कि क्या वे इसे समय पर लागू करेंगी।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : क्या इस विधान के द्वारा सरकार इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कदम उठायेगी कि इन संस्थाओं में न्यूनतम स्तर कायम हो ?

†**श्री करमरकर** : इस विधेयक का उद्देश्य यही है। हमें इस बात का अधिकार नहीं कि हम प्राइवेट नर्सिंग होम्स के लिए न्यूनतम स्तर निर्धारित कर सकें। केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद में, जिसमें सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व है, दो बार इस बारे में सिफारिश की थी। उसकी अन्तिम सिफारिश यह है कि हम एक नमूने के विधेयक का प्रारूप तैयार करें और इसे राज्य सरकारों को परिचालित करें।

†**श्री तिरुमल राव** : क्या नर्सिंग होम्स को लाइसेंस देने के लिए कोई नियम तथा विनियम है जिनमें इन संस्थाओं में सफाई और स्थान आदि के बारे में न्यूनतम स्तर कायम रखने पर जोर दिया जाता है ?

†**श्री करमरकर** : जहां तक गैर-सरकारी नर्सिंग होम्स का सम्बन्ध है, नगरपालिकाएं सफाई आदि के बारे में नियमों का पालन करने के लिए जोर दे सकती है। हमने इस सम्बन्ध में अभी तक इस बात को छोड़ कर कि डाक्टर अर्हता प्राप्त होना चाहिए, कोई नियम नहीं बनाया।

†**श्री श्री नारायण दास** : क्या विभिन्न राज्य सरकारें इस विधेयक के सिद्धान्त से सहमत हो गयी है और यदि हां, तो कितनी ?

†**श्री करमरकर** : पांच राज्य और एक संघ राज्य क्षेत्र इससे सहमति प्रकट कर चुके हैं। वे ये हैं : आन्ध्र प्रदेश, केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा। इनको यह प्रस्थापना स्वीकार है। अन्य राज्यों ने अभी इस बारे में कोई निश्चय नहीं किया।

गंडक परियोजना

†*१७१४. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गंडक परियोजना (बिहार में) की प्रगति बहुत धीमी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि गंडक परियोजना के लिए अपेक्षित मुद्रा उपलब्ध नहीं है ; और

(ग) केन्द्र ने कितनी सहायता प्रदान की है और इस परियोजना के कब तक पूरा होने का अनुमान है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी नहीं। प्रारम्भिक कार्य अर्थात्, सर्वेक्षण, सड़कों और इमारतों आदि का निर्माण भली भांति हो रहा है। इन में से कुछ पूरे हो चुके हैं और कुछ पूरे होने वाले हैं।

(ख) जी नहीं। भारत सरकार इस परियोजना के लिए अपेक्षित विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करने के लिए कार्यवाही कर रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) केन्द्र द्वारा इस परियोजना के लिए अलग से कोई सहायता नहीं दी जा रही। अनुमान है कि यह परियोजना १९६८–६९ तक पूरी हो जायेगी।

श्री विभूति मिश्र : अभी माननीय मंत्री जी ने बताया है कि वहां का निर्माण कार्य चल रहा है। बगहा से भैंसालोटन तक जहां कि बैरेज होगा, सड़क को बनते तीन साल हो गए हैं, अभी तक भी वह कम्पलीट नहीं हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कोई प्रयत्न किया है कि जल्दी इसमें प्रगति हो ?

श्री हाथी : मेरे खयाल से प्रोजेक्ट १५ जुलाई, १९६० को सैंकशन हुआ। प्लानिंग कमिशन ने क्लीयर सैंकशन १५ जुलाई, १९६० को दिया। उसके पहले जो कुछ काम हुआ होगा वह सारा ऐसे ही हुआ होगा। स्वीकृत प्रोजैक्ट के नीचे जो काम हुआ वह १५ जुलाई, १९६० से हुआ।

श्री विभूति मिश्र: मैं जानना चाहता हूं कि प्राजैक्ट में नेपाल गवर्नमेंट ने अब तक क्या सहायता प्रदान की है ?

श्री हाथी : नेपाल सरकार के साथ समझौता होने वाला था वह हो गया है, एग्रीमेंट हो गया है।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि इस प्राजैक्ट की कार्यान्विति में १५ जुलाई, १९६० को जो सैंकशन हुई तब से अब तक नेपाल सरकार ने कौन कौन सी सहायता दी है ताकि यह प्राजैक्ट आगे बढ़ सके ?

श्री हाथी : जो सहायता चाहिए थी, वह दी है। पैसे की सहायता नहीं लेकिन काम करने की सुविधा देते हैं।

†**श्री श्रीनारायण दास :** इस परियोजना का प्रशासन किस प्रकार है ? क्या कोई समिति नियुक्त की गयी है जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल सरकार के प्रतिनिधि हों ?

†**श्री हाथी :** अभी तक नहीं। हम एक नियंत्रण बोर्ड स्थापित करने के बारे में विचार कर रहे हैं।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि इस गंडक परियोजना के लिये भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच जो समझौता हुआ है उससे कितने प्रतिशत लाभ नेपाल सरकार को होगा और कितने प्रतिशत लाभ भारत सरकार को होगा ? क्या इस सम्बन्ध में कोई नीति निर्धारित की गई है ?

श्री हाथी : सब मिला कर लगभग ३८ लाख एकड़ का नेपाल और इंडिया में ईरिगेशन होगा। नेपाल में १·१८ लाख एकड़ का ईरिगेशन होगा, बिहार में २९·९० लाख एकड़ का ईरिगेशन होगा और उत्तर प्रदेश में ७·५ लाख एकड़ का ईरिगेशन होगा।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान्, चूंकि गंडक नदी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहती है इस लिये क्या उत्तर प्रदेश सरकार से भी इस परियोजना के सम्बन्ध में परामर्श लिया गया है, और क्या उन का सहयोग मिल रहा है ?

श्री हाथी : उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस परियोजना की रिपोर्ट तैयार की है और उन के साथ भी परामर्श किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री विभूति मिश्र : क्या यह सही है कि गंडक का काम पूरे जोर से नहीं चलता है क्योंकि गंडक और कोसी के लिये एक ही एडमिनिस्ट्रेटर है, और क्या सरकार एसा सोचती है कि गंडक का एडमिनिस्ट्रेटर अलग बनाया जाय और उसका काम ठीक से चलाया जाय ?

श्री हाथी : मेरे ख्याल से जो कोसी के एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन के गंडक के एडमिनिस्ट्रेटर होने से फायदा ही है। उन को एक्स्पीरिएंस है और वे काम अच्छा करते हैं।

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : आपकी अनुमति से मैं एक शुद्धि करना चाहता हूं। रामगंगा परियोजना सम्बन्धी एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मैं राम गंगा परियोजना के लिए निर्धारित राशि के आंकड़े भूल से गलत दे गया हूं। दूसरी पंचवर्षीय योजना में कुल १७९ लाख रु० की व्यवस्था की गयी है। मैंने भूल से गलत आंकड़े दे दिये (२५ लाख १९५९–६० के लिए और ९३ लाख १९६०–६१ के लिए)।

नई दिल्ली के मुख्य डाकघर में "टैलर प्रणाली"

\+

†*१७१५. { **श्री अजित सिंह सरहदी** :
श्री विभूति मिश्र :
श्री प्र० चं० बरुआ : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली के मुख्य डाकघर में डाक बचत बैंक में "टैलर प्रणाली" चालू करने का जो प्रयोग किया जा रहा है, क्या उसे देश के अन्य बड़े नगरों में भी किया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो अगले दो वर्षों के लिए क्या योजना है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) जी हां। यदि यह प्रणाली लोकप्रिय सिद्ध हुई तो।

(ख) इस परीक्षण का परिणाम ज्ञात होने के बाद ही कार्यक्रम तैयार किया जायगा।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या नई दिल्ली में यह परीक्षण सफल रहा है ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : अभी इसे देखा जा रहा है। अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

†**श्री विभूति मिश्र** : मंत्री महोदय इस प्रणाली को समूचे देश में कब तक लागू करना चाहते हैं ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : यदि यह परीक्षण सफल रहा तो हम अन्य नगरों के बारे में सोचेंगे।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या इससे काम में कुछ दोहरापन आयेगा और इस पर कितना अतिरिक्त व्यय होने का अनुमान है ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : अभी इसका अनुमान नहीं लगाया गया। अब यह कार्य डाकखाने के कर्मचारियों द्वारा ही किया जा रहा है।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : यह परीक्षण कितनी देर तक चलता रहेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० प० सुब्बरायन**: मैं कह नहीं सकता ।

†**श्री भक्त दर्शन**: यह "टैलर" प्रणाली वास्तव में क्या चीज़ है ?

†**डा० प० सुब्बरायन**: मुझे स्वयं इसका पता नहीं। किन्तु मुझे अधिकारियों द्वारा यह बताया गया है कि इस प्रणाली से काम कम हो जाता है और बचत बैंक को अधिक सरलतापूर्वक चलाया जा सकता है ।

†**श्री विभूति मिश्र**: अब तक प्राप्त अनुभव के आधार पर इसकी सफलता की क्या सम्भावना है ?

†**डा० प० सुब्बरायन**: अभी हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ।

अफ्रीकी देशों के लिए असैनिक विमान चालक

†*१७१६. **श्री ब्रजराज सिंह**: क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ अफ्रीकी देशों ने सरकार से असैनिक विमान चालकों की सेवाओं का उपयोग अपने अपने देश में करने के लिए असैनिक विमानचालकों की मांग की थी ;

(ख) यदि हां, तो किन देशों से यह मांग प्राप्त हुई थी और प्रत्येक देश ने कितने कितने असैनिक विमान चालकों की मांग की थी ;

(ग) क्या इस मांग पर विचार किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)**: (क) जी हां ।

(ख) भारत में संयुक्त अरब गणराज्य के दूतावास ने मिस्र एयरलाइन्स के वाइकाउन्ट विमानों के लिए ६ कप्तानों और ६ सह-चालकों की सेवाएं मांगी हैं ।

(ग) जी हां ।

(घ) संयुक्त अरब गणराज्य के दूतावास को सूचित किया गया है कि वाइकाउन्ट विमानों के लिए अपेक्षित अनुभव प्राप्त भारतीय चालक तथा उप-चालक उपलब्ध हैं । उनके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

†**श्री ब्रजराज सिंह**: क्या संयुक्त अरब गणराज्य में भेजे जाने वाले चालकों की भर्ती देश के बेकार चालकों में से की जायेगी ?

†**श्री मुहीउद्दीन**: ये चालक वाइकाउन्ट विमानों के लिए चाहिए । मैं वाइकाउन्ट शब्द पर इस लिए जोर दे रहा हूं क्योंकि बेरोजगार चालक तो डकोटा-विमान चालक भी नहीं हैं ।

†**श्री ब्रज राज सिंह**: पिछली बार मेरे एक प्रश्न के उत्तर के जवाब में माननीय मंत्री जी ने कहा था कि उन्होंने प्रतिरक्षा मंत्रालय को इन बेरोजगार चालकों को काम पर लगाने के लिए लिखा है । क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय का उत्तर प्राप्त हो गया है ?

†**श्री मुहीउद्दीन**: बेरोजगार चालकों का इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या हमारे पास फालतू वाइकाउन्ट-चालक हैं क्योंकि हम ६ चालकों को भेज र हेहैं ?

†श्री मुहीउद्दीन : हम ए क मित्र देश की सहायता करने की कोशिश करेंगे । मैं यह नहीं कह सकता कि हमारे पास फालतू चालक हैं किन्तु हम अधिकाधिक चालकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं ।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : वाइकाउन्ट विमानों को उड़ाने के लिए कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ?

†श्री मुहीउद्दीन : यह एक लगातार चलने वाला कार्य है । मैं नहीं कह सकता कि कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण मिला है ।

†श्री म० र० कृष्ण : क्या उन देशों से, जो हमारे देश के निर्मित विमानों को खरीद रहे हैं, चालकों के बारे में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ?

†श्री मुहीउद्दीन : मिस्र एयरलाइन्स ने हमसे अनुरोध किया है ।

†श्री ब्रजराज सिंह : क्या मुझे पिछली बार उत्तर देने के समय से भारत में कुछ अन्य असैनिक चालकों को काम पर लगाया गया है ?

†श्री मुहीउद्दीन : मुझे पता नहीं क्योंकि इस बात का इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं ।

†श्री नारायणन् कुट्टि मेनन : क्या यह सच है कि भारत में बहुत से चालक बरोजगार हैं और एक चालक को वाइकाउन्ट विमान को उड़ाने का प्रशिक्षण देने में केवल सात दिन लगते हैं और यदि, हां तो क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा इन चालकों को वाइकाउन्ट विमानों की उड़ान का अल्प-कालीन प्रशिक्षण देने की सुविधा प्रदान की जायगी ?

†श्री मुहीउद्दीन : यदि आवश्यक हुआ, तो इस पर विचार किया जायगा ।

जर्मनी से डीजल रेलवे इंजन

†*१७१९. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे ने पश्चिम जर्मनी के एक सार्थ से ७ डीजल इंजन प्राप्त करने के लिए का किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी लागत आयेगी; और

(ग) क्या इन इंजनों का संभरण शुरु हो गया है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) इन सात डीजल इंजनों पर लगभग ३१.६८ लाख रु० लागत आयी है और इन्हें नौका-पर्यन्त निःशुल्क प्राप्त किया गया है ।

(ग) जी हां ।

†श्री प्र० चं० बरुआ: क्या इन रेलवे इंजनों में सूरी ट्रांसमिशन प्रणाली लगी हुई है और यदि हां, तो क्या जर्मन फर्म ने इस प्रणाली आविष्कार-कर्त्ता को कोई रायल्टी दी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री शाहनवाज खां : इन इंजनों में सूरी ट्रांसमिशन प्रणाली लगवाने के लिए ही इस फर्म को आर्डर दिया गया था । इनमें से एक मिल गया है और शेष अगले तीन अथवा चार महीनों में मिल जायेंगे । इस प्रणाली को अन्य इंजनों में लगाने से पहले हम यह देखेंगे कि यह प्रणाली कैसे काम करती है ।

†श्री प्र० चं० बरुआ : क्या पश्चिम जर्मनी की इस फर्म द्वारा सूरी ट्रांसमिशन के आविष्कार-कर्त्ता को कोई रायल्टी दी गयी है ?

†श्री शाहनवाज खां : इसके आविष्कार-कर्त्ता श्री सूरी स्वयं हैं । हमने इस फर्म के साथ सूरी ट्रांसमिशन प्रणाली का उपयोग करने के बारे में करार किया है । पहले इसे ७ इंजनों में लगाया जायेगा । हम परिणामों का अध्ययन करेंगे और इसके पश्चात् अग्रेतर कदम उठाये जायेंगे ।

†श्री बासप्पा : डीजल इंजनों की कुल आवश्यकता कितनी है और उसकी पूर्ति कहां तक की जाती है ?

†श्री शाहनवाज खां : तीसरी योजना की अवधि में सभी किस्म के ४३५ डीजल रेलवे इंजनों की आवश्यकता पड़ेगी ।

†श्री दामानी : सूरी ट्रांसमिशन वाले कितने रेलवे इंजनों का आर्डर दिया गया है और अन्य ट्रांसफार्मर के मुकाबले में सूरी ट्रांसमिशन की कीमत कितनी है ?

†श्री शाहनवाज खां : हम ने ७ रेलवे इंजनों के लिए आर्डर दिया है । एक रेलवे इंजन पर ४.५२६ लाख ० लागत आती है ।

†अध्यक्ष महोदय : अन्य प्रकार के ट्रांसफार्मरों की तुलना में सूरी ट्रांसफार्मर की कीमत क्या है ?

†श्री शाहनवाज खां : इसके लिये मुझे अलग नोटिस चाहिए ।

†श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : इनमें से कितने मीटर गेज के लिए हैं और कितने बड़ी लाइन के लिए ?

†श्री शाहनवाज खां : इनमें से सभी बड़ी लाइन के लिए हैं ।

†श्री तिरुमल राव : इस आविष्कार का स्वामी कौन है? क्या इसका मालिक इसका आविष्कार करने वाला है अथवा भारत सरकार ?

†श्री शाहनवाज खां : इसे भारत के राष्ट्रपति के नाम 'पेटेन्ट' कराया गया है ।

†श्री नरसिंहन् : मंत्री महोदय ने अभी रेलवे इंजनों की आवश्यकता बतायी थी । क्या इसमें डीजल इलैक्ट्रिक रेलवे-इंजन भी शामिल हैं और यदि नहीं तो क्या सरकार इन इंजनों को प्राप्त करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

†श्री शाहनवाज खां : मैंने जो आंकड़े दिये थे, उसमें ये इंजन शामिल नहीं थे ।

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या इस फर्म को, विश्व भर से टैंडर मांगने के पश्चात, ठेका दिया गया था अथवा सीधे ही सम्पर्क स्थापित किया गया था ? यदि इस फर्म के साथ सीधे ही सम्पर्क स्थापित किया गया था तो इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शाहनवाज खां** : विश्व भर से टेंडर मांगे गये थे । डीजल शंटर इंजनों के लिए एक अन्य टेंडर था और अन्य फर्मों की तुलना में इस फर्म द्वारा दी ग ी कीम ें कम थीं । यह फर्म बड़ी प्रसिद्ध है और डीजल रेलवे इंजनों के निर्माण के लिए इसे ख्याति प्राप्त है । इन्होंने इस आविष्कार के बारे में काफी दिलचस्पी दिखायी थी । अतः हम ने इस फर्म को चुना ।

†**श्री हेडा** : रेलवे की इस प्रकार के डीजल इंजन ख ीदने की काफी बड़ी योजना लगती है । क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि हमारे पास डीजल तेल की कमी है अथवा यह कह सकते हैं कि हमारे देश में पेट्रोल और डीजल के बीच का सन्तुलन यथोचित नहीं है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : रेलवे मंत्रालय और योजना आयोग ने इन सब बातों पर विचार किया है । हमने यह निश्चय किया है कि सरका ी क्षेत्र में डीजल रेलवे इंजनों का निर्माण किया जाये । विशेषज्ञ समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है और वह रिपोर्ट योजना आयोग के समक्ष है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : यह किस प्रकार का रेलवे इंजन है, क्योंकि मंत्री महोदय ने बताया है कि इसकी कीमत ४.२५ लाख रु० है जबकि अमरीका से ख ीदे जाने वाले डीजल रेलवे इंजन की कीमत ६.७५ लाख रु० है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : ये ६५० अश्व-शक्ति वाले शंटर रेलबे इंजन हैं जब कि अन्य इंजन, जिनकी कीमत अधिक है, २५०० से ३००० अश्व-शक्ति वाले हैं ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : पिछले वर्ष हमने इसी फर्म से ३.२५ लाख रु० की दर पर डीजल रेलवे इंजन खरीदे थे । इस बार हमें एक इंजन का १ लाख रु० अधिक क्यों देना पड़ रहा है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : यह फर्म सूरी ट्रांसमिशन का विकास कर रही है और हम उन्हें जो अदा कर रहे हैं, इस फर्म को उससे कहीं अ क व्यय करना पड़ता है । इस फर्म की इस आविष्कार में बड़ी दिलचस्पी है और यह उसे भविष्य में ंज ों के निर्माण में उपयोग करना चाहती है । इसलिए हो सकता है इस फर्म को इस आविष्कार के विकास के लिए १० से २० लाख रु० तक व्यय करना पड़ सकता है ।

†**श्री प्र० चं० बरूआ** : उपमंत्री महोदय ने कहा है कि इस आविष्कार का पेटन्ट भारत के राष्ट्रपति के नाम कराया गया है ? क्या मैं जान सकता हूं कि क्या श्री सूरी को प्रोत्साहन के रूप में कुछ मिलेगा अथवा नहीं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : हम इस सभा में किस प्रकार की बातें उठा रहे हैं ? क्या हम व्यक्ति-विशष के बारे में पूछते जायेंगे ? क्या हमारी उसमें दिलचस्पी है ?

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : जी नहीं ।

†**श्री तिरूमल राव** : यह प्रश्न रेलवे के एक कर्मचारी द्वारा किये गये आविष्कार के बारे में है । हम तो केवल यह जानना चाहते हैं कि क्या उसे इसमें से कोई लाभ होगा या नहीं अथवा इसकी मालिक सरकार होगी ? हम इस बारे में अनभिज्ञ हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह बताया जा चुका है कि इसका 'पेटन्ट' भारत के राष्ट्रपति के नाम में है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं केवल इस बात को रोकने का प्रयास कर रहा हूं कि यह प्रतीत न हो कि हम यहां पर किसी व्यक्ति-विशेष का मामला उठा रहे हैं और उसे भारत की समेकित निधि में से कुछ दिलाने का यत्न कर रहे हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम देखें कि भारत की समेकित निधि में से कम से कम खर्च हो। मुझे यह लगा कि श्री प्र० चं० बरुआ शुरू से ही इस बात में रुचि ले रहे हैं कि श्री सूरी को क्या मिलने वाला है। मैंने एक ो अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दे दी थी। मैं नहीं चाहता कि इस सभा के माननीय सदस्य ४० करोड़ व्यक्ति ों के स्वार्थों से आक्रान्त हों और सरकार से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जायें कि अमुक व्यक्ति को अधिक अदायगी क्यों नहीं की ग ी। हो सकता है कि ऊपर से ऐसा लगे कि इसमें लोक-हित किन्तु इससे किसी व्यक्ति-विशेष का अधिक हित-साधन होता हो। मैं नहीं च ाहता कि ऐसा हो। यह मेरी इच्छा है।

†**श्री तिरुमल राव** : क्या मैं इस सम्बन्ध में कुछ निवेदन कर सकता हूं ? सरकार ने स्वयं ही इस आविष्कार के आविष्कार-कर्त्ता का नाम बताया। यहां पर किसी माननीय सदस्य की-- कम से कम जहां तक मेरा सम्बन्‍ है--इच्छा किसी व्यक्ति विशेष के हित की साधना नहीं है। यह एक ेसा आविष्कार है जिसने विश्व भर में ख्याति अर्जित की है। अतः इसके आविष्कारकर्त्ता को अवश्य कुछ प्रोत्साहन मिलना चाहिए। बात दरअसल यह है। क्या उस व्यक्ति को अन्य गैर-सरकारी आविष्कार-कर्त्ताओं के समान प्रोत्साहन मिलता है या सरकारी कर्मचारी होने के कारण उसके मार्ग में बाधा आती है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या उसे रायल्टी मिलती है अथवा किसी अन्य प्रकार से मुआवजा दिया जाता है ?

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इस विषय पर बहुत से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। पिछले सत्र, इस सत्र और इससे पहले भी इन सज्जन के नाम पर बहुत से प्रश्न पूछे जा चुके हैं।

†**श्री नारायणन कुट्टि मेनन** : यह बिल्कुल ग़लत है। मुख्य प्रश्न इंजन के विकास के बारे में था। यह उससे सम्बन्धित बात है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेलवे के एक कर्मचारी ने एक आविष्कार किया है। प्रश्न यह है कि रेलवे ने इस कर्मचारी को क्या प्रोत्साहन प्रदान किया है। यह एक ऐसी बात है जिसका संसद् के सदस्यों से सम्बन्ध है।

†**श्री शाहनवाज खां** : स्थिति यह है कि ७ डीजल रेलवे इंजनों का आर्डर दिया गया है, जिनमें सूरी ट्रांसमिशन प्रणाली लगी हो। भारतीय परिस्थितियों में अभी इसका परीक्षण किया जाना है। जब यह परीक्षण हो जायेगा तो इसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने की बात को लिया जायेगा। तब इस बात पर विचार करना उपयुक्त होगा कि क्या इस पदाधिकारी को कोई इनाम अथवा मान्यता दी जा े। मैं तो यह कहूंगा कि यह बात कि रेलवे के एक नौजवान अधिकारी ने एक इतनी शानदार चीज का आविष्कार किया है जिसकी समस्त विश्व में प्रशंसा हुई है, उस ुवा पदाधिकारी के लिये अपने आप में एक बड़ा इनाम है।

†**श्री गोरे** : अन्य लोग उस प्रकार कार्य क्यों नहीं करते ?

†**अध्यक्ष महोदय** : बहुत से लोगों ने इस प्रकार कार्य किया है और देश के लिए स्वतन्त्रता प्राप्त की है। माननीय सदस्य यह बात भूल रहे हैं।

†**श्री गोरे** : हम कार्य-कुशलता और तरक्कियों के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि उस युवक इंजीनियर को कुछ मिलना क्यों नहीं चाहिए।

---

†[मूल अंग्रेजी में]

†**अध्यक्ष महोदय** : रुपया ही मुख्य चीज नहीं है। ख्याति उससे भी बड़ी चीज़ है।

गन्ने के रस को परिष्कृत करने की विधि

+

†*१७२०. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डी० एन० घोष ने गन्ने के रस को गन्धक के प्रयोग के बिना परिष्कृत करने का बिजली का एक तरीका निकाला है; और

(ख) यदि हां, तो क्या चीनी कारखानों में इस तरीके को बड़े पैमाने पर अपनाया जा सकता है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख). प्रोफेसर डी० एन० घोष ने गन्ने के रस को गंधक का इस्तेमाल किये बिना साफ करने का एक बिजली का तरीका निकाला है किन्तु राष्ट्रीय चीनी संस्था, कानपुर में अभी हाल में किये गये प्रयोगों के परिणामस्वरूप कुछ कठिनाइयां सामने आयी हैं और यह शक होने लगा है कि क्या अग्रेतर परीक्षणों के बिना इस तरीके को बड़े पैमाने पर अपनाया जा सकता है।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : क्या सरकारी विशेषज्ञों ने इस बारे में कोई जांच की है ?

†**श्री अ० म० थामस** : जी हां। वस्तुतः हमने पटना विश्वविद्यालय में रसायन-शास्त्र के प्रोफ़ेसर, डा० डी० एन० घोष, द्वारा निकाले गये तरीके पर बड़ा गहरा सोच विचार किया है। उन्होंने यह तरीका गन्ने के रस को साफ करने के लिए निकाला है। इसमें चूने और गंधक को इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। राष्ट्रीय चीनी संस्था, कानपुर में हमने दो प्रयोग किये हैं। पहले प्रयोग से यह पता चला कि इस तरीके से घटिया किस्म की चीनी तैयार होती है और इसके साथ बिजली, लोहे और छानने वाले कपड़े (फिल्टर क्लाथ) की अधिक लागत के कारण यह तरीका एक महंगा सौदा है। इसके बाद डा० घोष की उपस्थिति में किये गये प्रयोग से यह पता चला कि यह बिल्कुल लाभप्रद प्रस्थापना नहीं है और इसमें कई त्रुटियां हैं। किन्तु इसके बावजूद प्रयोग किये जा रहे हैं।

†**श्री श्रीनारायण दास** : इस प्रक्रिया के बारे में प्रोफेसर घोष का क्या दावा है ?

†**श्री अ० म० थामस** : उनका दावा था कि बिजली के तरीके से गन्ने के रस को साफ करके चीनी तैयार की जा सकती है। माननीय सदस्य को यह विदित होगा कि आजकल चीनी गन्धकीकरण[1] प्रक्रिया से तैयार की जाती है। उनका दावा था कि बिजली के प्रयोग से गन्ने के रस को परिष्कृत किया जा सकता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि सफाई हो सकती है किन्तु जैसा कि मैंने पहले बताया है चीनी बड़ी घटिया किस्म की होती है और लागत भी बहुत अधिक आती है।

†**श्री शिवनंजप्प** : चीनी उद्योग की क्या प्रतिक्रिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में
[1]Sulfohitation

†श्री अ० म० थामस : अभी यह बात इस स्थिति तक नहीं पहुंची । हम इसके बारे में राष्ट्रीय चीनी संस्था, कानपुर में प्रयोग कर रहे हैं । सभा को यह जानकर भी खुशी होगी कि इस मामले को वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के आविष्कार प्रोत्साहन बोर्ड को भी निर्देशित किया गया है ।

दामोदर घाटी निगम के मुख्य कार्यालय का स्थानान्तरण

+
†*१७२१. { श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने दामोदर घाटी निगम के मुख्य कार्यालय के कलकत्ता से मैथोन में स्थानान्तरित करने पर आने वाले व्यय में अपना हिस्सा देने से, जैसा कि इस परियोजना में शामिल सरकारों के बीच समझौता हुआ था, इन्कार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार से हस्तक्षेप करने और इस विवाद को सुलझाने के लिए कहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सिलसिले में क्या कदम उठाये हैं ?

†सिंचाई और विद्युत् उप-मंत्री (श्री हाथी) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार ने यह सुझाव दिया है कि दामोदर घाटी निगम के मुख्य-कार्यालय को कलकत्ता से मैथोन ले जाने का कार्य स्थगित कर दिया जाये क्योंकि राज्य सरकार के संसाधन सीमित हैं और उसके विचार से इन्हें अधिक उत्पादक योजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए ।

(ख) जी हां ।

(ग) इस मामले के बारे में पश्चिम बंगाल की सरकार से परामर्श किया जा रहा है ।

†श्री श्रीनारायण दास : दामोदर घाटी निगम का मुख्य कार्यालय कलकत्ते से माईथान ले जाया जाये इस बारे में सम्बन्धित सरकारों के बीच समझौता कब हुआ था ? अब यह तर्क क्यों पेश किया जा रहा है कि संसाधन उपलब्ध नहीं हैं ?

†श्री हाथी : निर्णय बहुत पहले किया गया था लेकिन १६७.६० लाख रुपये के खर्च को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार का अब यही दृष्टिकोण है ।

†श्री श्रीनारायण दास : भारत सरकार को इस विषय में निर्णय करने के लिए कितना समय लगेगा ?

†श्री हाथी : यह भारत सरकार के निर्णय का प्रश्न नहीं है, वह दामोदर घाटी निगम तथा राज्य सरकार के बीच की बात है । भारत सरकार इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार से बातचीत कर रही है ।

†श्री स० चं० सामन्त : मुख्य कार्यालय कलकत्ते से माईथान ले जाने पर होने वाली किफायत का हिसाब भारत सरकार ने लगाया है ? क्या यह सच नहीं है कि १.६७ करोड़ रुपये पर ब्याज उस किराये से कहीं अधिक होगा जो अभी हम कलकत्ते में दे रहे हैं ? क्या कलकत्ते

---

†मूल अंग्रेजी में

से मुख्य कार्यालय हटा दिये जाने के बाद भी सरकार को कलकत्ते में किराये के कुछ मकानों की जरूरत होगी ?

†**श्री हाथी** : जी हां, इन सभी बातों पर विचार हो रहा है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : खर्च में अंशदान के प्रश्न के सम्बंध में परस्पर लाभ का प्रश्न कहां आता है ? मुख्य कार्यालय कलकत्ते से माईथान ले जाने पर पश्चिम बंगाल सरकार को किस प्रकार लाभ होने की संभावना है ?

†**श्री हाथी** : पश्चिम बंगाल सरकार मुख्य कार्यालय हटाने के पक्ष में नहीं है। इसलिए उस सरकार को फायदा पहुंचाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन बिहार सरकार कहती है कि कार्यचालन की जगह यदि मुख्य कार्यालय रहे तो उससे कार्यक्षमता बढ़ेगी।

†**श्री राधा रमण** : कलकत्ते में मुख्य कार्यालय के लिए कितना सालाना किराया दिया जाता है और अब तक कुल कितनी रकम अदा की जा चुकी है ?

†**श्री हाथी** : मैं समझता हूं कि कलकत्ते में करीब ६.५ लाख रुपये सालाना किराया दिया जाता है। यह १९४९ से दिया जा रहा है।

†**श्री राधा रमण** : अब तक कुल कितनी अदायगी हुई है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : १९४९ से १९६१ तक १२ साल होते हैं और सालाना ६.५ लाख रुपये की दर से वह ७८ लाख रुपये होता है।

†**श्री आचार** : बिहार में एक नयी जगह पर मुख्य कार्यालय ले जाने के लिए सहमत होने से पहले क्या इन सब बातों पर विचार नहीं किया गया था ?

†**श्री हाथी** : इन बातों पर आरम्भ में ही विचार किया गया था। कलकत्ता पश्चिम बंगाल की राजधानी और एक बन्दरगाह होने के कारण, कम से कम उस समय के लिए मुख्य कार्यालय वहीं रखना अधिक अच्छा समझा गया क्योंकि परामर्शदाताओं और साजसामान को उस जगह पहुंचाना ज्यादा आसान था। लेकिन हम बहुत पहले ही यह तय कर चुके थे कि कार्यचालन कर्मचारी, मख्य इंजीनियर और तकनीकी लोग माईथान में होने चाहिये। इसलिए वे सभी माईथान में हैं।

†**श्री वारियर** : क्या यह सच है कि प्राक्कलन समिति ने मुख्य कार्यालय हटाने के विरुद्ध सिफारिश की है ? क्या सरकार ने उस सिफारिश पर विचार किया है ?

†**श्री हाथी** : इसके विपरीत, मेरी जानकारी यह है कि प्राक्कलन समिति ने यह सिफारिश की थी कि मुख्य कार्यालय कार्यचालन क्षेत्र में ले जाया जाये। मैं समझता हूं कि आप उस समय सभापति थे। मेरी यादाश्त यही है।

†**अध्यक्ष महोदय** : सिफारिश क्या थी यह जानने से पहले मैं कुछ वादा नहीं करना चाहता।

†**श्री हाथी** : मैं भी वचनबद्ध नहीं होना चाहता।

---

†मूल अंग्रेजी में

ढिलवां में रेलवे के लकड़ी के डिपो में अग्निकांड की जांच

+

†*१७२३. { **श्री त० ब० विट्ठल राव :**
श्री कुन्हन :
श्री अजित सिंह सरहदी : }

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के ढिलवां में स्थित लकड़ी के डिपो में हुए अग्निकांड के कारणों की तहकीकात करने के लिए नियुक्त की गयी विभागीय जांच समिति ने इस बीच अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य उपपत्तियां क्या हैं; और

(ग) क्या रेलवे बोर्ड ने रिपोर्ट की जांच कर ली है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** : अखबारों में यह समाचार था कि समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और रेलवे बोर्ड को पेश कर दी है । इस बात को देखते हुए कि १.२७ करोड़ रुपये के नुकसान का मामला था, रेलवे बोर्ड ने उस समाचार का खंडन क्यों नहीं किया ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : प्रत्येक समाचार का खंडन आवश्यक नहीं होता । तथ्य यह है कि जांच खत्म हो चुकी है और रेलवे बोर्ड रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहा है ।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव :** रिपोर्ट संभवतः कब प्राप्त हो जायेगी ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** अनुमान है कि मई के पहले हफ्ते में ।

†**श्री कुन्हन :** क्या लकड़ी के डिपो का आग का बीमा कराया गया था ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** हम लकड़ी का बीमा नहीं कराते । उस का बीमा नहीं हुआ था ।

†**श्री त्यागी :** क्या यह सच नहीं है कि इस अग्निकांड के बाद कहीं और लकड़ी के बड़े स्टाक में आग लगा दी गयी थी ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** मुझे मालूम नहीं ।

†**श्री अजितसिंह सरहदी :** क्या यह सच है कि पुलिस जांच भी चल रही है और इस अग्निकांड के बारे में घटनास्थल पर कुछ लोगों से पूछताछ की गयी है ? इस जांच के परिणाम के बारे में मंत्रालय के पास कोई जानकारी है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** मुझे उस बारे में कुछ मालूम नहीं है ।

†**श्री कुन्हन:** इतनी अधिक मात्रा में लकड़ी एक ही जगह क्यों रखी गयी थी ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** वह एक बहुत बड़ा क्षेत्र है । नियमों के अनुसार वह कई जगहों पर रखी जाती है । वह नियमों के अनुसार ही किया गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वारियर :** क्या इस में कोई उपद्रव की आशंका है और यदि हां, तो क्या किसी की गिरफ्तारी की गई है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** हम रिपोर्ट की प्रतीक्षा में हैं ।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** इस संबंध में आप को याद होगा कि लकड़ी के डिपों में इस अग्निकांड के बारे में सभा ने काफी असन्तोष व्यक्त किया था । मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि सभा में रिपोर्ट पर बहस की जायेगी । तो अब क्या बात है कि अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है । क्या हमें कम से कम यह आश्वास मिलेगा कि सभा स्थगित होने से पहले यह रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जायेगी ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** मैं यह बता सकता हूं कि रिपोर्ट यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

†**श्री नागी रेड्डी :** 'यथा शीघ्र' का क्या अर्थ है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या वह इस महीने के आखिर तक सभा पटल पर रख दी जायेगी ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** मेरी जानकारी यह है कि वह मई के पहले हफ्ते में तैयार हो जायेगी ।

† **श्री त्यागी :** क्या नुकसान का कोई अनुमान लगाया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** वह पहले ही बताया जा चुका है ।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** वह करीब १.२७ करोड़ रुपये है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह पिछली बार श्री त्यागी के उत्तर में बताया जा चुका है ।

दिल्ली में तपेदिक के रोगियों के लिये चिकित्सा में सुविधायें

\+

१७२५. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री नवल प्रभाकर :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ३१ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में तपेदिक से पीड़ित व्यक्तियों के इलाज की सुविधायें बढ़ाने का जो प्रस्ताव था उसे कार्यान्वित करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : अब तक हुई प्रगति इस प्रकार है :—

१. सिलवर जुबली टी० बी० अस्पताल, दिल्ली में २५० शय्यायें ।

क्षय रोग के प्रगत मामलों के लिये २५० शय्याओं के वार्ड का निर्माण प्रारम्भ हो गया है ।

२. ५ क्षय क्लिनिक ।

(१) **मोती नगर :** निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

(२) **पहाडगंज (झण्डेवाला) :** प्लान तथा प्राक्कलन स्वीकृत हो चुका है । भूमि के स्थानान्तरण का प्रश्न चल रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) निज़ामुद्दीन तथा (४) रूपनगर : क्लिनिकों के लिये अपेक्षित भूमि प्राप्त की जा रही है ।

(५) पूसा रोड : पूसा रोड में भूमि प्राप्ति के लिये मामले पर मुकदमा चल रहा है । अतः इस के बजाय दूसरी जगह ढूंढ़ी जा रही है ।

मैं यह भी जोड़ना चाहता हूं कि मेहरौली अस्पताल में शय्यायें बढ़ाने के लिये हम ने दो लाख रुपये का अनुदान दिया है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि यह जितना काम दिल्ली में राजयक्ष्मा के रोगियों के सम्बन्ध में चल रहा है वह कब तक पूरा हो जयेगा——कब तक उन के लिये पूरी तरह व्यवस्था हो जायेगी ?

श्री करमरकर : मैं ने अभी अर्ज किया है कि दिल्ली में पांच क्लिनिक्स की प्रगति इस प्रकार है कि मोतीनगर के क्लिनिक का काम ठीक तरह से प्रगतिशील है, पहाड़गंज के क्लिनिक के लिये भूमि के हस्तान्तरण का प्रश्न चल रहा है, निजामुद्दीन तथा रूपनगर के क्लिनिकों के लिये जब जमीन मिल जायेगी तो काम शुरू किया जायेगा और पूसा रोड की जमीन के बारे में अदालत में मुकदमा चल रहा है और उस के लिये दूसरी जगह ढूंढ़ रहे हैं ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना में दिल्ली प्रशासन की तरफ से एक सुझाव दिया गया था कि मेहरौली में एक अस्पताल इस तरह का बनाया जाये, जिसमें झोंपड़ियां हों और वहां तपेदिक के मरीज़ों को रखा जाये । लेकिन उस को स्थगित कर दिया गया था, उस का कारण क्या है ?

श्री करमरकर : दिल्ली टयूबरक्लाजिज एसोसियेशन के पास जो पैसा था, क्या माननीय सदस्य उस के बारे में पूछ रहे हैं ?

श्री नवल प्रभाकर : मैं यह जानना चाहता हूं कि दिल्ली प्रशासन ने जो यह योजना रखी थी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ११०० झौंपड़ियों को बनाने का प्राविजन, प्रबन्ध किया जाये, और उन में ११०० मरीजों को रखा जाये, क्या केन्द्रीय सरकार ने उस को स्थगित कर दिया और अगर कर दिया, तो उस का कारण क्या है ?

श्री करमरकर : ११०० बैड्ज वाली यह बात मेरी समझ में नहीं आती । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तपेदिक के रोगियों के बारे में जो काम होना चाहिये था, उस के बारे में मैंने अभी बताया है । अगर माननीय सदस्य उस से अलग कोई सूचना चाहते हैं, तो नोटिस मिलने पर मैं दे सकता हूं ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में कुछ जानकारी लेने का प्रयत्न किया है कि दिल्ली और नई दिल्ली में इस समय तपेदिक के कितने रोगी हैं और सरकार की ओर से जो व्यवस्था होने जा रही है, उन रोगियों के हिसाब से वह कहां तक पर्याप्त हो सकेगी ?

श्री करमरकर : पर्याप्ति तो नहीं हो सकेगी, लेकिन हम काफी प्रयत्न कर रहे हैं । जितना हो सकेगा उतनी हद तक हम प्रयत्न करेंगे । हमारे पास पैसा नहीं है, न बाहर से आता है । दिल्ली के अस्पतालों में जो मरीज आते हैं, वे खास तौर पर दिल्ली से ही नहीं आते, वे पंजाब से और माननीय सदस्य की कांस्टीटयूएन्सी से, सब जगहों से आते हैं । इसलिये मुश्किल हो जाती है । दिल्ली के अस्पताल में जब मरीज पहुंचते हैं, तो उन से यह नहीं कहा जा सकता कि आप दिल्ली से नहीं आये, बाहर जाओ । इस का इन्तजाम करने के लिये शायद दस बरस लगेंगे । हम सोच रहे हैं कि चूंकि

हम उन को अस्पतालों में नहीं रख सकते, इसलिये उन को ट्रीटमेंट और औषधि देने का प्रबन्ध किस प्रकार किया जाय। हम ने इस बारे में तय किया है कि दिल्ली में जहां कहीं ऐसे पेशेन्ट्स हों, जिन की तनख्वाह या कमाई सौ रुपये से कम हो, तो हम उन को फ्री एक्स-रे-ट्रीटमेंट और फ्री मैडिसन्ज देंगे।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मेरा प्रश्न यह था कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या इस सम्बन्ध में कुछ जानकारी लेने का प्रयत्न किया है कि इस समय दिल्ली में तपेदिक के रोगियों की संख्या कितनी है और कितने लोगों के लिये सरकार व्यवस्था करने जा रही है।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या रोगियों की संख्या के बारे में उन के पास आंकड़े हैं ?

†**श्री करमरकर** : क्षय रोग सर्वेक्षण में हम ने देखा कि दिल्ली शहर में क्षयरोगियों की संख्या प्रति हजार बीस है और छूत के रोगी प्रतिहजार चार हैं। एक लाख में ४०० इन्फेक्शस टाइप के हैं। माननीय सदस्य अन्दाजा लगा सकते हैं कि २६ लाख म कितने होंगे।

अनुमान यही है लेकिन मैं सभा को बताना चाहता हूं कि क्षय रोग के अस्पतालों और चिकित्सालयों में १९५९ में वास्तव में १८,९२५ रोगियों का इलाज किया गया।

†**श्री राधा रमण** : इस बात को देखते हुए कि दिल्ली में क्षय रोग तेजी से बढ़ रहा है और उपलब्ध सुविधायें बहुत ही कम हैं क्या माननीय मंत्री किसी ऐसी योजना पर विचार कर रहे हैं जिस से कम से कम उस का निरोधात्मक भाग शीघ्र कार्यान्वित हो जाये ?

†**श्री करमरकर** : माननीय मंत्री ने एक योजना तैयार की थी। हम यथासंभव प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिये मैंने गैर-सरकारी संगठनों तथा प्रतिनिधियों से यथासंभव प्रयत्न करने और मुहल्ला समितियां बनाने की अपील की थी। हम यथा संभव प्रयत्न करेंगे लेकिन सरकार सार्वजनिक सहयोग के बिना कुछ नहीं कर सकती। दिल्ली के माननीय सदस्य से मेरी अपील है कि वे मुहल्ला समितियां बनायें और हम मुफ्त दवायें दे कर उन्हें यथासंभव मदद करने की कोशिश करेंगे।

†**श्री च० कृ० नायर**: क्या महरौली में क्षय रोग अस्पताल के विस्तार की कोई योजना है ?

†**श्री करमरकर** : हम ने एक महीने पहले शय्याओं की संख्या ५०—१०० तक बढ़ाने के लिये २ लाख रुपये का अनुदान दिया है।

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो स्कीम्ज आज-कल मन्जूर की गई है, उन पर कुल कितना खर्च हो रहा है और क्या केन्द्रीय सरकार वह पूरा खर्च वहन कर रही है।

श्री करमरकर : केन्द्रीय सरकार ही खर्च कर रही है, क्योंकि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में यहां से ही पैसा जाता है। कुल कितना खर्च होता है, इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री नवल प्रभाकर : क्या यह सच है कि सिल्वर जुबिली हास्पिटल में बहुत से बैड्स खाली होते हुए भी मेरीजों को वहां स्थान नहीं दिया जाता है और क्या माननीय मंत्री जी ने कभी कष्ट कर के वहां जाने की कृपा की है ?

श्री करमरकर : यह ताज्जुब की बात है। मैं इस बारे में और भी दर्याफ्त करूंगा : अगर यह सत्य है कि बैडस वैकेंट होने पर भी पेशेन्ट्स को नहीं दिये जाते, तो यह चीज ठीक नहीं है। लेकिन यह सम्भव भी नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बासप्पा :** क्या माननीय मंत्री को मालम है कि मैसूर में क्षय रोग के रिहायशी इलाज के बारे में सघन अनुसन्धान हो रहा है और क्या दिल्ली में उस का प्रयोग करने का कोई विचार है ?

†**श्री करमरकरः** जी हां । सभा को मालूम है कि राष्ट्रीय क्षय रोग प्रशिक्षणशाला की ओर से इस विषय में कुछ काम किया जा रहा है यह काम किस प्रकार फैलाया जाय इस का निर्णय करना राज्य सरकारों पर निर्भर है और हमें यथासंभव सहायता देने में प्रसन्नता होगी ।

†**अध्यक्ष महोदय :** दिल्ली में राज्य सरकार कहां है ?

†**श्री करमरकर :** मैं दिल्ली के बारे में नहीं कह रहा हूं । बंगलौर मैसूर राज्य में है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्हों ने बंगलौर को सहायता देने के ख्याल से बंगलौर का उल्लेख नहीं किया था उन्हों ने कहा कि बंगलौर में उन्हों ने रिहायशी इलाज शुरू किया है और यह पूछा कि यहां उस का प्रयोग क्यों न किया जाये ।

†**श्री करमरकर :** मैंने ठीक उलटा सोचा चूंकि मैंने यह कहा कि यहां हम दिल्ली में निःशुल्क दवाओं की कोशिश कर रहे हैं, वह चाहते थे कि वहां भी यह कोशिश की जाये ।

†**श्री बासप्पा :** रिहायशी इलाज के संबंध में कुछ अन्तर्राष्ट्रीय संगठन अनुसन्धान कार्य कर रहे हैं । क्या दिल्ली में भी ऐसा रिहायशी इलाज लाभदायक न होगा ?

†**श्री करमरकर :** बंगलौर में वे जो कुछ कर रहे हैं वह अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की सहायता से राष्ट्रीय क्षयरोग प्रशिक्षणशाला बनाने के लिए, न कि एक अनुसन्धान शाला बनाने के लिए कर रहे हैं । रिहायशी इलाज के लिए कोई अनसन्धान की आवश्यकता नहीं होती । रोगी जहां हो वहीं उसका इलाज करना होता है ।

उत्तर-रेलवे में विभागीय भोजन-व्यवस्था

†*१७२६. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलव की विभागीय भोजन-व्यवस्था का विस्तार करने की किसी प्रस्थापना पर विचार किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो १९६१–६२ में इस प्रयोजन के लिए किन स्टेशनों को चुना जा रहा है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) और (ख). नीति यह है कि ज्यों-ज्यों आवश्यकता होगी त्यों त्यों सभी महत्वपूर्ण स्टशनों पर विभागीय भोजन व्यवस्था की जायेगी । १९६१–६२ में उत्तर रेलवे के अन्य स्टेशनों पर विभागीय भोजन व्यवस्था करने के लिए कोई खास कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया है ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी:** अभी फिलहाल उत्तर रेलवे में कितने प्रतिशत भोजन व्यवस्था विभाग की ओर से की जाती है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** उत्तर रेलवे में केवल नौ स्टशनों पर विभागीय भोजन व्यवस्था है । यह बहुत ही कम प्रतिशत भाग है ।

---

†मूल अंग्रजी में

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** सभी स्टेशनों पर विभागीय भोजन व्यवस्था करने में कितना समय लगेगा, दो साल या पांच साल ?

†**श्री शाहनवाज खां** : विभागीय भोजन व्यवस्था का संपूर्ण उद्देश्य ठेकेदारों के लिए एक प्रतियान पेश करना है जिसका वे अनुकरण कर सकें। सभी जगह विभागीय व्यवस्था करने का उसका विचार नहीं है।

देहरादून के निकट रेलवे लाइन पर से फिश-प्लेटों का हटाया जाना

+

†*१७२७. { **श्री प्र० चं० बरुआ :** **श्री आचार :** }

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ८ अप्रैल, १९६१ को अथवा इसके आस पास देहरादून से २३ मील दूर रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे लाइन की फिश-प्लेटें गायब थीं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सन्देह है कि यह एक विध्वंसक कार्यवाही है।

(ग) क्या इस सिलसिल में तहकीकात की गयी है ; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी हां। ६ अप्रैल, १९६१ की सुबह इस घटना का पता लगा जब कि देहरादून से लगभग ३६.८ किलोमीटर की दूरी पर रेलव लाइन के ४ जोड़ से फिश प्लेट, बोल्ट और नट गायब पाये गये।

(ख) से (घ). पुलिस अभी जांच पड़ताल कर रही है और जब तक कि उसकी रिपोर्ट न मिल जाये, अंतिम निर्णय नहीं किया जा सकता ?

†**श्री बासप्पा** : क्या यह सच नहीं है कि सिलिगुडी में भी अभी हाल की घटना में फिश प्लेटें हटा दी गयी थीं। इस बात की ओर ध्यान देने के लिए कि ये फिश प्लेटें कायम रहें और उनकी निगरानी के लिए कुछ चौकीदार रख जायें, क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** सिलिगुडी दुर्घटना से इसका कोई संबंध नहीं है जिसके बारे में सरकारी रेलव-निरीक्षक जांच पड़ताल कर रहा है। रेलवे लाइन पर निगरानी रखने के लिए गैंगमैन होते हैं और उनसे उम्मीद की जाती है कि वे अपना काम करें।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** इस बात को देखते हुए कि इस मामले में उपद्रव की आशंका है क्या सरकार रिपोर्ट शीघ्र तैयार करवाने के लिए कुछ न करेगी ताकि दूसरे लोगों को भी चेतावनी मिले ? इसमें इतनी देर क्यों हो रही है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** अभी इस मामले में पुलिस की जांच चल रही है। हम उन्हें जल्दी करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते ।

†मूल अंग्रेजी में

†श्री भक्त दर्शन : माननीय मंत्री ने अभी बताया कि कोई अंतिम निर्णय नहीं हुए हैं। तो क्या वह कोई अस्थायी निर्णय पर पहुंचे हैं?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : अभी स्थायी या अस्थायी कुछ नहीं है।

चावल का उत्पादन

†*१७२८. श्री ब्रजराज सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष ३ करोड़ ३७ लाख टन चावल का उत्पादन हुआ है और इससे पहले इतना अधिक उत्पादन कभी नहीं हुआ ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार देश में चावल के लाने ले जाने में रियायत देने के सम्बन्ध में अपनी नीति पर पुनर्विचार करेगी ;

(ग) क्या चावल की जोन-पद्धति में शीघ्र ही परिवर्तन किया जायेगा ;

(घ) यदि हां, तो क्या परिवर्तन किये जायेंगे; और

(ङ) चावल के इस अभूतपूर्व उत्पादन का देश में चावलों की कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां।

(ख) से (घ). सरकार समीपवर्ती कमी वाले तथा बहुतायत वाल राज्यों को जोड़कर वर्तमान चावल क्षत्रों की सीमा बढ़ाने की नीति अपना रही है। उसी नीति के अनुसार उड़ीसा पश्चिम बंगाल चावल क्षेत्र बनाया गया है और मध्यप्रदेश क्षेत्र की व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। फिर भी इस दशा में वर्तमान चावल क्षेत्रों में कोई बहुत व्यापक फेर बदल करने का विचार नहीं है।

(ङ) अधिकतर राज्यों में पिछले साल की अपेक्षा इस साल चावल का भाव कम है।

†श्री ब्रजराज सिंह : पिछले साल की तुलना में इस साल कीमतें कितनी कम हैं?

†श्री अ० म० थामस : इस साल चावल के थोक मूल्य का सूचनांक १०१.१ है जब कि पिछले साल उसी अवधि के लिए सूचनांक १०७.८ था।

†श्री ब्रजराज सिंह : खाद्य उत्पादन और देश में अनाज मिलने की स्थिति बराबर सुधरती देखकर क्या माननीय मंत्री कृषि वस्तुओं के लिए मूल्य निर्धारण बोर्ड नियुक्त करने के बारे में किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचे हैं?

†श्री अ० म० थामस : मुझे इस प्रश्न पर आश्चर्य है। मंत्रालय की मांगों पर बहस के दौरान ये सभी बातें पूछी गयीं थीं और माननीय मंत्री ने उनका जवाब भी दिया था। यह सवाल कई बार पूछा गया है। मैं नहीं समझता कि प्रश्नकाल में यही सवाल फिर पूछा जा सकता है।

†श्री वें० ईयाच्चरण : क्या केरल में फुटकर भाव बाहर की अपेक्षा कुछ अधिक है?

†श्री अ० म० थामस : जी हां। केरल में इस अवधि में कीमतें पिछली साल की तुलना में ऊंची थीं। वह मुख्यत: लाने-ले जाने की कठिनाई के कारण था। लेकिन अब स्थिति सुधर रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : चावल की यह अच्छी फसल किस हद तक अच्छे मौसम वर्षा आदि के कारण थी और किस हद तक वह खेती के अधिक अच्छे तरीकों के कारण थी और अगले साल तथा भविष्य की फसलों की क्या सम्भावनाएं हैं ?

†**श्री अ० म० थामस** : यह बताना कठिन है कि वह किस हद तक अच्छे मौसम के कारण थी और किस हद तक अधिक उन्नत तरीकों के कारण थी। लेकिन जो भी हो वह अच्छे मौसम तथा अच्छे तरीकों का सम्मिलित प्रभाव है ।

†**श्री शिवनंजप्पा** : दक्षिण के कमी वाले राज्यों में चावल उत्पादन का क्या भविष्य है ?

†**श्री अ० म० थामस** : उत्पादन कम नहीं हुआ है लेकिन पिछल कुछ वर्षों में जो प्रगति वहां हो रही है उसके अनुसार वह बढ़ नहीं रहा है ।

राज्यों में सड़क परिवहन निगम

†*१७२९. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने प्रत्येक राज्य में एक सड़क परिवहन निगम स्थापित करने की प्रस्थापना के बारे में अपने विचार बताये हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य के क्या विचार हैं ; और

(ग) किन राज्यों ने इस प्रस्थापना को क्रियान्वित किया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग) आवश्यक जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) से (ग). आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब (पेप्सू क्षेत्र) और पश्चिम बंगाल में सड़क परिवहन निगम पहले ही स्थापित किये जा चुके हैं। मध्य प्रदेश, मैसूर और उड़ीसा की सरकारों तथा त्रिपुरा प्रशासन का तीसरी योजना की अवधि में एसे निगम स्थापित करने का विचार है । केरल और राजस्थान सरकारों ने जिनका ऐसे निगम स्थापित करने का अभी तक कोई विचार नहीं था, इस सवाल पर नये सिरे से विचार करना मंजूर कर लिया है । अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमह, हिमाचल प्रदेश और मनीपुर में विशेष परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें सड़क परिवहन निगम स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है । असम, मद्रास, पंजाब और उत्तर प्रदेश सरकारें सड़क परिवहन निगम स्थापित करना नहीं चाहतीं । इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की नीति के अनुरूप कार्य करने के लिए इन राज्यों को राजी कराने के लिए प्रयत्न किय जा रहे हैं ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : विवरण में बताया गया है कि जिन राज्यों में सड़क परिवहन निगम नहीं हैं उन्हें इस बात के लिए राजी कराने की कोशिश हो रही है कि वे इस विषय में केन्द्रीय सरकार की नीति के अनुरूप काम करें । क्या नियोगी समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए परिवहन निगमों के रूप के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहूंचने के लिए नियोगी समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा करने का सरकार का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री राज बहादुरः नियोगी समिति ने इस विषय में पहले ही अपनी राय जाहिर की है कि राज्य परिवहन उपक्रम निगमों के तौर पर चलाये जाने चाहिये। योजना आयोग ने भी उस पर विचार किया है। इस प्रश्न पर योजना आयोग तथा नियोगी समिति की राय सर्वविदित है। हम चाहते हैं कि रेल-सड़क समन्वय के लिए यह निगम बनाये जायें।

†श्री रामकृष्ण गुप्त : विवरण से यह दिखाई पड़ता है कि असम, मद्रास, पंजाब और उत्तर प्रदेश सरकारें सड़क परिवहन निगम स्थापित करना नहीं चाहतीं। क्या इन राज्य सरकारों ने खासकर पंजाब सरकार ने, यह प्रस्ताव अस्वीकार करने के कारण बताये हैं ?

†श्री राज बहादुर : सामान्यतया उन्होंने इस नीति से सहमत न होने की राय जाहिर की है क्योंकि उनका कहना है कि उनकी वर्तमान व्यवस्था अच्छी और सुविधाजनक है। इसके अलावा एक सवाल यह है कि इन उपक्रमों को निगम में बदलने के बाद उन्हें केन्द्रीय सरकार को आयकर देना होगा और यह भी एक कारण है।

†श्री दी० चं शर्मा : क्या सरकार के पास सड़क परिवहन निगम का कोई नमूना है या प्रत्येक सरकार को अपना ही नमूना कायम करने के लिए कहा जाता है ?

†श्री राज बहादुर : सड़क परिवहन निगम अधिनियम बना हुआ है और उसके उपबन्धों के आधार पर ही अधिकतर निगमों के संगठन कायम किये जाते हैं।

†श्री मं० र० कृष्ण : क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने अपने क्षेत्र में सड़क परिवहन व्यवस्था के विस्तार के लिए कोई प्रार्थना की है। चूंकि तेलंगाना की सभी सड़कों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है, क्या आन्ध्र की सभी सड़कों का राष्ट्रीयकरण करने के उद्देश्य से उस सरकार ने कोई सहायता मांगी है ?

†श्री राज बहादुर : ऐसी प्रार्थनाएं समय समय पर आती रहती हैं।। मुझे याद है कि करीब एक या दो साल पहले कृष्णा जिला परिवहन के बारे में हमारे पास एक प्रार्थना पहुंची थी। लेकिन वह धीरे धीरे किया जा रहा है।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : माननीय मंत्री ने बताया कि अधिक अच्छे रेल-सड़क समन्वय के लिए निगम बनाया जाना चाहिये। क्या यह रेल-सड़क समन्वय उस समय अच्छी तरह नहीं हो सकता जब कि वह विभाग की ओर से चलाया जाय ? क्या यह सच नहीं है कि राज्य सरकार जब निगम नहीं बनाती तब उसे वित्तीय सहायता न देकर केन्द्रीय सरकार उस पर दबाव नहीं डालती ?

†अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही के लिए सुझाव है। माननीय सदस्यों के अपने अपने दृष्टिकोण हो सकते हैं। हम प्रश्न-काल में उनकी चर्चा नहीं कर सकते। माननीय सदस्य का सुझाव यह है कि सारी चीज निगम को सौंपने के बजाय उसका राष्ट्रीयकरण क्यों न कर दिया जाये ? क्या इस सम्बन्ध में अधिनियम पास नहीं किया गया है ?

†श्री राज बहादुर : जी हां। एक अधिनियम पास हुआ है। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने पूछा कि यदि उपक्रम विभाग की ओर से चलाया जाये तो क्या वह नहीं किया जा सकता ? उसका उत्तर यह है कि जो योजना बनायी गयी है उसके अधीन रेलवे पूंजी निदेश में लगभग २५ से ४० प्रतिशत तक हिस्सा देगी और यह भी एक कारण है कि उन्हें इसमें दिलचस्पी होती है।

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली और मद्रास के बीच विशेष गाड़ियां

†*१७३०. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल और जून, १९६१ के बीच की अवधि में दिल्ली और मद्रास के बीच विशेष गाड़ियां चलायी जायेंगी ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ;

(ग) क्या इस अवधि में इस लाइन पर यातायात में वृद्धि होने की आशा है ; और

(घ) यदि हां, तो कितनी वृद्धि होने का अनुमान है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां, अप्रैल से जुलाई, १९६१ के दौरान ।

(ख) २२ विशेष गाड़ियां, अप्रैल से जून के दौरान नई दिल्ली से मद्रास तक ११ और जून तथा जुलाई, १९६१ के दौरान मद्रास से नयी दिल्ली तक ११ गाड़ियां चलाने का विचार है बशर्ते कि यात्रियों की संख्या पर्याप्त हो । जो विशेष गाड़ियां वास्तव में चलायी जायेंगी उनका पहले से ही आवश्यक प्रचार किया जायेगा ।

(ग) और (घ) गत वर्ष अप्रैल से जून के बीच नयी दिल्ली से मद्रास तक और जून तथा जुलाई के बीच मद्रास से नयी दिल्ली तक ऊंचे दर्जे के यात्रियों की संख्या के आधार पर विशेष गाड़ियां चलाने की व्यवस्था की जा रही है । पिछले वर्ष इस अवधि में पहले दर्जे की ४३५४ सीटों की मांग के मुकाबले में, नई दिल्ली से मद्रास तक केवल २६५१ सीटें दी जा सकीं । दूसरी तरफ, ६१५६ सीटों की मांग के मुकाबले में पहले दर्जे के ४२८८ सीटें मद्रास से नई दिल्ली तक दी जा सकीं ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या रेलवे के इस सेक्शन में यात्रियों का दबाव सब से अधिक है ताकि ये विशेष गाड़ियां चलाने की आवश्यकता हो ?

†**श्री शाहनवाज खां** : जी हां । पिछले साल हमने विशेष गाड़ियां चलायीं और इस साल दिल्ली से मद्रास और मद्रास से दिल्ली तक २२ विशेष गाड़ियां चलायीं ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ**: क्या इसी प्रकार की परिस्थितियों में देश के अन्य भागों में इसी तरह की विशेष गाड़ियां चलायी जायेंगी ?

†**श्री शाहनवाज खां** : बम्बई से कोचीन बन्दरगाह तक हॉलिडे स्पेशल गाड़ियां चलाने का भी विचार है ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : इस बात को देखते हुए कि इतने अधिक छात्र इन विशेष गाड़ियों में जा रहे हैं, क्या इन छात्रों को कोई विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं ?

†**श्री शाहनवाज खां** : जी हां, सभी संभव सुविधाएं दी जा रही हैं और बम्बई से दक्षिण भारत के लिए विशेष गाड़ियां चलायी जा रही हैं ।

†**श्री आचार**: इस बात को देखते हुए कि पिछले साल इन विशेष गाड़ियों में भोजन व्यवस्था के बारे में काफी शिकायत थी, क्या यह विभाग इस स विषय में कुछ कर रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शाहनवाज खां** : जी हां। हम पिछले साल से सबक सीख रहे हैं और भोजन व्यवस्था के लिये विशेष प्रबन्ध कर रहे हैं और गाड़ियां ठीक समय से चलने तथा इन विशेष गाड़ियों में दी जाने वाली अन्य यात्री सुविधाओं के बारे में भी व्यवस्था की जा रही है।

†**श्री सुब्बैया अम्बलम्** : इस बात को देखते हुए कि यात्रियों की संख्या बराबर बढ़ती जा रही है और दक्षिण जाने वाली गाड़ियों में, खासकर दिल्ली से दक्षिण की ओर जाने वाली एक ही गाड़ी होने के कारण, बहुत भीड़ होने की वजह से क्या सरकार उस लाइन पर कोई एक्सप्रेस या मेल गाड़ी चलाने के लिए उचित कार्यवाही करेगी ?

†**श्री शाहनवाज खां** : वह एक अलग सवाल है जिस पर बाद में विचार किया जाएगा। लेकिन यह खास भीड़ दूर करने के लिए हम विशेष गाड़ियां चलाते हैं और वर्तमान गाड़ियों की वहन क्षमता भी बढ़ाते हैं।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : माननीय मंत्री को मालूम होना चाहिए कि इस मौसम में प्रति दिन करीब पांच या छः घंटों तक कतारों (क्यू) को प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इन गाड़ियों को नियमित रूप से चलाने या कम से कम और अधिक गाड़ियां चलाने के लिए कोई कार्यवाही की जायेगी ?

†**श्री शाहनवाज खां** : जैसा कि मैंने बताया, हम अपने भरसक कोशिश कर रहे हैं।

†**श्री त्यागी**: इन गाड़ियों पर जो मुनाफा या नुकसान हुआ उसका हिसाब लगाने की कोई कोशिश की गयी थी और यदि हां, तो औसतन ये गाड़ियां नुकसान पर या लाभ पर चल रही हैं ?

†**श्री शाहनावज खां** : मैं समझता हूं कि रेलवे का खर्च निकल गया है।

प्रश्नों खे लिखित उतर

परदीप पत्तन

†*१७१३. **श्री पांगरकर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी गैर-सरकारी विदेशी सार्थ ने परदीप पत्तन का विकास करने में भारत की सहायता करने की इच्छा प्रकट की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राजबहादुर)** : (क) दो विदेशी फर्मों, अर्थात् इटली की डा० इंग ग्योवान्नी गलान्टे एण्ड कम्पनी और पनामा की इन्टरनेशनल डिवेलपमैन्ट फाइनेन्सिंग कारपोरेशन ने परदीप पत्तन के विकास के लिये सहायता का प्रस्ताव किया है।

(ख) पहली फर्म के सुझाव प्रविधिक दृष्टि से उचित नहीं समझे गये। उनकी वित्तीय शर्तों को भी उपयुक्त नहीं समझा गया है। दूसरे सुझाव पर विचार किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिमाचल प्रदेश में पंचायती सम्मेलन

†१७१७. **श्री पद्म देव** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६० में हिमाचल प्रदेश में कितने पंचायती सम्मेलन हुए ;

(ख) इन सम्मेलनों में सरकार ने क्या-क्या सुविधायें प्रदान कीं ; और

(ग) इन सम्मेलनों का प्रायः क्या कार्यक्रम होता है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति) : (क) १९६० में ४ जिला पंचायत और ७ तहसील पंचायत सम्मेलन किए गए ।

(ख) पंचायतों को सम्मेलन संगठित करने के लिए अनुदान दिया गया ।

(ग) ऐजन्डा सामान्यतः पंचायतों के कार्यों में आने वाली कठिनाईयों और उनके सुधारने के तरीकों से सम्बन्धित रहा ।

हुगली नदी में मिट्टी का जमा हो जाना

†*१७१८. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता पत्तन आयुक्त ने अभी हाल में अणु शक्ति विभाग से अपने विशेषज्ञों की सेवायें उपलब्ध करने के लिये कहा है ताकि वे हुगली नदी में मिट्टी जमा हो जाने और रेत की दीवारें खड़ी हो जाने के बारे में अनुसन्धान कार्य में आइसोटोप की सहायता से मदद दें ;

(ख) क्या कलकत्ता पत्तन आयुक्त के अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो कितने विशेषज्ञ कलकत्ता जायेंगे ; और

(घ) अनुसन्धान कार्य के कब शुरू होने की सम्भावना है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राजबहादुर)** : (क) से (ग). हुगली में मिट्टी जमा हो जाने की समस्या पर विचार करने के लिये आइसोटोप के अनुसन्धान कार्य को करने में सहायता प्राप्त करने के लिये आणविक शक्ति आयोग पर दो विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रबन्ध कर लिया गया है । पहले इसके लिये एक अग्रिम प्रयोग का प्रबन्ध किया गया है ।

(घ) अग्रिम प्रयोग २६ अप्रैल, १९६१ को प्रारम्भ किया जायेगा और वह ५ मई, १९६१ को पूरा होगा ।

खाद्यान्न के नौवहन का भाड़ा

†*१७२२. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पब्लिक ला ४८० के अन्तर्गत प्राप्त खाद्यान्न को संयुक्त राज्य अमरीका से भारत लाने लिए भारतीय और संयुक्त राज्य अमरीका के जहाजों के भाड़े में क्या अन्तर है ; और

(ख) यदि कोई अन्तर है, तो उसके क्या कारण हैं ?

---

†मल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) अमरीकन जहाजों (यू० एस० फ्लैगशिप्स) का भाड़ा और अमरीकन जहाजों (नान-यू०एस० फ्लैग शिप्स) के भाड़े की तुलना में बहुत अधिक होता है। भारतीय जहाजों को गैर-अमरीकन जहाजों (नान-यू० एस० फ्लैगशिप्स) दर के अनुसार भाड़ा दिया जाता है। इस समय अमरीकन जहाजों (यू० एस० फ्लैगशिप्स) के भाड़े अन्य जहाजों की तुलना में २-१।२ गुणा है, परन्तु जहां तक पी० एल०-४८० के अधीन भारत को आने वाले अन्न का सम्बन्ध है, दोनों देशों के बीच का अन्तर अमरीकन सरकार द्वारा अपनी ओर से वहन किया जायेगा ?

(ख) भारत सरकार इसके कारण नहीं बता सकती। परन्तु फिर भी जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, यह अन्तर भारत सरकार द्वारा वहन नहीं किया जा रहा है।

रेलवे डाक सेवा के जोन

†*१७२४. **श्री राम गरीब** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समूचे भारत में रेलवे डाक सेवा के पृथक जोन बनाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन विदेशी डाकघरों (फारेन पोस्ट आफिसेज़) की क्या स्थिति है, जो इस समय रेलवे डाक सेवा के एकक हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ विदेशी डाकघर स्वतन्त्र एकक हैं किन्तु ऐसे अन्य डाकघर डाक विभाग अथवा रेलवे डाक सेवा के एकक हैं ;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या सभी विदेशी डाकघरों को एक पृथक जोन के अन्तर्गत लाने का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन्)** : (क) तीन जोन स्थापित किये गये हैं जिन के हेडक्वार्टर मद्रास, बम्बई और लखनऊ में हैं। बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और आसाम के क्षेत्रों के पूर्वी जोन को इस योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है।

(ख) विदेशी डाक घर इस योजना में नहीं आते।

(ग) और (घ). बम्बई विदेशी डाक घर एक स्वतंत्र यूनिट है। दिल्ली का विदेशी डाक घर रेलवे डाक सेवा के दिल्ली सर्कल का एक यूनिट समझा जाता है। यह मनीआर्डर का कार्य नहीं करता। अन्य विदेशी डाक घर मनीआर्डर का भी काम करते हैं। बम्बई विदेशी डाक घर सबसे बड़ा है और सबसे अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है। अतः उसे एक अलग यूनिट समझा जाता है।

(ङ) जी, नहीं।

दिल्ली में सड़क दुर्घटनाएं

†३७८३. { **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री पांगरकर :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ में दिल्ली में प्रत्येक मास में कुल कितनी सड़क दुर्घटनाएं हुई थीं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन में से कितनी दुर्घटनाएं दिल्ली परिवहन उपक्रम की बसों से हुई थीं ;

(ग) इन के परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति अपंग हो गए थे अथवा मारे गये थे ;

(घ) इन दुर्घटनाओं में कितने साईकिल सवार मरे थे ;

(ङ) इन दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार मोटर ड्राइवरों को दी गई सज़ा का ब्यौरा क्या है ;

(च) क्या सड़क दुर्घटनाएं अपेक्षाकृत बढ़ती जा रही है ; और

(छ) यदि हां, तो दुर्घटनाएं बढ़ने के मूल कारण क्या हैं ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :

(क)	अप्रैल	१९६०	३९४
	मई	१९६०	३९१
	जून	१९६०	३४८
	जुलाई	१९६०	३५२
	अगस्त	१९६०	३७८
	सितम्बर	१९६०	३७७
	अक्तूबर	१९६०	४३५
	नवम्बर	१९६०	४४०
	दिसम्बर	१९६०	४४३
	जनवरी	१९६१	४६१
	फरवरी	१९६१	४०४
	मार्च	१९६१	४२०
		कुल	४८४३

(ख) ११४७ ।

(ग) १६२३ व्यक्ति अस्थाई रूप से अपंग हो गए थे, १३९ व्यक्ति स्थाई रूप से अपंग हो गए थे, १५९ व्यक्ति मारे गए थे ।

(घ) ३८ ।

(ङ) ९७ व्यक्तियों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा २७९/३३७/३३८ के अधीन, २२ व्यक्तियों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३०४(क) के अधीन और १३१ व्यक्तियों को मोटर गाड़ी अधिनियम १९३९ की धारा १२३ के अधीन दण्ड दिया गया था ।

(च) जी हां ।

(छ) सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि के निम्नलिखित कारण हैं :—

(१) मोटर गाड़ियों और भारी गाड़ियों की संख्या में वृद्धि ।

(२) ड्राइवरों द्वारा अत्याधिक तीव्र गति/असावधानी से चलाना ।

†मूल अंग्रेजी में

(३) ड्राइवरों द्वारा निर्धारित गति की अपेक्षा अधिक गति से चलाना।

(४) मोटर चलाने वालों द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन।

(५) विभिन्न प्रकार के वाहनों अथवा साइकलों, टांगों, बैल गाड़ियों तथा हथ-रेढ़ों आदि का चलना।

चंडीगढ़ में टेलीफोन कनेक्शन

†३७८४. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय चंडीगढ़ में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये कितने आवेदन पत्र अनिर्णीत पड़े हुए हैं; और

(ख) शीघ्र ही टेलीफोन कनैक्शन देने के लिये क्या क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन्)** : (क) २८-२-६१ को ५२१;

(ख) १२०० लाइनों के की क्षमता के वर्तमान टेलीफोन एक्सचेंज का और अधिक विस्तार करने का विचार है जिस से ८०० और अधिक लाइनों की व्यवस्था की जा सकेगी, इह के अतिरिक्त सचिवालय की इमारत में एक और एक्सचेंज स्थापित करने का विचार है। दोनों ही बातें स्थान की उपलब्धि पर निर्भर करती हैं और इस सम्बन्ध में व्यवस्था की जा रही है।

उत्तर रेलवे के बीकानेर डिवीजन में भ्रष्टाचार के मामले

†३७८५. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६०-६१ में उत्तर रेलवे के बीकानेर डिवीजन में रेलवे कर्मचारियों द्वारा कितने और किस किस प्रकार के भ्रष्टाचार किये गये थे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (१) २९ मामले। (२) निम्न लिखित प्रकार के मामले किये गये ;

(क) आय के ज्ञात साधनों के अनुपात से अधिक धन का संग्रह;

(ख) रिश्वत स्वीकार करना।

(ग) धोखादेही।

(घ) सरकारी धन का गबन

(ङ) रिकार्डों में अदल बदल।

(च) रेलवे पासों का दुरुपयोग; और

(छ) रेलवे की सामग्री तथा मजदूरों का दुरुपयोग।

दिल्ली जंकशन के निकट 'डायमंड क्रासिंग'

†३७८६. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया है कि दिल्ली मेन स्टेशन के निकट डायमंड क्रासिंग नामक लेबल क्रासिंग के कारण यातायात में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या उन कठिनाइयों को दूर करने का कोई विचार है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**) : (क) और (ख). माननीय सदस्य संभवतः दिल्ली मेन स्टेशन के निकट बड़ी लाइन और मीटर लाइन के क्रासिंग के कारण उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों की ओर संकेत कर रहे हैं। इन कठिनाइयों की ओर रेलवे का ध्यान आकर्षित किया गया है और सरकार मीटर लाइन की सवारी गाड़ियों के ठहरने के लिये नई दिल्ली में मीटर लाइन का एक नया स्टेशन बनाने की योजना पर विचार कर रहे हैं।

महाराष्ट्र में कृषि विकास

†**३७८७. श्री पांगरकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६०–६१ में केन्द्रीय सरकार द्वारा महाराष्ट्र सरकार को कृषि के विकास के लिये कितनी राशि दी गई है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ८]** मंजूर की गई राशि अस्थायी है और अन्तिम राशि की व्यवस्था १९६०-६१ में राज्य सरकार द्वारा किये गये वास्तविक खर्च के आधार पर की जायेगी।

महाराष्ट्र में ग्राम्य जल संभरण तथा स्वच्छता योजनायें

†**३७८८. श्री पांगरकर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में महाराष्ट्र के ग्राम्य जल संभरण तथा स्वच्छता योजना की कार्यान्विति के लिये कुल कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : १९०.२४ लाख रुपये।

कोल्हापुर के लिये जल निस्सारण योजना

†**३७८९. श्री पांगरकर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापुर के लिये नालियों के निर्माण के लिये कोई योजना और प्राक्कलन प्रस्तुत किया है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस योजना के लिये कोई राशि मंजूर की है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी राशि ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ?

पंजाब में डाक तथा तार घर

†**३७९०. श्री हेमराज** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में पंजाब में कुल कितने डाक घर, उप-डाकघर, तारघर और सार्वजनिक टेलीफोन स्थापित किये गये; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) तृतीय पंचवर्षीय योजना में पंजाब में ऐसे कितने डाक तथा तार घर खोलने का विचार है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन्) : (क) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ? **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबंध संख्या ९]**

(ख)	डाकघर	९७२
	तार घर	२६
	सार्वजनिक टेलीफोन	२७

पंजाब में डाक तथा तार घर

†३७९१. श्री हेमराज : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पंजाब में कितने ब्रांच डाकघरों तथा विभागातिरिक्त डाक घरों को पदोन्नत किया गया है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० पा० सुब्बरायन) : सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबंध संख्या १०]**

पंजाब में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

†३७९२. श्री हेमराज : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) १९६१–६२ में पंजाब में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार है; और

(ख) पंजाब में पहाड़ी क्षेत्रों में कितने केन्द्र खोलने का विचार है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) २८ ।

(ख) १

हिमाचल प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

†३७९३. श्री हेमराज : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६१–६२ में हिमाचल प्रदेश में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का विचार है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : कोई भी नहीं ।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के उप-प्रधान

†३७९४. श्री वें० प० नायर : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के उप-प्रधान को नियुक्त करने का क्या आधार है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सरकार का दृष्टिकोण यह है कि उस स्थान पर केवल किसी भारतीय असैनिक सेवा या भारतीय प्रशासन सेवा के पदाधिकारी को ही नियुक्त किया जाये भले ही उसे अनुसन्धान के सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञान प्राप्त न हो ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् का उप-प्रधान (वाइस प्रेसीडेंट) परिषद् का प्रमुख (प्रशासन पदाधिकारी) प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर होता है। इस स्थान के लिये उन लोगों के सम्बन्ध में विचार किया जाता है जिन्हें प्रशासनिक अनुभव प्राप्त हो या जिन्हों ने कृषि की किसी भी शाखा में विशेष ज्ञान प्राप्त किया हो ।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उपसभापति के कार्य मुख्य रूप से प्रशासनिक होते हैं । प्रविधिक क्षेत्र में उसकी सहायता कृषि आयुक्त तथा पशु चिकित्सा आयुक्त द्वारा की जाती है । वे व्यक्ति उच्च कोटि के विशेषज्ञ हैं । इसलिये यह आवश्यक नहीं है कि उप सभापति के स्थान पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति को कृषि या पशु पालन अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का अनुभव प्राप्त हो ।

मछुवों में परिवार नियोजन

†३७९५. श्री वें० प० नायर : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के मछुवों में परिवार नियोजन योजना का प्रचार करने के लिये भारत सरकार ने विशेष रूप से क्या उपाय किये हैं ; और

(ख) क्या भारत सरकार को मछुवों में बाल मृत्यु के सम्बन्ध में कोई जानकारी है और यदि हां, तो इसका क्या ब्योरा है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) न ही केवल मछुवों में अपितु सभी प्रकार के व्यक्तियों में परिवार नियोजन योजना का प्रचार किया जा रहा है ।

(ख) जी, नहीं ।

डाक तथा तार विभाग में स्टेनोग्राफर

†३७९६. श्री . कुम्भार : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग के डायरेक्टरों, जो कि लघु डाक तथा तार सर्कलों के मुखिया हैं, से सम्बद्ध स्टेनोग्राफरों को वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार उच्च वेतन क्रम दे दिये गये हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन्) : (क) वेतन आयोग ने उनके सम्बन्ध में कोई विशेष सिफारिश नहीं की है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उर्वरक परियोजनायें

†३७९७. **श्री राजेश्वर पटेल:** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में गैर-सरकारी क्षेत्र में तीन बड़ी उर्वरक परियोजनाओं को औद्योगिक लाइसेंस दिये गये हैं ;

(ख) इन उत्पादों को कैसे बेचा जायेगा ;

(ग) क्या वर्तमान उर्वरक पूल जारी रहेगा ;

(घ) यदि हां, तो गैर-सरकारी क्षेत्र को अदा की जाने वाले कीमत के सम्बन्ध में कैसे निर्णय किया जायेगा ;

(ङ) उस पूल की ओर से किसानों से किस आधार पर कीमत ली जायेगी ; और

(च) क्या उर्वरक पूल देश में अतिरिक्त पाये जाने वाले विभिन्न किस्मों के उर्वरक के निर्यात की संभावनाओं पर विचार करेगा ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) जी, हां । तीन गैर-सरकारी पार्टियों को औद्योगिक (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अधीन लाइसेंस दिये गये हैं । ये लाइसेंस विशाखापटनम (आन्ध्र प्रदेश) , हनुमानगढ़ (राजस्थान) और मध्य प्रदेश के किसी उपयुक्त स्थान पर नाइट्रोजन सम्बन्धी उर्वरक कारखानों के लिये हैं ।

(ख) जब तक वह पूल चलता रहेगा, वह इन उर्वरकों पर नियंत्रण रखेगा और उन्हें सामान्य अभिकरणों के माध्यम से बेचता रहेगा । शेष उर्वरक स्वयं उन कारखानों द्वारा बेचे जायेंगे ।

(ग) जी हां, जब तक कुल उपलब्धि मांग की तुलना में कम रहेगी ।

(घ) गैर-सरकारी फैक्टरियों से ये उर्वरक उसी कीमत पर खरीदे जायेंगे जो कि सरकारी फैक्टरियों को उसी प्रकार के उर्वरक के लिये है ।

(ङ) राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार द्वारा उन से ली जाने वाली कीमत के अतिरिक्त विवरण खर्च को पूरा करने के लिये कुछ और राशि भी जमा कर लेगी ।

(च) फिलहाल कोई भी किस्म अतिरिक्त नहीं है । अतः प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारत की आहार सम्बन्धी एटलेस[1]

†३७९८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या स्वास्थ्य मंत्री २२ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २२९४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की आहार सम्बन्धी एटलेस तैयार करने की योजना के सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) वह कब तक तैयार हो जायेगी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) अपेक्षित जानकारी एकत्रित करने के लिये भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा नियुक्त विशेष समिति शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट दे देगी ।

(ख) आशा है कि वह एटलेस तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में तैयार हो जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Dietary atlas in India

उड़ीसा में मानसिक रोगों का अस्पताल

†३७९९. **श्री कुम्भार** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में मानसिक रोगों के अस्पताल की स्थापना के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा उड़ीसा को कोई वित्तीय तथा प्रविधिक सहायता दी गई है ;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने यह परियोजना केन्द्रीय सहायता से प्रारम्भ की है या अपनी सहायता से ; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा राज्य में मानसिक रोगों के अस्पताल की स्थापना के लिये १९६०–६१ में राज्य रैडक्रास सोसाइटी को सहायक अनुदान के रूप में सात लाख रुपये मंजूर किये हैं। रैड क्रास सोसाइटी ही उस अस्पताल को चलायेगी। राज्य सरकार सम्पूर्ण आवर्तक खर्च और ९० प्रतिशत अनावर्तक खर्च वहन करेगी। इस अस्पताल के लिये जब तक नयी इमारत तैयार नहीं हो जाती तब तक के लिये उसे भी रामचन्द्र भंज मेडिकल कालेज में ही अस्थायी रूप से चलाया जायेगा ।

मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, दिल्ली

†३८००. { **श्री भक्त दर्शन** :
श्री नवल प्रभाकर :

क्या स्वास्थ्य मंत्री २६ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १५५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली स्थित मौलाना आजाद मेडिकल कालेज के भवन-निर्माण कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है और उसके विभिन्न खंडों का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की आशा की जाती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, दिल्ली के विकृति-विज्ञान भेषज्य-विज्ञान और निरोधी तथा सामाजिक चिकिसा विभागों के लिये भवन तैयार हो चुके हैं। शेष भवनों के निर्माण की प्रगति इस प्रकार है :—

	प्रारम्भ करने की अनुमानित तिथि	पूर्ण होने की अनुमानित तिथि
१. छात्राओं के लिये छात्रावास	मार्च, १९६१	दिसम्बर, १९६२
२. छात्रों के लिये छात्रावास	जुलाई, १९६१	अप्रैल, १९६३
३. प्रशासकीय खण्ड जिसमें शरीर विज्ञान विभाग एवं पुस्तकालय आदि सम्मिलित हैं	जनवरी, १९६२	जुलाई १९६३
४. रंग मण्डल	जनवरी, १९६२	जुलाई, १९६३
५. कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	जून, १९६२	दिसम्बर, १९६३

†मूल अंग्रेजी में

दामोदर घाटी निगम अधिनियम के संशोधनों का प्रारूप

†३८०१. { **श्री रामकृष्ण गुप्त**
श्री मुहम्मद इलियास

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री १९ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १९८८ के उत्तर के सम्बध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दामोदर घाटी निगम अधिनियम में संशोधनों के प्रारूप पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) प्रारूप संशोधनों पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बृहद कलकत्ता के लिए जल संभरण तथा जल निस्सारण

†३८०२. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १९ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १९८६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वृहद कलकत्ता के जल संभरण तथा जल निस्सारण सम्बन्धी योजना के लिये वित्तीय खर्च का हिसाब लगा लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली में ट्रकों का अड्डा

†३८०३. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १९ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १९८४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दल्ली में ट्रकों और बसों के लिये एक नया अड्डा बनाने की योजना पर विचार कर लया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या व्योरा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) और (ख) मामला अभी वचाराधीन है। आशा है कि इस सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय कर दिया जायेगा ।

हिमाचल प्रदेश में फलों के लिये पेटियां बनाने की लकड़ी

३८०४. **श्री पद्म देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल में फलोत्पादन में कोई वृद्धि हुई है;

(ख) क्या इस उद्योग की वृद्धि के साथ साथ पैकिंग के लिये लकड़ी की आवश्यकता बढ़ी है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि ऊपर के भाग (क) और (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हों, तो पेटियां आदि सुलभ बनाने के लिय सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख): (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) फल उत्पादित क्षत्रों के बहुत ही नज़दीक पेकिंग लकड़ी का मौजूदा सम्भरण, उसकी मांग से कहीं अधिक है और वन रोपण का कार्य वृक्षों के गिराने के कार्य के साथ साथ हो रहा है। जब तक स्थानीय मांग को पूरा नहीं किया जाता है, उस समय तक व्यापारिक या खुली निलामी द्वारा बिक्री नहीं की जाती है और इस बात का ख्याल रखा जाता है कि कोटागढ़ जो फल उत्पादन का मुख्य केन्द्र है, में स्थित पट्टी-आरा उद्योगों की मांग प्राथम्य आधार पर चालू बाजार भावों के मुताबिक पूर्ण कर दिया जाये ।

हिमाचल प्रदेश में पौधशालायें

३८०५. **श्री पद्म देव**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल के वन विभाग के अधीन कितनी नर्सरी (पौधशालायें) हैं और कौन-कौन से पौधे लोगों को दिये जाते हैं; और

(ख) १९६०–६१ में कितने पौधे लोगों को दिये गये ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: (क) २६० नरसरियां। देवदार, अखरोट शलमद्रुम, रीठा, बबूल, देवनिम्ब, शीशम, वन्जु, वनपिप्पल, नम्रा, मुर्ग दाढ़ी, शिरीष, आड़ू, खुमानी के साथ ही साथ चारे वाले पौधे भी बांटे गये हैं ।

(ख) १,५५,५३३ पौधे ।

हिमाचल प्रदेश में सिंचाई सम्बन्धी सर्वेक्षण

३८०६. **श्री पद्म देव**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में, जहां नदियों का जाल बिछा हुआ है, कोई सिंचाई सम्बन्धी सवक्षश किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि सर्वेक्षण नहीं किया गया है, तो क्या नकट भविष्य में सर्वेक्षण करने की कोई योजना विचाराधीन है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा): **(क) से (ग)**. स्थानीय मांगों की प्राप्ति पर समय समय पर झरनों या नालों और नदियों से पानी के निकासों को प्रयोग करने के लिये छोटी सिंचाई योजनाओं के लिय सवक्षण किये जाते हैं। छोटी सिंचाई के लिये लगभग २३५ योजनाओं का सर्वेक्षण किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी भूभाग होने के कारण, केवल छोटी सिंचाई योजनायें ही हैं जो कि पहाड़ियों के कन्दरों के साथ साथ चलती हैं और जो बारहमासी झरनों और नालियों से ली हुई छोटी पानी की नालियां हैं । क्योंकि हिमाचल प्रदेश में नदियां अत्यन्त गहरी घाटियों में बहती हैं, नदियों से सिंचाई करना आर्थिक दृष्टि से मुमकिन नहीं है, इसका कारण यह है कि इस में बहुत ऊंचाई तक पानी को उठाना पड़ेगा ।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता ।

उड़ीसा में गन्ने की फसल

†३८०७. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में गन्ने की फसल सुधारने और कारखाने क्षेत्रों का विकास करने के लिये कोई योजना मंजूर की है;

(ख) यदि हां, तो मंजूर की गयी योजनाओं का क्या स्वरूप है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने आवंटित रकम को इस्तेमाल कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी रकम मंजूर की गयी और खर्च की गयी है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) जी, हां ।

(ख) उड़ीसा में दो तरह की योजनायें चल रही हैं अर्थात् (१) गन्ना विकास योजनायें और (२) गन्ना अनुसन्धान योजनायें ।

गन्ना विकास योजनायें निम्नलिखित उपायों द्वारा प्रति एकड़ अधिक उत्पादन करने, उनसे अधिक चीनी निकालने के लिये बनाई गयी हैं :

(१) अच्छी किस्म के रोग रहित बीजों का वितरण ।

(२) उचित रूप से खाद देना और अन्य अच्छे सांस्कृतिक तरीके अपनाना ।

(३) कीड़ों और रोग से फसल की रक्षा करना ।

(४) गन्ना प्रतियोगिता की व्यवस्था करना और सर्वोत्तम उत्पादकों को पारितोषिक देना ।

गन्ना अनुसन्धान योजनाओं के उद्देश्य ये हैं : (१) स्थानीय परिस्थितियों के अधीन गन्ने की खेती की समस्याओं की जांच करना और (२) गुड़ के निर्माण और भंडार का अध्ययन करना ।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) और (घ). इन योजनाओं के लिये मंजूर की गयी और खर्च की गयी धनराशि का ब्योरा निम्न प्रकार है :

(रुपयें लाखों में)

वर्ष	गन्ना विकास			गन्ना अनुसन्धान		
	मंजूर की गयी धनराशि	खर्च की गयी धनराशि	केन्द्रीय अंश	मंजूर की गयी धनराशि	खर्च की गयी धनराशि	केन्द्रीय अंश
१९५६–५७ .	०.९०	०.१२	०.०३	३.७४	२.१६	०.१३
१९५७–५८ . .	०.७५	०.२२	०.०४	१.११	०.८५	०.१७
१९५८–५९ . .	१.०५	०.७०	०.१९	०.७३	०.५६	०.१८
१९५९–६० . .	०.७२	०.७७	०.२८	०.७४	०.५६	०.१८
१९६०–६१ . .	०.७१	०.६६*	०.१७*	०.७६	०.५६	०.१९
	४.१३	२.४७	०.७१	७.०८	४.६९	०.८५

*अनुमानित

परदीप पत्तन से जापान को लौह-अयस्क का निर्यात

†३८०८. **श्री पांगरकर:** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ नवम्बर, १९६० से ३१ जनवरी, १९६१ तक उड़ीसा में परदीप पत्तन से जापान को कितने लौह अयस्क का निर्यात किया गया ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर):** इन तीन महीनों में वहां से कोई जहाज नहीं भेजा गया ।

छोटे पैमाने के एककों से रेलवे की आवश्यकताओं की खरीद

†३८०९. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के विभिन्न विभागों को ये निदेश दिये गये हैं कि वे छोटे पैमाने के एककों से माल खरीदने को प्राथमिकता दें; और

(ख) यदि हां, तो निदेशों का स्वरूप क्या है और वर्ष १९६०–६१ में छोट पैमाने के एककों से कुल कितनी खरीद की गयी है ?

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां ।

(ख) सभी रेलवे प्रशासनों को जारी किये गये निदेशों का सार अनुबन्ध 'क' में दिया गया है । [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ११]

वर्ष १९६०-६१ में छोट पैमाने के एककों से खरीद का कुल मूल्य लगभग १२२ लाख रुपये है ।

तिलहन की गहन खेती के लिये "पैकेज प्रोग्राम"

†३८१०. श्री दामानीः क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तिलहन की गहन खेती के लिय एक 'पैकेज योजना' पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या अन्तिम निर्णय किया गया है ?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) और (ख). भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति ने ६ फरवरी, १९६० की अपनी बैठक में प्रमुख तिलहन उत्पादक राज्यों में चुने हुए क्षेत्रों में तिलहन के उत्पादन कार्यक्रम को गहन रूप देने की एक योजना बनाने के लिये एक तदर्थ समिति नियुक्त करने का निर्णय किया । अभी इस समिति की सिफारिशों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

अंगूरों के बाग

†३८११. श्री वेंकटा सुब्बया : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार बड़े पैमाने पर अंगूरों के बाग लगाने के लि` किसानों को वित्तीय सहायता देने के बारे में किसी योनजना पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो वे योजनायें क्या हैं और कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख): (क) और (ख). द्वितीय योजना में फलोत्पादन के विकास की जो योजना आरम्भ की गयी थी और जो तृतीय योजना में जारी है, उस के अधीन फल उत्पादको को अंगूर की बेल समेत न` फलोद्यान लगाने के लिये समतल भूमि में ३०० रुपय प्रति एकड़ और पहाड़ी क्षेत्रो में ५०० रुपये प्रति एकड़ की दर से दीर्घ-कालीन ऋण दिये जाते हैं। तथापि, भारत सरकार उपरोक्त ोजना के अधीन अंगूरों की खेती के मामले में ऋण सहायता की दर में वृद्धि करने की वांछनीयता पर विचार कर रही है ।

†मूल अंग्रेजी में

द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजना अवधि में योजना के अधीन फलोत्पादन के विकास के लिये ऋण देने के लिये की गयी व्यवस्था निम्न प्रकार है :—

गन्ना उत्पादक राज्यों के नाम	ऋण देने की व्यवस्था	
	द्वितीय योजना काल में	तृतीय योजना काल में
	(रुपये लाखों में)	
१. आन्ध्र प्रदेश . . .	३१.५४	३२.००
२. मैसूर . .	१७.१०	२५.३०
३. मद्रास . .	६.३०	२५.००*
४. हिमाचल प्रदेश . .	१३.००	२९.००
५. महाराष्ट्र . .	२४.९०	३५.००*
६. गुजरात	बम्बई राज्य के विभाजन से पूर्व की अवधि के लिये महाराष्ट्र के आंकड़ों में शामिल कर लिये गये हैं। विभाजन के बाद के आंकड़े शून्य हैं।	१०.००

*ये वे आंकड़े हैं जिन के बारे में कार्यकारी दल की वार्ता में सहमति हो गई है । राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित धन राशि के अन्तिम आंकड़े प्रतीक्षित हैं।

त्रिपुरा में डूमबुर जल-विद्युत परियोजना

†३८१२. श्री दशरथ देव: क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में अमरपुर में डूमबुर जल-विद्युत् परियोजना में कितनी प्रगति हुई है,

(ख) इस बारे में अब तक कुल कितनी रकम खर्च की गयी है ;

(ग) क्या इस परियोजना को आरम्भ किया जायेगा या इसका परित्याग कर दिया जायेगा;

(घ) यदि परियोजना को आरम्भ किया जायेगा तो उस पर कितना धन खर्च होने की संभावना है ; और

(ङ) इस में कितनी बिजली का उत्पादन होने की आशा है ?

†मूल अंग्रेजी में

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी): (क) क्षत्रीय सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और डिजाइन और प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं।

(ख) २,३५, ४०० रुपये ।

(ग) से (ङ). पूर्वी पाकिस्तान में कर्णफूली परियोजना से त्रिपुरा के लिये बिजली प्राप्त करने की संभावना का पता लगाया जा रहा है । गुमती परियोजना (डूमबुर झरने में) की कार्यान्विति के बारे में निर्णय पाकिस्तान के साथ बात चीत के परिणामों पर निर्भर करता है । परियोजना की प्रत्याशित लागत लगभग २५० लाख रुपये है । इस योजना की बिजली की क्षमता का अनुमान ५० प्रतिशत भार पर ६००० किलोवाट लगाया गया है ।

लेवल क्रासिंग

†३८१३. श्री अमजद अली: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेवल क्रासिंग बनाने की लागत के सम्बन्धित राज्य सरकारों और रेलवे के बीच विभाजन के बीच कोई सिद्धान्त निर्धारित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) और (ख). भारतीय रेलवे अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निर्माण के समय अथवा रेलवे लाइन चालू होने की तिथि से १० वर्षों के भीतर आवश्यक समझे जाने वाले लेवल क्रासिंग रेलवे की लागत पर बनाये जाते हैं परन्तु यदि ऐसी सुविधा की रेलवे लाइन चालू होने की तिथि से १० वर्ष पूर्व के बाद आवश्यकता पड़े, तो वह पूर्ण रूप से संबंधित सड़क प्राधिकार की लागत पर बनाया जाता है ।

पंजाब में आयात किया गया गेहूं

†३८१४. श्री अजित सिंह सरहदी: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब की राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये आयात किये गये गेहूं से लाभ कमा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो आयात किया गया गेहूं पंजाब सरकार को किस भाव पर दिया जाता है और वह उसे किस भाव पर बेच रही है ?

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) और (ख). पंजाब सरकार को आयात किये गये गेहूं का संभरण जुलाई, १९६० तक किया गया था और उसका मुल्य १४ रुपये प्रतिमन के भाव से लिया जाता है जिस में बोरे का मूल्य और गन्तव्य स्थानों का रेल भाड़ा भी सम्मिलित है । जुलाई, १९६० के बाद आयात किये गये गेहूं का कोई संभरण नहीं किया गया ।

१४ मई, १९६० तक पंजाब सरकार द्वारा आयात किया गया गेहूं राज्य की रोलर फ्लोर मिलों को १३.५० रुप प्रतिमन, बोरे के मूल्य को अलग करके, के भाव से

†मूल अंग्रेजी में

दिया गया था । उस के बाद आयात किये गये गेहूं का मूल्य देसी गेहूं के साथ दिला दिया गया था और दोनों गहूं पंजाब सरकार द्वारा निम्नलिखित संग्रहीत मूल्यों पर दिए गए थे :--

अवधि	प्रतिमन मूल्य, बोरे के मूल्य को अलग करके
१६ मई, १९६० से १६ सितम्बर, १९६० तक	मिल वाले नगरों में १४.६४ रुपये प्रतिमन के भाव से और अन्य स्थानों में १४.५४ रुपये प्रति-मन के भाव से
१७ सितम्बर, के बाद	मिल वाले नगरों में १५.२५ पए प्रतिमन के भाव से और अन्य स्थानों में १४.८५ रुपये प्रति मन के भाव से ।

पंजाब सरकार ने बताया है कि राज्य-व्यापार योजना को 'बिना लाभ हानि' के आधार पर चलाने का प्रयत्न किया जा रहा है । १९५९-६० के लेखाओं में २.७८ लाख रुपये का लाभ मालूम पड़ा । १९६०-६१ के लेखे अभी अंतिम रूप से तैयार नहीं हुए हैं परन्तु ऐसा आभास दृशता है कि समस्त खाद्य योजना 'बिना हानि लाभ' के सिद्धान्त को ही चरितार्थ करेगी ।

पंजाब में मत्स्य पालन का विकास

†३८१५. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री कह गताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या पंजाब की राज्य सरकार ने तीसरी पंच वर्षीय योजना में राज्य में मत्स्य-पालन के विकास के लिए कोई सहायता चाही है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि मांगी गई है तथा कितनी आवण्टित की गई है ; और

(ग) कौन कौन सी योजनायें मंजूर की गई हैं ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा):** (क) से (ग). तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विभिन्न कृषि संबंधी योजनाओं के लिए राज्य सरकारों को आवण्टनों की चर्चा योजना आयोग, खाद्य तथा कृषि मंत्रालय और समय समय पर संबंधित राज्य सरकार के प्रतिनिधि से संगठित कार्यकारी दल की बैठकों में की गई थी और पंजाब की मीनक्षेत्र योजनाओं के लिए ४५ लाख रुपए की राशि आवंटित की गई थी । तीसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित योजनाओं का ब्योरा नीचे दिया गया है —

१. भाखड़ा जलाशय में मछलियों का विकास ।

२. चण्डीगढ़ झील में मत्स्य वर्धन ।

†मूल अंग्रेजी में

३. राज्य में मछली पाए जाने वाले जल और मछली के अंडे देने के स्थानों का सर्वेक्षण ।

४. राज्य में अवरुद्ध जल के स्थानों में छोटी मछलियों के संग्रह को बढ़ाना ।

५. मछली फार्मों की स्थापना ।

६. चण्डीगढ़ में गवेषणा केन्द्र एवं जलजीवालय और संग्रहालय की स्थापना ।

७. मीनक्षेत्र कर्मचारियों का प्रशिक्षण ।

८. मीन क्षेत्र कार्य के मुख्यालय के लिए अतिरिक्त कर्मचारी ।

अर्जन करके भुगतान की योजना[1]

†३८१६. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जहाज खरीदने की "अर्जन कर के भुगतान करने की योजना" की, उस के लागू होने की अवधि में, क्या प्रगति हुई है, और

(ख) कौन से समवायों ने इस रियायत का लाभ उठाया है और वे खरीदें किन देशों से की गई हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राजबहादुर)**: (क) "अर्जन कर के भुगतान करने की योजना" के अन्तगत १,८०,५८९ कुल पंजीवद्ध टन भार के ३७ जहाज अभी तक १४.८६ करोड़ रुपए की लागत पर अर्जित किए गए हैं।

(ख) निम्नलिखित समवायों ने इस रियायत का लाभ उठाया है :

१. मेसर्स सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी लिमिटेड, बम्बई, ।

२. इंडिया स्टीमशिप कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता ।

३. ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कम्पनी लिमिटेड, बम्बई, ।

४. ईस्टर्न शिपिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, बम्बई ।

५. भारत लाइन लिमिटेड, बम्बई ।

६. मलाबार स्टीमशिप कम्पनी लिमिटेड, बम्बई ।

७. एथीजय लाइन्स, बम्बई ।

८. गिल अमीन एण्ड कम्पनी लिमिटेड, बम्बई ।

९. अकूजी जादवत एण्ड कम्पनी ।

१०. अशोक लाइन, एर्णाकुलम ।

११. अलगासुन्दरम चेटिटयार ।

१२. साउथ ईस्ट एशिया शिपिंग कम्पनी लिमिटेड, बम्बई ।

†मूल अंग्रेजी में

[1] "Pay while you earn" Scheme.

१३. सरदार बागायत सहकारी शिपिंग मण्डल, बारदोली।

१४. बम्बई शिपिंग कम्पनी लिमिटेड, बम्बई ।

ये जहाज मुख्यत: ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी, नार्वे, स्वीडन, हालैंड और फ्रांस से अर्जित किए गए हैं।

व्यास नियंत्रण बोर्ड

†८१७. { श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया: }

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि व्यास नियंत्रण बोर्ड की १९ मार्च, १९६१ को उदयपुर में हुई बैठक में किस प्रकार के निर्णय किए गए हैं?

†सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): प्रमुख निर्णय निम्नलिखित हैं:

(१) व्यास नियंत्रण बोर्ड के प्रक्रिया तथा कार्य संबंधी नियमों का अनुमोदन किया गया।

(२) बोर्ड तथा उसकी स्थायी समिति के बीच कार्य के विभाजन का अनुमोदन किया गया। प्रमुख नीति संबंधी निर्णय बोर्ड द्वारा किए जायेंगे जबकि स्थायी समिति प्रतिदिन की समस्याओं पर विचार करेगी।

(३) परियोजना के लिए एक पूर्णकालिक वित्तीय सलाहकार होना चाहिए ।

(४) वृहत योजना और व्यास बांध के श्रमिकों और कर्मचरियों को बसाने के लिए बस्ती की स्थिति के संबंध में विचार किया गया। बोर्ड ने पंजाब के सिंचाई और विद्युत मंत्री तथा राजस्थान के व्यास परियोजना मंत्री से प्रस्तावित जगह का केन्द्रीय सरकार के एक प्रतिनिधि के साथ दौरा करने का अनुरोध किया ताकि वे स्थान की उपयुक्तता के संबंध में सलाह दे सकें। (२६ मार्च, १९६१ को मौके की जांच की गई और निर्णय कर लिया गया।)

(५) अकुशल श्रमिकों की भर्ती के मामले में प्रथम अग्रिमता बांध में आने वाले तलवारा तथा अन्य क्षेत्र से विस्थापित व्यक्तियों को दी जानी चाहिए । कुशल और अर्ध-कुशल कर्मचारियों के मामले में प्रथम अग्रिमता भाखड़ा से छंटनी किए गये कर्मचारियों को दी जायेगी और दूसरी अग्रिमता हटाए गए व्यक्तियों को। हटाए गए लोगों के लिए शिक्षा, चिकित्सा तथा अन्य उपयुक्त सुविधाओं की व्यवस्था भी की जाएगी।

तुगलकाबाद मार्शलिंग यार्ड

†३८१८. श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तुकलकाबाद मार्शलिंग यार्ड का निर्माण-कार्य पूरा हो गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके कब तक पूर्ण होने की संभावना है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) जी नहीं।

(ख) कार्य के एक वर्ष के समय में पूर्ण हो जाने की आशा है।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्त्ती

†३८१९. श्री वें० इयाचरण: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण रेलवे के ओलवकोट डिवीजन की यातायात शाखा में चतुर्थ श्रेणी की ४०० रिक्तताओं, जिनमें से १०० अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए सुरक्षित कर दी गई थी, के लिए भर्त्ती पूर्ण हो गई है;

(ख) प्रार्थनापत्र कितने बार आमंत्रित किए गए थे और प्रत्येक बार में कितने प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए;

(ग) क्या उन प्रार्थनापत्रों पर किसी समय कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) जी नहीं।

(ख) दो बार, एक बार १०० रिक्तताओं को भरने के लिए और बाद में ३०० रिक्तताओं को भरने के लिए। कुल ६० पद अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए सुरक्षित किए गए थे। पहली बार ५५४ प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए थे और दूसरी बार ११६७६ प्रार्थनापत्र।

(ग) जी, नहीं।

(घ) मितव्ययता आन्दोलन के परिणामस्वरूप नई भरती, अपरिहार्य मामलों को छोड़ कर, बन्द कर दी गई है। अधिकांश रिक्ततायें अन्यत्र फालतू करार दिए गए कर्मचारियों से भर ली गई हैं।

मद्रास सर्किल में डाक तथा तार विभाग के क्लर्कों के पदों के लिए विभागीय परीक्षा

†३८२०. श्री इलयापेरूमाल: क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मद्रास सर्किल में क्लर्की के पदों के लिए विभागीय परीक्षा में १९५९ और १९६० में कितने डाकियों को बैठने की अनुमति दी गई थी;

(ख) उपरोक्त परीक्षा में १९५९ और १९६० में अनुसूचित जाति के कितने अभ्यर्थियों को बैठने की अनुमति दी गई थी;

(ग) अनुसूचित जाति के कितने अभ्यर्थी चुने गए थे;

(घ) कितनों को नहीं चुना गया था; और

(ङ) उनको न चुनने के क्या कारण थे?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन्): (क) से (ङ). आवश्यक जानकारी प्रदान करने वाले दो विवरण सभा-पटल पर रखे जाते है। [पुस्तकालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० २८८३/६१]

---

†मूल अंग्रेजी में

इम्फाल नगर का विकास

†३८२१. **श्री बे० अचौ० सिंह:** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इम्फाल के बढ़ते हुए नगर की सुनियोजित और समन्वित उन्नति के लिये भावी विस्तार और विकास की कोई नीलमुद्र तैयार की गई है; और

(ख) यदि हां, तो वह नीलमुद्र किसने तैयार की है?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर):** (क) और (ख). इम्फाल नगर का अभी तक कोई विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया है। परन्तु केन्द्रीय लोककर्म विभाग का यह मत है कि भावी विस्तार की संभावना लम्फालपेट में है जिसके लिए केन्द्रीय लोक कर्म विभाग द्वारा आवश्यक योजनायें तैयार की गई हैं।

इम्फाल में क्षय रोग के क्लिनिक

†३८२२. **श्री ले० अचौ० सिंह:** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि इम्फाल के क्षयरोग क्लिनिक और अस्पताल में एक क्षयरोग विशेषज्ञ नियुक्त किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कब?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर):** (क) और (ख). १९५९–६० में एक एम० बी० बी० एस० डाक्टर जिसे डी० टी० डी० की योग्यता प्राप्त थी, क्षयरोग अस्पताल में नियुक्त किया गया था। वह आजकल दिल्ली में है और एम० डी० परीक्षा की तैयारी कर रहा है। अब इस अस्पताल के प्रभारी बी० सी० जी० अधिकारी हैं जिन्हें डाक्टरी का लाईसेंस प्राप्त है और इस लाइन का विशेष अनुभव है।

मनीपुर में भूराजस्व की बकाया

†३८२३. **श्री ले० अचौ० सिंह:** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मनीपुर में भूराजस्व की बकाया की वसूली के संबंध में कोई प्रगति हुई है; और

(ख) अभी तक कितनी राशि वसूल की गई है?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा):** (क) और (ख). आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

भाखड़ा में दायें किनारे का बिजली घर

†३८२४. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भाखड़ा में बायें किनारे के बिजली घर में मरम्मत कार्य के कारण दायें किनारे पर बिजली घर के निर्माण में विलम्ब हो गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो कुल कितना विलम्ब लगेगा?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पंजाब में भाण्डागार

†३८२५. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भांडागार निगम ने पंजाब में कोई भांडागार स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो वह किस स्थान पर किया गया है; और

(ग) क्या पंजाब राज्य में अभी तक कोई भांडागार तैयार किया गया है?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) जी, हाँ।

(ख) मोगा।

(ग) जी, नहीं।

पंजाब में गेहूं

†३८२६. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बफर स्टाक में से कुछ गेहूं पंजाब में भी जमा किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो कितना स्टाक जमा किया जाता है और स्टोर किस स्थान पर है?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी, नहीं ;

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों का प्रशिक्षण

†३८२७. **श्री राम शरण** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री २३ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १३५४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि प्राइमरी स्कूल शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये चलते फिरते कैम्पों को नियमित कैम्पों के रूप में बदल देने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)**: योजना तैयार कर ली गई है और उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

'फाइलेरिया'

†३८२८. **श्री राम शंकर लाल** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'फाइलेरिया' रोग का किस किस पर असर है ;

(ख) क्या इस रोग के लिये कोई विशेष इलाज ढूंढा गया है ;

(ग) क्या 'फाइलेरिया' के कीटाणुओं के प्रभाव को दिखाने वाले चार्ट दिखाये जा रहे हैं; और

(घ) रोग का मुकाबला करने के लिये और क्या क्या उपाय किये जा रहे हैं?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) 'फाइलेरियासिज़' रोग भिन्न भिन्न मात्राओं में आन्ध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, गुजरात, केरल, मद्रास प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, और पश्चिमी बंगाल तथा अन्दमान, निकोबार द्वीप और लक्कद्वीप, मिनिकाय और अमीन द्वीप द्वीपों में है।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा फाइलेरिया रोग के कीटाणुओं के सम्बन्ध में प्रलेखीय चल चित्र तैयार किया जा रहा है और वह उस के बाद दिखाया जायेगा ।

(घ) इस रोग के मुकाबले के लिये कीटाणु विरोधी तथा मच्छर विरोधी उपाय किये जा रहे हैं।

रोशनपुर में पवन चक्की

†३८२९. **श्रीमती ममना सुल्तान** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नफज़गढ़ विकास खंड के रोशनपुर में १९५४ में लगायी गयी पवन चक्की अभी तक खाली पड़ी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या दिल्ली प्रशासन उसे चालू करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) से (घ), वह पवन चक्की १९५७–५८ में लगायी ग ी थी और वह प्रवि िक त्रुटियों के कारण निकम्मा पड़ी हुई है। क्योंकि उसकी मरम्मत नहीं की जा सकती, इसलिये पवन चक्की को हटाने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अगरताला में एक बिजली मिस्त्री की मृत्यु

†३८३०. **श्री बांगशी ठाकुर : क्या सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगरताला, त्रिपुरा के विद्युत् संम्भरण का एक कर्मचारी श्री इन्द्रजीत देव शर्मा, बिजली की तारों की मरम्मत करते हुए मर गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की पूछ ताछ करने के लिये कोई जांच प्रारम्भ की गयी है ;

(ग) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या निकला है ;

(घ) यदि नहीं तो उस के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या उस के परिवार को कोई प्रतिकर अदा किया गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**) : (क) जी, हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) यह दुर्घटना उस समय हुई जब कि वह व्यक्ति बिजली के खम्भे पर काम करते हुए अपना संतुलन खो बैठा और नीचे आ गिरा । वैसे उस लाइन में उस वक्त विद्युत् शक्ति नहीं थी, क्योंकि वह तो मरम्मत की जा रही थी ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ङ) मामले की जांच की जा रही है और उस के बाद जो भी प्रतिकर निर्धारित किया जायेगा, वह दे दिया जा गा ।

अगरताला विद्युत् संभरण व्यवस्था में खराबी

†३८३१. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्युत् संभरण व्यवस्था में खराबी होने के कारण अगरताला के अस्पतालों, तारघरों और टेलीफोन घरों में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**): (क) जी, हां । इसका कारण यह है कि बिजली की सामान्यतया कमी है और पारेषन लाइन में कुछ त्रुटियां पैदा हो गयी है;

(ख) दो नये विद्युत् उत्पादन सेट लगाये गये हैं जिन में से प्रत्येक की क्षमता २०० किलोवाट है । उन के परिक्षण किये जा रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा में सामान्य सर्वेक्षण कार्य

†३८३२. **श्री दशरथ देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में जब से सामान्य सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ हुआ है, तब से सर्वेक्षण तथा निबटान कार्य कर्मचारियों के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) ये शिकायतें किस प्रकार की हैं; और

(ग) इन शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा)** : (क) से (ग). आवश्यक जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

त्रिपुरा में चावल का मूल्य

†३८३३. **श्री दशरथ देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१ के प्रथम भाग में त्रिपुरा में चावल का न्यूनतम मूल्य कितना था;

(ख) क्या मूल्य बढ़ रहा है ;

(ग) यदि बढ़ रहा है तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) मूल्य कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) १९६१ के पहले तीन महीनों में त्रिपुरा में चावल का अधिकतम मूल्य ३० रुपये प्रति मन और न्यूनतम मूल्य १५ रुपये था ।

(ख) जी, नहीं ; त्रिपुरा में मूल्य औसतन कम हो रहे हैं ;

(ग) अधिकतम मूल्य अमरपुर सब डिवीजन में है जहां अक्तूबर, १९६० में चावल की फसल खराब हो गयी थी। चिट्टागांग से आदिम जातीय परिवारों के आने से भी उस क्षेत्र में चावल के मूल्य बढ़ गये हैं ;

(घ) मूल्य की वृद्धि को रोकने के लिये उचित दाम की दुकानें खोली गयी हैं और उपभोक्ताओं को १८ रुपये प्रति मन के हिसाब से चावल संभरित किया जा रहा है ।

चिकित्सा विज्ञान में स्त्रियों की शिक्षा

†३८३४. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में देश में डाक्टरों और नर्सों की कमी को पूरा करने के लिये चिकित्सा विज्ञान में स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये कोई योजना तैयार की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना के अधीन कितनी स्त्री-डाक्टरों और नर्सों को प्रशिक्षण दिया जायेगा; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस समय देश में इनकी कुल कितनी मांग है और कितनी संख्या में वे उपलब्ध हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में स्त्री चिकित्सा शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये विशेषरूप से कोई योजना नहीं है । तृतीय पंचवर्षीय योजना में चिकित्सा शिक्षा तथा नर्सों की प्रशिक्षण सम्बन्धी योजना के लिये आवंटित राशि स्त्री और पुरुषों दोनों के लिये होगी। अब मेडिकल कालेजो में अधिक संख्या में स्त्रियां दाखिल हो रही है, और उन्हें दाखिल होने के लिये प्रोत्साहन देने के लिये उन्हें छात्रवृत्तियाँ दी जा रही है। विभिन्न मेडिकल कालेजों में महिला अभ्यर्थियों के लिये २०प्रतिशत से ५०प्रतिशत तक स्थान रक्षित किये गये हैं। नर्सों के प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देने के लिये भारत सरकार राज्य सरकारों को और गैर-सरकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता भी दे रही है। नर्सों के प्रशिक्षण के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिये निम्नलिखित सिफारिशें की गयी है:—

(१) सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को नर्सिंग के बेसिक कोर्स में मिला दिया जाये।

(२) सहायक नर्स-मिडवाइफों का प्रशिक्षण।

(३) सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्सिंग में प्रशिक्षण के लिये क्षेत्र का विकास।

(४) प्रत्येक राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्सिंग सम्बन्धी कोर्स।

(५) सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्सिंग पर्यवेक्षण के कोर्स ।

(६) वार्ड प्रबन्ध तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी कोर्स ।

(७) अर्हता प्राप्त नर्सों के लिये बी० एस०सी०कोर्स ।

(८) पेड्रियाट्रिक नर्सिंग में कोर्स ।

(ख) और (ग). तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली स्त्री डाक्टरों और नर्सों की संख्या के सम्बन्ध में जानकारी योजना आयोग द्वारा एकत्रित की जा रही है। अनुमान है कि तृतीय योजना के अधीन १५,००० स्त्री डाक्टरों की जरूरत होगी जबकि लगभग १०,६४० डाक्टर उपलब्ध होंगे । जहाँ तक नर्सों का सम्बन्ध है, आशा है कि तृतीय योजना में २०,००० नर्सों और ३०,००० सहायक नर्सों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। अस्थायी प्राक्कलन के अनुसार तृतीय योजना के अन्त तक ६६,००० नर्सों और ६०,००० सहायक नर्सों की जरूरत होगी।

उड़ीसा में चावल और धान की कीमत

†३८३५. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा के विभिन्न जिलों में अभी फिलहाल चावल और धान का प्रति मन भाव क्या है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सच है कि धान का भाव पिछले साल १२ रुपये प्रति मन के मुकाबले में अब ८ रुपये प्रति मन हो गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो चावल और धान की कीमत में इतनी गिरावट रोकने के लिए अब क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) उड़ीसा में सामान्य चावल का भाव अब १४ रुपये से १७ रुपये प्रति मन के बीच और धान का भाव ८ के रुपये से ११ रु० प्रति मन के बीच होगा।

(ख) और (ग). उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में चावल की बहुत अच्छी फसल होने के कारण चावल और धान का भाव इस साल गिर गया है लेकिन वह बहुत अधिक नहीं गिरा है। फिर भी, भारत सरकार उड़ीसा में अतिरिक्त चावल खरीदने के सवाल पर विचार कर रही है जिससे उचित स्तर पर मूल्य कायम रखा जा सके।

विदिशा (मध्य-प्रदेश) में जी० टी० एक्सप्रेस का ठहरना

†३८३६. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंहजी**: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि १ अप्रैल, १९६१ से विदिशा (मध्य-प्रदेश) में ग्रैन्ड ट्रन्क एक्सप्रेस के रुकने का समय कम कर दिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या कारण है?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) जी, हाँ। केवल १६ अप नई दिल्ली मद्रास ग्रेंड ट्रक एक्सप्रेस का।

(ख) ग्रेन्ड ट्रन्क एक्सप्रेस गाड़ियों को तेज करने तथा मद्रास सेन्ट्रल से सुविधाजनक समय पर गाड़ियों के पहुँचने तथा वहाँ से छूटने के लिए जनता की बराबर मांग थी ताकि यात्री लोग मध्यान्ह भोजन के समय मद्रास पहुँच सकें और मध्यान्ह भोजन के बाद वहाँ से रवाना हो सकें। यह केवल तभी सम्भव था जब उन स्टेशनों पर जहाँ इन गाड़ियों पर चढ़ने उतरने वालों की संख्या बहुत अधिक नहीं थी, गाड़ियों के रुकने की व्यवस्था बंद कर दी जाये। विदिशा में यात्रियों की संख्या के विश्लेषण से यह पता लगा कि इस स्टेशन पर चढ़ने उतरने वाले यात्री कम दूरी के लिए होते हैं जैसे भोपाल आदि के लिए, जहाँ विदिशा से भोपाल के लिए दूसरी गाड़ी मिलती है। इसलिए १६ अप जी०टी० एक्सप्रेस का वहाँ रुकना १ अप्रैल, १९६१ से बंद कर दिया गया। १५ डाउन मद्रास नई दिल्ली ग्रैन्ड ट्रंक एक्सप्रेस का विदिशा में ठहरना कायम रखा गया है ताकि यात्री भोजन-गाड़ी में जा सकें और लौट सकें। यात्रियों को टिकट बांटने के लिए इसका लाभ उठाया गया है।

सेन्ट्रल पोस्टल सर्किल

†३८३७. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंहजी**: क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सेन्ट्रल पोस्टल सर्किल का क्षेत्राधिकार मध्य-प्रदेश में काफी बड़े क्षेत्र तक लागू किया गया है;

---

† मूल अंग्रेजी में

(ख) पहले मध्य-प्रदेश के कितने जिले इस सेन्ट्रल सर्किल के अधीन थे; और

(ग) अब कितने नये जिले इसके अधीन रखे गये हैं?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन्)** : (क) जी, हाँ।

(ख) २५।

(ग) १८।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था में अनुसंधान पदाधिकारियों का त्यागपत्र

†३८३८. { **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :**
श्री बहादुर सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में नयी दिल्ली की भारतीय कृषि अनुसन्धान शाला के कितने अनुसन्धान पदाधिकारियों ने त्यागपत्र दिये; और

(ख) उनके त्यागपत्र के क्या कारण थे?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). वर्ग २ के एक पदाधिकारी ने निजी कारणों से त्याग-पत्र दिया। इस अवधि में ३६ अनुन्धान कर्मचारियों ने भी त्यागपत्र दिये। इन मामलों में उनके त्यागपत्र के कारण ये थे : उच्च अध्ययन करना या दूसरी जगह नौकरी करना या निजीकरण।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था

†३८३९. { **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :**
श्री बहादुर सिंह :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कुछ डाक्टरों ने नयी दिल्ली की अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था सेवा से त्यागपत्र दे दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले दो वर्षों में कितने डाक्टरों ने त्यागपत्र दिया है; और

(ग) उनके त्यागपत्र के क्या कारण हैं?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हाँ।

(ख) २३।

(ग) (१) बिदेशों में अध्ययन के लिए (१०)

(२) पारिवारिक परिस्थितियां (४)

(३) आवेदन पत्र आगे भेजने के लिए शाला की नामंजूरी (१)

†मूल अंग्रेजी में

(४) दूसरी जगह नौकरी करने के लिए (४)

(५) आगे अध्ययन—प्रशिक्षण के लिए (२)

(६) बिना कोई कारण बताये (२)

उड़ीसा में बिजली विभाग

†३८४०. **श्री चितामणि पाणिग्रही** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में बिजली विभाग में काम करने वाले किसी भी कर्मचारी को अभी तक स्थायी नहीं बनाया गया है:

(ख) क्या यह सच है कि उड़ीसा का बिजली विभाग सत्रह वर्ष पहले कायम किया गया था;

(ग) इस विभाग में कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं; और

(घ) इस विभाग में अभी तक कुल कितने कर्मचारियों को स्थायी बनाया जा चुका है?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (घ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और समय पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड

†३८४१. **श्री चितामणि पाणिग्रही** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के लिए राज्य बिजली बोर्ड बनाया जा चुका है;

(ख) क्या राज्य के बिजली विभाग के मुख्य इंजीनियर को इस बोर्ड के सदस्य और सचिव के तौर पर लिया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि कलकत्ता बिजली कंपनी, कटक बिजली कंपनी और पटना बिजली कंपनी में उनके हिस्से (शेयर) हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, हां ।

(ख) उड़ीसा के बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर को राज्य बिजली बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया है और वह उसका सचिव नहीं है।

(ग) और (घ). मुख्य इंजीनियर ने राज्य सरकार को सूचित किया कलकत्ता बिजली सप्लाई कंपनी के ५० सामान्य हिस्से (इक्विटी शेयर्स) उनके पास हैं और उनकी पत्नी के पास पटना बिजली सप्लाई कंपनी के १०० सामान्य हिस्से (इक्विटी शेअर्स) हैं। यह जान-

---

†मूल अंग्रेजी में

कारी बोर्ड बनाये जाने के बाद ही राज्य सरकार को प्राप्त हुई। राज्य सरकार ने बिजली (सप्लाई) अधिनियम, १९४८ के उपबन्धों के अनुसार मुख्य इंजीनियर को बोर्ड की सदस्यता से हटाने का निश्चय किया है।

हिमाचल प्रदेश में ग्राम सहायकों का प्रशिक्षण

३८४२. **श्री पद्म देव :** क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वष १९६० में हिमाचल प्रदेश में ग्राम सहायक प्रशिक्षण के सम्बन्ध में कितने शिविर लगाये गये;

(ख) कितने लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया, और

(ग) प्रति व्यक्ति कितना व्यय हुआ ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) १६२।

(ख) ३९१९।

(ग) पांच दिन के शिविर के लिए लगभग ४ रुपए प्रति व्यक्ति।

उड़ीसा में सिंचाई

†३८४३. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण में शीघ्रता करने के लिए सिंचाई शाखा में खोले जाने वाले नये डिविजन अब खोले जा चुके हैं;

(ख) यदि हाँ, तो कितने और किन-किन जगहों पर यह नये डिविजन खोल गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो वे कब खोले जा रहे हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) से (ग). ज्ञात हुआ है कि निम्नलिखित निर्माण डिविजन प्रत्येक के आगे दिखायी गयी ता ीख से खोले गये हैं:—

डिविजन का नाम	जिस तारीख से खोले गये
१. सालन्डी डिविजन २ भद्रक	१६–८–६०
२. सालन्डी मैकनिकल डिविजन, हदगढ़	२३–१२–६०
३. भीमकुन्ड सिंचाई डिविजन, आनन्दपुर	२६–१२–६०
४. कालाहांडी पन बिजली डिविजन, भवा ी, पटना	१९–१२–६०

उपर्युक्त के अलावा उड़ीसा सरकार का विचार है कि तीन डिविजन सहित बालीमेला सर्कल चालू वित्त वर्ष में खोला जाये जिसमें एक मैकनिकल डिविजन भी शामिल होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में डाक तथा तार की सुविधायें

३८४४. श्री भक्त दर्शन : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष १९६०–६१ में उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों अर्थात् उत्तरकाशी, टिहरी-गढ़वाल, देहरादून, चमौली, गढ़वाल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और नैनीताल में किन-किन स्थानों पर नये शाखा डाकघर, अतिरिक्त विभागीय उप-डाकघर, विभागीय उप-डाकघर, सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय, टेलीफोन एक्सचेंज और तारघर खोले गये।

(ख) इसी वर्ष किन-किन स्थानों पर ऐसे कार्यालय बन्द किये गये; और

(ग) वर्ष १९६१–६२ में उपरोक्त सुविधायें इन जिलों के किन-किन स्थानों में दी जायगी ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ग). सभा-पटल पर एक विवरण-पत्र रखा जाता ह । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी २८८४।६१]** ।

(ख) जिला नैनीताल में घोरा रेजरवायर डाकघर।

पूर्व रेलवे में कानून निरीक्षक

३८४५. श्री खुशवक्त राय : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे में न्यायालयों में रेलवे के मुकदमों की देख-भाल के लिये १४ कानून निरीक्षक (ला इंस्पेक्टर) नियुक्त हैं;

(ख) क्या इनमें से कुछ मुफस्सिल स्टेशनों पर नियुक्त थे और वह दीनापुर और गया की अदालतों का काम देखते थे;

(ग) क्या अब इनको वहां से हटा लिया गया है;

(घ) इसका क्या कारण है और अब इनके सुपुर्द क्या काम किया गया है; और

(ङ) रेलवे के मुकदमों में अब किसे भेजा जाता है?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) कुछ अदालते इस पक्ष में नहीं थीं कि विधि-निरीक्षकों (Law Inspectors) को रेलवे की ओर से मुकदमों की पैरवी करने दी जाये। रेल-प्रशासन ने भी सोचा कि उसके अपने हित में यही अच्छा होगा कि मुकदमों की पैरवी का काम रेलवे वकीलों को सौंप दिया जावे। इस प्रकार जिन विधि-निरीक्षकों को लाइन से वापस बुलाया ग्या, उनसे वही काम लिया जा रहा है जो प्रधान कार्यालय में तैनात दूसरे विधि-निरीक्षकों से लिया जाता है। विधि-निरीक्षकों के काम की सूची साथ में नत्थी है।

(ङ) अब सभी मुकदमें पैरवी के लिए सम्बन्धित रेलवे वकीलों और एडवोकेटों को दिये जाते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

विधि निरीक्षकों के काम

१. महत्वपूर्ण मुकदमों की सुनवाई के दिन अदालत में हाजिर रहना।

२. मुकदमे की सुनवाई के समय अदालत में और वकीलों के घर पर और दफ्तर में सहायक के रूप में उनकी सहायता करना।

३. प्रधान कार्यालय से बाहर दूसरी जगहों पर कमीशन द्वारा जांच के दौरान में गवाहों से पूछताछ के लिए वहां हाज़िर रहना।

४. अदालत से बाहर मुकदमों में समझौता करने के लिए बातचीत करना।

५. दस्तावेज और सबूत इकट्ठा करने और गवाह तैयार करने के लिए रेलवे स्टेशनों पुलिस चौकियों और दूसरी जगहों पर जांच-पड़ताल करना।

६. जिन मुकदमों का फैसला रेलवे के पक्ष में हो सद्भावनापूर्ण ढंग से उनका खर्च वसूल करना।

७. मुकदमों की ठीक पैरवी करने और बचाव के लिए प्रधान कार्यालय द्वारा दी गयी हिदायतों का पालन करना और आवश्यकतानुसार विधि सहायक के रूप में दफ्तर में मुकदमों से सम्बन्धित काम करना।

गुप्त रोगों का निवारण

†३८४७. **श्री प्र० चं० बरूआ :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना के अधीन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य समस्या क रूप में, गुप्त रोग (जैसे सिफिलस) दूर करने के लिए कोई व्यापक योजना है;

(ख) यदि हाँ तो इस योजना की लागत क्या होगी, और

(ग) दूसरी पंचवर्षीय योजना के आरंभ और अन्त में विभिन्न राज्यों में रतिज-रोग से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या कितनी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) और (ख). यद्यपि गुप्त रोगों का नियंत्रण राष्ट्रीय स्वास्थ्य कायक्रम के रूप में तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं किया गया है फिर भी अधिकतर राज्यों की सरकारों ने पहली और दूसरी योजना के दौरान स्थापित किये गये रतिज रोग चिकित्सालय जारी रखने और नये चिकित्सालय खोलने के लिए अपनी अपनी तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में व्यवस्था की है। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा की गयी ठीक-ठीक व्यवस्था मालूम नहीं है लेकिन कायवाही समुदायों ने राज्यों की तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल करने के लिए निम्नलिखित आंकड़ों की सिफारिश की है :

	(लाख रुपयों में)
आन्ध्र प्रदेश	८.००
महाराष्ट्र	१०.००
बिहार	५.००
मध्य-प्रदेश	१०.००
राजस्थान	२.००

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब	१.००
जम्मू और काश्मीर . . .	५.००
केरल	१०.००
आसाम	१.००
मैसूर	५.००
मद्रास	५.००
हिमाचल प्रदेश	३.३०
दिल्ली	४.५७
त्रिपुरा	१.८५
मनीपुर	१.००
लकाद्वीप, मिनीकाय और अमीनद्वीप . . .	०.३०
पांडचेरी	०.३२

(ग) विभिन्न राज्यों में रतिज रोग से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या के बारे में विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध नहीं है

येरुपल्यम–विजयवाड़ा लाइन को दुहरा बनाना

†३८४८. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे पर `रुपल्यम और विजय वाड़ा के बीच रेलवे लाइन को दुहरा बनाने के कार्य के लिए १९६०–६१ के बजट में निर्धारित १० लाख की धन राशि में से मार्च, १९६१ के अन्त तक कुल कितनी रकम व्यय की गयी ; और

(ख) यह रकम किन कामों पर खर्च की गयी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) मार्च, १९६१ के अन्त तक १९.५६ लाख रु० व्यय हुए ।

(ख) सर्वेक्षण और स्थायी मार्ग, निर्माण संयंत्रो और मशीनो को हासिल करने के लिये ।

कृषकों को बिजली का संभरण

†३८४९. **श्री ब्रजराज सिंह** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कृषकों को घटी दर पर अथवा रियायत दर पर बिजली संभरण करने के बारे में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष में समूचे देश में कृषकों को बिजली का कितना संभरण किया गया ; और

(ग) रियायती दरों पर बिजली का संभरण करने से किसानों को कितना लाभ पहुंचने का अनुमान है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) कृषकों को घटी हुई दर पर अथवा रियायती दर पर बिजली का संभरण करने की कोई योजना लागू नहीं है ; किन्तु राज्यों के विद्युत् बोर्डों ने सिंचाई के लिए पम्पिंग के वास्ते बिजली के संभरण की दरें तुलनात्मक दृष्टि से कम नियत कर रखी हैं।

(ख) १९५९–६० में ७२.७ करोड़ किलोवाट । १९६०–६१ के आंकड़े अभी कत्र नहीं हुए ।

(ग) उत्पन्न नहीं होता ।

सिंचाई वाली जमीन

†३८५०. **श्री ब्रजराज सिंह :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक अनुमानतः कुल कितनी जमीन में सिंचाई होने लगेगी ;

(ख) तीसरी योजना के अन्त तक कुल कितनी जमीन में खेती होने लगेगी ;

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक अनुमानतः ऐसी कितनी जमीन होगी जिसे किसी भी समय सिंचाई के अन्तर्गत लाया जा सकेगा ; और

(घ) उस सारी जमीन के, जिस पर खेती होती है, उस भाग में जिसमें सिंचाई की जा सकती है, कब सिंचाई की जाने लगेगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) और (ख). १९५४–५५ में लगाये गये अनुमान के अनुसार देश में कुल ३४.३ करोड़ एकड़ भूमि पर खेती होती थी। अनुमान है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक बड़े और मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं से ४.५५ करोड़ एकड़ भूमि में सिंचाई होने लगेगी।

(ग) और (घ). अनुमान है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में बड़े और मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत १.३ लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि लायी जायेगी। भौगोलिक स्थिति तथा अन्य कई कारणों से उस सारी जमीन पर, जहां खेती होती है, सिंचाई नहीं की जा सकती । आशा है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना का अन्त तक (१९७५–७६) और बड़े दर्मियाने दर्जे की परियोजना के अन्तर्गत ८.५ से ९.० करोड़ एकड़ भूमि लायी जा सकेगी।

दिल्ली की किशनगंज बस्ती के निकट कोयला साइडिंग

†३८५१. **श्री राजेन्द्र सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे की किशनगंज रेलवे बस्ती के निकट एक कोयला 'साइडिंग' स्थित है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह रेलवे बोर्ड की हिदायत के अनुरूप है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : यहां पर कोई विशेष कोयला साइडिंग नहीं है और कोयला लाइन संख्या २४ पर उतारा जाता है जो कर्मचारियों के क्वार्टरों के निकटतम खंड से २४० फुट के फासले पर है ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

रेलवे हायर सेकेण्डरी स्कूल, रतलाम

३८५२. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रतलाम, आबू रोड और बांदीकुई के हायर सैकेण्डरी स्कूलों में कितने अध्यापक पिछले १०–२० वर्ष से एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं;

(ख) ऐसे कितने अध्यापक हैं जो आसपास के कस्बों के निवासी हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में इन स्थानों के प्रत्येक स्कूल का प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत परिणाम रहा ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) क्रमशः ३, ९, और ३।

(ख) रतलाम में कोई नहीं, आबू रोड में एक और बांदी कुई में कुछ कोई नहीं।

(ग)

	वर्ष	नतीजा परसेंटेज
रतलाम	१९५७–५८	७१
	१९५८–५९	७९
	१९५९-६०	७६
आबू रोड . . .	१९५७–५८	८१
	१९५८–५९	८६
	१९५९–६०	८५
बांदीकुई	१९५७–५८	४८
	१९५८–५९	७३
	१९५९–६०	*

रेलवे हायर सेकेण्डरी स्कूल, रतलाम

३८५३. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे के रतलाम के हायर सेकेण्डरी स्कूल के भवन के लिए कितनी धनराशि स्वीकार की गई ; और

(ख) उक्त भवन का निर्माण-कार्य कब तक प्रारम्भ किया जाने वाला है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) लगभग ३.७० लाख रुपये ।

(ख) मार्च, १९६१ में काम शुरू किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

*१९५९–६० में हाई स्कूल परीक्षा नहीं हुई क्योंकि १९५८–५९ में इस स्कूल को बहुउद्देशीय हायर सेकेण्डरी स्कूल बना दिया गया था ।

पश्चिम रेलवे पर विभागीय भोजन व्यवस्था

३८५४. **श्री अमर सिंह डामर :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे की जिन-जिन गाड़ियों में विभागीय भोजन व्यवस्था है, क्या वे फायदे में चल रही हैं या घाटे में; और

(ख) विभागीय भोजन व्यवस्था होने से प्रति मास कितना लाभ अथवा हानि हुई ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). एक बयान साथ नत्थी है।

विवरण

भोजन-यान		प्रति मास औसत लाभ/ हानि का अनुमान
१	२५ डाउन/२६ अप बम्बई-नयी दिल्ली वातानुकूल एक्सप्रेस	५४५ रुपये (हानि)
२.	२३ डाउन/२४ अप बम्बई—दिल्ली जनता एक्सप्रेस	४,७५० रुपये (हानि)
३	१९ डाउन/२० अप बम्बई—देहरादून एक्सप्रेस	४,७४० पये (हानि)
४.	३ डाउन ४ अप फ्रंटियर मेल	५०० रुपये (लाभ)

डाकनिरीक्षकों[1] के लिये परीक्षा

†३८५५. **श्री राम गरीब** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक-निरीक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए नवम्बर, १९६० में एक परीक्षा ली गयी थी; और

(ख) यदि हां, तो उसका परिणाम कब निकलने की आशा है ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन्) : (क) जी, हां ।

(ख) शीघ्र ही।

दिल्ली दुग्ध योजना

†३८५६. **श्री राम गरीब** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला है जिसमें सिविल लाइन क्षेत्र के राजपुर/अंडर हिल रोड के निवासियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये एक दुग्ध-डिपो खोलने के लिए कहा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निश्चय किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Postal Inspectors.

†**कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख): नये डिपो खोलने की मांग समय-समय पर शहर के विभिन्न भागों से आती रहती है । किन्तु इन सब मांगों को पूरा करना कठिन है क्योंकि इन मांगों को दूध की वर्तमान सप्लाई के अनुसार ही नियमित किया जा सकता है । अन्य क्षेत्रों के साथ राजपुर/अंडर हिल के मामले पर उपयुक्त समय पर विचार किया जायेगा ।

रेलवे में विज्ञापन

†३८५७. **श्री बहादुर सिंह :**
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के विभिन्न ज़ोनों में १९६०–६१ में वाणिज्यिक विज्ञापनों से कितनी आय हुई;

(ख) क्या आय में वृद्धि करने के लिये रेलवे के माध्यम का उपयोग करने की सभी संभावनाओं की जांच की गयी है ;

(ग) यदि हां, तो अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ।

(घ) क्या रेलवे के विभिन्न खंडों (ज़ोन) में वाणिज्यिक विज्ञापन के अधिकारियों के वेतन-क्रमों में उन्नति की गयी है ;

(ङ) क्या किसी खंडीय (जोनल) रेलवे में उपरोक्त वेतन-क्रमों में कोई असमानता है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) क्या इन में एकरूपता लाने की कोई प्रस्थापनाएँ हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) आय का व्योरा निम्नलिखित है :

	१९६०–६१
	रु०
१. पश्चिम रेलवे	५,७३,१८२
२. मध्य रेलवे	३,६८,२०४
३. दक्षिण रेलवे	४,०३,८०३
४. उत्तर रेलवे	५,०३,९७३
५. पूर्वोत्तर रेलवे	८३,८८१
६. पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	४७,६००
७. दक्षिण-पूर्व रेलवे	१,१७,२५८
८. पूर्व रेलवे	२,३४,३०१
जोड़ :	२३,३२,०२२

(ख) जी, हां । इनकी जांच की जा रही है । यह एक लगातार चलने वाला कार्य है ।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) वाणिज्यिक विज्ञापनों से होने वाली आय में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(एक) रेलवे द्वारा वाणिज्यिक विज्ञापनों से होने वाली आय में वृद्धि करने के लिए निरन्तर प्रयास चालू रहते हैं। बोर्ड्स, पोस्टर्स, विद्युत-चिन्हों आदि चीजों के लिए रेलवे प्रांगण में स्थान प्रदान करने के अतिरिक्त भावी विज्ञापकों को विज्ञापन के नये माध्यमों की पेशकश की जाती है। ये नये माध्यम हैं: माल डिब्बों की दिवारें, यात्रा-टिकटों की पीठ, रेलवे डिब्बों के अन्दर के पैनल, पार्सल, पार्सल और सामान की रसीदों के नीचे का स्थान ।

(दो) मुख्य विज्ञापन एजेंसियों और विज्ञापन लानेवाले व्यक्तियों को आकर्षक कमीशन की पेशकश करके उन्हें रेलवे के लिए वाणिज्यिक विज्ञापन लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ।

(तीन) विभिन्न माध्यमों की दरों में एकरूपता लाने के लिए, जहां उनका प्रमापीकरण हो सकता है वहां पर उनका प्रमापीकरण किया गया है । रेलवे बोर्ड के स्तर पर इस बात पर बड़ा ध्यान दिया जाता है कि रेलवे वाणिज्यिक विज्ञापनों द्वारा अपनी आय में वृद्धि करने का पूरा प्रयत्न करे।

(घ) जी, हां । कुछ रेलों में वाणिज्यिक विज्ञापन अधिकारी के पद को क्रमोन्नत किया गया है।

(ङ) दक्षिण और पश्चिम रेलवे में सहायक अधिकारी के पद को वरिष्ठ वेतन-क्रम देकर उन्नत किया गया है । पूर्व, मध्य और दक्षिण पूर्व रेलवे में ऊंचे वेतन-क्रमों वाले पृथक पदों की मंजूरी दी गयी है । किन्तु दक्षिण पूर्व रेलवे में यह पद अभी कनिष्ठ-क्रम दूसरी श्रेणी का ही है । पूर्वोत्तर और उत्तर रेलवे में निचले वेतन-क्रम दूसरी श्रेणी के पदों की मंजूरी दी गयी है । पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में किसी पद की मंजूरी नहीं दी गयी।

(च) इन पदों के वेतन-क्रमों का निर्धारण काम के परिणाम और उनसे संलग्न जिम्मेदारी को ध्यान में रख कर किया गया है ।

(छ) जी, नहीं ।

विशाखापत्तनम में टेलीफोन

†३८५८. डा० विजय आनन्द : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापतनम में १९६० और १९६१ में टेलीफोन लगाने के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए,

(ख) कितने टेलीफोन लगाये गये ; और

(ग) कितने टेलीफोन लगाने बाकी हैं ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन्) : (क) जनवरी १९६० से मार्च १९६१ तक की अवधि में १५० ।

(ख) ८८ ।

(ग) ६२ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रक्त दान

†३९५९. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८, १९५९ और १९६० में प्रत्येक वर्ष देश में सरकारी अस्पतालों के माध्यम से कितना रक्त दान हुआ ; और

(ख) प्रत्येक वर्ष इसमें से कितना रक्त इस्तेमाल किया गया ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दिया जायेगी ।

इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन की सामान भाड़े की दरें

†३८६०. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन कलकत्ता और अगरतला के बीच सामान ले जाने के भाड़े में वृद्धि करने के बारे में विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) और (ख). यह प्रश्न कारपोरेशन के विचाराधीन है ।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

भाखड़ा बांध के बिजली घर में दुर्घटना

†**श्री प्र० चं० बरूआ** (शिवसागर) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्न विषय की ओर सिंचाई और विद्युत् मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"भाखरा बांध के बिजली घर में हाल में होने वाली दुर्घटना, जिसके फलस्वरूप दो मजदूरों की मृत्यु हो गई और अन्य कई घायल हुए ।

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : ९ अप्रल, १९६१ को रात को १० बजे भाखड़ा में बायें तट पर स्थित बिजली घर के पैनस्टाक संख्या ४ में रंग करने की एक ट्रोली के साथ दुर्घटना हो गई थी। पैनस्ट्राक्स इस्पात के बड़े-बड़े पाइप होते हैं——७०० फीट लम्बे और १५ फुट व्यास के। इन पाइपों का मुंह ऊपरी बहाव की ओर रखा जाता है और इनके जरिये बांध से लेकर बिजली घर की टर्बाइनों तक पानी पहुंचाया जाता है। एक विशेष प्रकार की ट्रालियों की सहायता से इन पाइपों को रंगा जाता है। इन पांच में से तीन पाइपों की रंगाई का काम वास्तव में पूरा हो चुका था। उन तीन में से दो पाइप टर्बाइनों तक पानी पहुंचा रहे थे। दुर्घटना तब हुई थी, जब ट्राली की स्थिति बदली जा रही थी। ट्राली फिसल गई और पाइप में ३०० फुट की दूरी तक फिसलती चली गई, जिसकी लपेट में उस पाइप में काम करने वाले २४ व्यक्ति आ गय। व घायल हुए इससे पहले भी कई बार ट्रालियों की स्थिति बदली जाती रही है। यह एक सामान्य सी बात थी। बिजली घर या बांध की बनावट से इस दुर्घटना का सीधा संबंध नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

घायल मजदूरों को तुरन्त अस्पताल पहुंचा दिया गया । उनमें से दो की चोटें घातक सिद्ध हुई। उनमें से एक की हालत अभी भी गम्भीर है और दूसरे की हालत अब खतरे से बाहर बताई जाती है। शेष घायलों को मामूली चोटें लगी थीं। अस्पताल से १६ मजदूरों को अब छुट्टी दे दी गई है और ६ की चिकित्सा चल रही है। बांध या बिजली घर की इमारत को इससे कोई हानि नहीं पहुंची है। रंगाई का काम अब भी चल रहा है।

रंगाई विभाग के निदेशक और दो एक्जेकेटिव इंजीनियरों की एक समिति दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। मृत व्यक्तियों के परिवारों और घायल व्यक्तियों को प्रतिकर दिया जायेगा— कामगर प्रतिकर अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार ।

दो व्यक्तियों की मृत्यु और शेष के घायल होने का कारण बनने वाली इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना से हमें गहरा क्षोभ हुआ है। भाखड़ा बांध के महा-प्रबन्धक से कह दिया गया है कि वह मृत व्यक्तियों के परिवारों और घायल व्यक्तियों तक हमारी सहानुभूति और समवेदना पहुंचा दे।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

दामोदर घाटी निगम का वर्ष १९५९-६० का वार्षिक प्रतिवेदन और उससे सम्बन्धित लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन

†**श्री हाथी** : मैं हाफिज मुहम्मद इब्राहीम की ओर से दामोदर घाटी निगम अधिनियम, १९४८ की धारा ४५ की उपधारा (५) के अन्तर्गत वर्ष १९५९-६० के लिये दामोदर घाटी निगम की वार्षिक और उस पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—२८८०।६१]

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिदअली)**: म कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम १९५२ की धारा ७ की उपधारा (२) के अंतर्गत उक्त अधिनियम अनुसूची १ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १५ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५३५ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—२८८१/६१]

अतिरिक्तअनुदानों की मांगें, (सामान्य), १९५८—५९ के बारे में वक्तव्य

वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : मैं श्री मोरारजी देसाई की ओर से वर्ष १९५८-५९ के आय-व्ययक (सामान्य) से संबंधित अतिरिक्त अनुदानों की मांगों का एक विवरण उपस्थापित करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अतिरिक्त अनुदानों की माँगें (रेलवे), १९५८-५९ के बारे में वक्तव्य

†**रेलवे उपमंत्री ((श्री शाहनवाज खां)** : मैं श्री जगजीवन राम की ओर से वर्ष १९५८–५९ के आय-व्यय (रेलवे) से सम्बन्धित अतिरिक्त अनुदानों की मांगों का एक विवरण उपस्थापित करता हूं ।

लाभ-पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति

तीसरा प्रतिवेदन

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** (कुम्बकोणम) : मैं लाभ-पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति का तीसरा प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

उड़ीसा राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन विधेयक)

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"उड़ीसा राज्य विधान मंडल की विधान बनाने की शक्तियों को राष्ट्रपति को प्रदान करने वाले विधेयक पर, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये ।"

सभा को विदित है कि राष्ट्रपति ने २५ फरवरी, १९६१ को उड़ीसा राज्य का प्रशासन अपने हाथ में लेने की उद्घोषणा जारी की थी । उसका अनिवार्य परिणाम है कि उस राज्य विधान-मंडल की विधान-निर्मात्री शक्तियां संसद् को मिल गई हैं । अब संसद् की ओर से वे शक्तियां राष्ट्रपति को सौंपने के लिये यह विधेयक रखा गया है ।

पहले भी चार या पांच अवसरों पर ऐसा किया जा चुका है । इस सम्बन्ध में मैं बता दूं कि सामान्यतया राष्ट्रपति एक समिति से परामर्श करते हैं, जो इसके लिये बनाई जायगी । खण्ड ३(२) के परंतुक में इस समिति का उल्लेख है। उसमें कहा गया है कि इस प्रयोजन के लिये अध्यक्ष द्वारा नामजद लोक-सभा के १४ और सभापति द्वारा नामजद राज्य-सभा के ७ सदस्यों की एक समिति गठित की जायेगी जो विधान बनाने के मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देगी । राष्ट्रपति सामान्यतया हर ऐसे मामले में समिति से सलाह करेंगे । सलाह करने के बाद भी, जब राष्ट्रपति ऐसे विधेयकों को अधिनियम का रूप दें, तो संसद् यदि चाहे तो सात दिन के अन्दर उसमें रूप भेद करने के सुझाव दे सकेगी । खंड ३ के उप-खंड (४) में इसकी व्यवस्था की गई है ।

सभा को मालूम है कि उड़ीसा राज्य का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा ग्रहण करते समय राज्य विधान सभा में कुछ विधेयक विचाराधीन थे और विधान सभा का आयव्ययक सत्र चार पांच दिन बाद ही शुरू होने वाला था । मैं ऐसे पांच विधेयकों का उल्लेख कर चुका हूं : उड़ीसा जिला परिषद् संशोधन विधेयक, १९६१, उड़ीसा से विलयित प्रदेश अर्जीनवीस (अनुज्ञप्तियों को जारी रखना) संशोधन विधेयक, १९६१, उड़ीसा मकान किराया नियंत्रण संशोधन विधेयक, १९६१, और उड़ीसा सड़कों तथा आंतरिक जलमार्गों द्वारा परिविहित माल पर कर लगाना विधेयक, १९६० ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चूंकि विधान सभा का सत्र उस समय चल नहीं रहा था, इसलिये सरकार को इन विधेयकों के सम्बन्ध में अध्यादेश जारी करने पड़े थे। उन दोनों अध्यादेशों की अवधि अब पूरी हो चुकी है : इसलिये अब इस पर विचार करना पड़ेगा कि उनको राष्ट्रपति के अधिनियम का रूप दिया जाना चाहिये या नहीं।

दूसरी चीज यह कि राष्ट्रपति के हाथ में प्रशासन रहने के काल में बहुदा ऐसे अवसर आते हैं जब कुछ अधिनियमों को तुरन्त पारित करना आश्वयक हो जाता है। उसके लिये राष्ट्रपति को पर्याप्त शक्ति प्रदान की जानी चाहिये। सामान्यतया राष्ट्रपति इसके लिये परामर्श समिति की सलाह ले लेंगे। लेकिन जब मामला अत्यन्त अविलम्बनीय हो, तो असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति स्वयं उसे अधिनियम का रूप दे सकेंगे। लेकिन दोनों ही प्रकार के अधिनियमों को संसद् के समक्ष रखा जायगा और संसद् के दोनों सदन उसमें रूपभेद कर सकेंगे।

सभा को विदित है कि उड़ीसा में जून १९६१ में चुनाव होने वाले हैं। इसीलिये इस विधेयक को तैयार करने में बड़ी सावधानी रखी गई है। हो सकता है कि तब तक इन कुछ सप्ताहों में राष्ट्रपति को कुछ अधिनियम पारित करना आवश्यक हो जाये। वैसे आशा यही है कि चुनाव के बाद उड़ीसा में एक स्थायी सरकार बन जायेगी, और तब राष्ट्रपति तुरन्त ही राज्य मंत्रिमंडल को प्रशासन का सारा भार सौंप देंगे। इसलिये शायद राष्ट्रपति को अधिनियमों की इस शक्ति का प्रयोग ही न करना पड़े लेकिन सावधानी के तौर पर ऐसी व्यवस्था रखना आवश्यक है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही के तीनों संशोधन बड़े अव्यावहारिक हैं। इसलिये उनको स्वीकार नहीं किया जा सकता। यदि माननीय सदस्य का पहला सशोधन मानकर, अन्तरकालीन समावधि में राष्ट्रपति की शक्तियों को सहमित कर दिया जाये, तो उस अवधि में राष्ट्रपति के अधिनियम की आवश्यकता पड़ने पर भी उसे अधिनियमित नहीं किया जा सकेगा। हो सकता है कि इस समय की समाप्ति के बाद उड़ीसा के नये चुनावों तक कोई ऐसी आवश्यकता पड़ जाये।

माननीय सदस्य ने अपना दूसरा संशोधन केवल प्रचार की दृष्टि से पेश किया है। माननीय सदस्य जिस दल से सम्बन्धित हैं, उस दल ने अपने सशोधनों में लगभग इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया था। वे अपने दल का प्रचार करने की दृष्टि से ही रखे गये हैं। स्पष्ट है कि राष्ट्रपति उड़ीसा राज्य के संवैधानिक प्रधान की हैसियत से कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिसका वहां के नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर कोई कुप्रभाव पड़े। इसलिये राष्ट्रपति पर ऐसा कोई प्रतिबन्ध लगाने की कोशिश करने का मतलब है उनकी सदाशयता पर संदेह करना। यह नितान्त अनुचित होगा।

तीसरे संशोधन द्वारा माननीय सदस्य परामर्शदात्री समिति से सलाह करना राष्ट्रपति के लिये अनिवार्य बना देना चाहते हम ने यह व्यवस्था कुछ अविलम्बनीय मामलों की संभावना की दृष्टि से की है। कभी यह भी तो हो सकता है कि परामर्शदात्री समिति की बैठक बुलाने का समय ही न हो। या वह व्यावहारिक ही न हो। इसलिये ऐसा प्रतिबन्ध लगाना अविवेकपूर्ण होगा। इसलिये, मेरा अनुरोध है कि सभा इस विधेयक पर, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, विचार करे।

मैं यह भी बता दूं कि यह विधेयक जब राज्य-सभा के सामने रखा गया था, तब मूल प्रस्ताव यह था कि परामर्शदात्री समिति में १५ सदस्य रहें, १० लोक-सभा और ५ राज्य-सभा के। लेकिन फिर यह सोचा गया कि राष्ट्रपति संसद् की ओर से प्रशासन करेंगे और यह भी कि अन्य क्षेत्रों के लोग भी इसमें रुचि लेंगे, इसलिये लोक-सभा के सदस्य १४ और राज्य-सभा के ७ रख

गये हैं । इस प्रकार संसद् का अधिक प्रतिनिधित्व होगा, और अन्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि उसमें अधिक भाग ले सकेंगे ।

मैं इस विधेयक को सभा के विचारार्थ सभा के समक्ष रखता हूं ।

†अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (पुरी) : मैं अपने संशोधन संख्या १, २ और ३ प्रस्तुत करता हूं ।

लगता है कि गृह-कार्य मंत्री और मंत्रालय ने उड़ीसा के प्रशासन के प्रति आत्म-तुष्टि का रवैया अपना लिया है ।

पहले भी कई राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति ने अपने हाथ में लिया है । लेकिन उनके मामलों में इतना विलम्ब नहीं किया गया था । उड़ीसा में २५ फरवरी को राष्ट्रपति के शासन की घोषणा की गई थी, और अब अप्रैल के अन्त में इसे इस सभा के सामने लाया गया है ।

जब २ जून को उड़ीसा में नये चुनाव होने ही वाले हैं, तो फिर एक महीने के लिये राष्ट्रपति के अधिनियम की व्यवस्था की कोई आवश्यकता ही नहीं । यह विधेयक अनावश्यक है ।

माननीय मंत्री ने मुझ पर प्रचारात्मकता का आरोप लगाया है । बात उल्टी ही है ।

उड़ीसा राज्य का प्रशासन जब राष्ट्रपति ने अपने हाथ में लिया था, तब उड़ीसा विधान सभा में पांच विधेयक लम्बित थे । उड़ीसा राज्य विधान सभा को उन पर विचार करने का पूरा अवसर नहीं मिल सका था । कम से कम दो विधेयक—उड़ीसा ज़िला परिषद् (संशोधन) विधेयक और उड़ीसा मकान किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक—तो ऐसे हैं जिन पर पूरे विस्तार से विचार किया जाना चाहिये । इसलिये उनको चर्चा के लिये संसद् में रखा जाना चाहिये था ।

तीन महीने के इस आय-व्ययक सत्र में संसद् के पास इसके लिये पर्याप्त समय था । लेकिन यह नहीं किया गया ।

इस विधेयक के उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में कहा गया है कि इन विधेयकों पर विचार करने का समय शायद संसद् को न भी मिल पाये । मैं सभी विधेयकों के लिये नहीं कहता, पर संसद् को कुछ विशेष महत्वपूर्ण विधेयकों पर तो पूरी तौर से विचार करना ही चाहिये था । जब संसद् के पास इतना भी समय नहीं है, तब फिर संसद् की ओर से प्रशासन चल रहा है—यह कहना कितना अर्थ रखता है ? वास्तविकता तो यह है कि २८ फरवरी के बाद से वहां अधिकारियों का शासन चल रहा है । वे शायद श्री दातार से भी सलाह नहीं लेते । और जब परामर्शदात्री समिति बनाने का निर्णय हो ही चुका था, तो इन तीन महीनों में उसे गठित कर देना चाहिये था । अब क्या लाभ, क्योंकि जून में तो चुनाव होने ही वाले हैं ।

इसलिये संसद् द्वारा राष्ट्रपति को ये शक्तियां प्रदान करना अनावश्यक है । इसलिये यदि सभा इस विधेयक को स्वीकृत करती है, तो कम से कम मेरे इन संशोधनों के साथ स्वीकृत करेगी, ऐसी आशा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० सामन्तसिंहार** (भुवनेश्वर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं, हालांकि इसमें काफी विलम्ब हुआ है। मंत्रालय को यह विधेयक सभा के सामने और पहले रखना चाहिये था। खैर।

परामर्शदात्री समिति की सदस्य-संख्या कम से कम तीस रखी जानी चाहिये थी। और यदि अन्य क्षेत्रों के सदस्यों की रुचि का भी ध्यान रखना है, तो समिति की सदस्य-संख्या कम से कम ३५ रखनी चाहिये।

इसमें एक संवैधानिक अनियमितता भी रह गई है। अनुच्छेद १७९ के द्वितीय परन्तुक के अनुसार स्पष्ट है कि यह मंत्रालय उड़ीसा विधान सभा के अध्यक्ष को उनके पद से हटाने की सलाह नहीं दे सकता।

†**श्री दातार** : यह प्रश्न इस विधेयक से उत्पन्न नहीं होता।

†**डा० सामन्त सिंहार**: मैं मानता हूं। फिर भी इस प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिये।

आशा है कि परामर्शदात्री समिति शीघ्र ही गठित की जायेगी। मैं श्री पाणिग्रही द्वारा प्रस्तुत संशोधनों का विरोध करता हूं। आशा है सभा इस विधेयक को पारित कर देगी।

†**श्री जगन्नाथ राव** (कोरापट): मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। उड़ीसा में नई सरकार की स्थापना जुलाई के पूर्व नहीं हो सकती है। बहुत से ऐसे विधान हैं जिनके तुरन्त पारित किये जाने की आवश्यकता है। अतः राष्ट्रपति को विधान बनाने की शक्ति अवश्य दी जानी चाहिए। यह कहना ठीक नहीं है कि यह विधेयक प्रजातांत्रिक नहीं है। संविधान के अनुच्छेद ३५७ में इस प्रकार के प्रत्यायोजन का उपबन्ध है।

माननीय श्री पाणिग्रही ने कहा कि इस विधेयक का महत्व समाप्त हो गया है। मैं यह तर्क नहीं समझ सका। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार उड़ीसा के लम्बित विधेयकों को संसद द्वारा पारित करा सकती थी। मेरा निवेदन है कि इस सभा का कार्यक्रम पहले ही बहुत व्यस्त है।

फिर जहां तक मंत्रणा समिति का सम्बन्ध है, डा० सामन्त सिंहार ने कहा कि संसद की दोनों सभाओं में उड़ीसा के ३० सदस्य हैं फिर इस समिति में केवल ३० सदस्य क्यों रखे गये हैं? उन्होंने कहा कि संसद के सभी सदस्यों को समिति का सदस्य होना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह आवश्यक नहीं है क्योंकि यह समिति केवल मंत्रणात्मक है। इस प्रकार इस विधेयक में कोई भी बात ऐसी नहीं है जिसका विरोध किया जा सके। अतः मैं इस विधेयक का हृदय से समर्थन करता हूं।

†**श्री आचार** (मंगलौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और संशोधनों का विरोध करता हूं। मंत्रणा समिति के सदस्यों के सम्बन्ध में यह उपबन्ध है कि लोक-सभा के सदस्यों का नामांकन अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। मेरा विचार है कि यह ठीक नहीं है और संविधान की भावना के विरुद्ध है। समिति में सभा के सभी दलों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए और सदस्यों का चुनाव होना चाहिए क्योंकि उड़ीसा के प्रशासन की समस्त जिम्मेदारी संसद पर है। चूंकि अध्यक्ष समस्त दलों से अलग है इसलिए उसके द्वारा समिति के सदस्यों का नमांकन ठीक नहीं होगा। इसलिए उनका सभा द्वारा निर्वाचन ही उचित है। नामांकन का अनुचित प्रयोग किया

†मूल अंग्रेजी में

जा सकता है जैसा कि मद्रास के एक मुख्य मंत्री ने ताल्लुक बोर्डों के नामांकनों में किया था। यह ठीक है कि अध्यक्ष के सम्बन्ध में वैसी गुंजाइश नहीं है फिर भी क्या नामांकन सिद्धान्ततः ठीक कहा जा सकता है ? यह विधेयक दो महीने के लिए भले ही हो फिर में हमें एक स्वस्थ परम्परा की नींव डालनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: मुझे केवल दो तीन बातें कहनी हैं। यह एक मंत्रणा निकाय है और राष्ट्रपति को उसकी मंत्रणा के अनुसार कार्य करना है। अतः यह कोई परिनियत निकाय नहीं है। इसलिए उसका सभा में चुनाव किया जाना आवश्यक नहीं है। दूसरे, सभा के विभिन्न भागों के हित आपके हाथों में सर्वथा सुरक्षित हैं और आप विभिन्न भागों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना ही पसंद करेंगे।

तीसरे, चूंकि उड़ीसा में राष्ट्रपति का शासन लागू किया गया ह, इसलिए यह आवश्यक है कि इस समिति में उड़ीसा के अधिकाधिक सदस्यों को प्रतिनिधित्व मिल सके। यदि यह चुनाव पर छोड़ दिया जायेगा तो पता नहीं क्या परिणाम होगा। उड़ीसा के अतिरिक्त अन्य राज्यों के सदस्य भी चुने जायेंगे। इसलिए यह आपके हाथ में छोड़ देना ही अधिक अच्छा होगा ताकि उड़ीसा के सदस्यों को अधिक प्रतिनिधित्व मिले और अन्य को थोड़ा सा। मैं यह स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि हम यह नहीं चाहते कि उसमें केवल उड़ीसा के ही सदस्य हों। वास्तव में उसे इस सभा का सही प्रतिनिधित्व करना चाहिए जैसा कि श्री आचार ने कहा था। इसलिए उसमें उड़ीसा के अतिरिक्त अन्य राज्यों के सदस्य भी होने चाहिए। आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए मंत्रणा समिति का निर्माण कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि इन परिस्थितियों में श्री आचार अपनी आपत्ति पर आग्रह नहीं करेंगे।

†**श्री आचार**: मैंने कोई संशोधन नहीं रखा है, वरन् केवल सुझाव रखा था।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि उड़ीसा राज्य विधान मण्डल की विधान बनाने की शक्तियों को राष्ट्रपति को प्रदान करने वाले विधेयक पर, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड २ (परिभाषा)

†**अध्यक्ष महोदय** : खण्ड २ पर कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ३, (राष्ट्रपति को राज्य विधान मण्डल की शक्ति का प्रदान किया जाना)

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** मैं अपने संशोधन संख्या १, २ और ३ पेश करता हूं ।

संशोधनों पर मतदान हुआ तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है:

"कि खण्ड ३ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १, अधिनयम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

†**श्री दातार :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) संशोधन विधेयक

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : मैं श्री मोरारजी देसाई की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, १९५५ को संशोधित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

जैसा कि माननीय सदस्य जानते है, संसद् ने मीट्रिक प्रणाली पर आधारित भारों तथा मापों के प्रतिमान स्थापित करने के लिए भार तथा माप प्रतिमान विधेयक, १९५६ अधिनियमित किया था । इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार देश में मीट्रिक इकाइयों के अंगीकरण में प्रगति हो रही है । अब भार तथा माप अधिनियम, १९५६ के उपबन्धों का मद्यसार उद्योग में विस्तार करने का प्रस्ताव है । तदनुसार औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, १९५५ की वर्तमान अधिसूची में कर की जो दरें मद्यसारयुक्त औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री के सम्बन्ध में प्रति गैलन रुपये और आनों में दी गई हैं उन्हें प्रति लिटर रुपये और नये पैसों में बदलना है क्योंकि मद्यसार का नया माप लिटर होगा ।

इस अवसर पर हम उन अनियमिताओं को भी दूर करना चाहते हैं जो मद्यसार युक्त प्रसाधन की वस्तुओं के कर की दरों में है । अभी साधारण मद्यसार का प्रयोग करके बनाई गई प्रसाधन की वस्तुओं पर लन्दन प्रूफ स्पिरिट के पीछे प्रति गैलन १७ रुपये ८ आने की दर से शुल्क लिया जाता है और अन्य पर ५ रुपये प्रति गैलन की दर से । यह अन्तर ठीक नहीं है । इसके अतिरिक्त शुल्क की वर्तमान दरें अपेक्षाकृत कम हैं । जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, यद्यपि मद्यसार, अफीम और भारतीय भांग और अन्य मादक औषधियों से बनी प्रसाधन की चीजों पर उत्पादन शुल्क भारत सरकार द्वारा लगाया जाता है, उसकी वसूली का भार राज्यों पर है और उसकी

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब० रा० भगत]

आय भी संविधान के अनुच्छेद २६८ के अन्तर्गत राज्यों को विनियोजित की जाती है। जिन राज्य सरकारों से परामर्श किया गया था उन्होंने भी यही मत व्यक्त किया है कि यह शुल्क बढ़ाया जाना चाहिये। इसलिए विधेयक में मद्यसार का प्रयोग करके बनाई गई प्रसाधन की सभी वस्तुओं पर लन्दन प्रूफ स्पिरिट के प्रति लिटर पीछे ७ रुपये की दर से शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया गया है।

वित्त विधेयक, १९६१ के अन्तर्गत कुछ कांतिद्रव्यों और प्रसाधन की वस्तुओं पर मूल्यानुसार २५ प्रति शत शुल्क लगाया है। विभिन्न प्रसाधन की वस्तुओं पर लागू शुल्क की दर में एकरूपता लाने के लिए एक संशोधन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित ७ रुपये प्रति लिटर की दर बदल कर मूल्यानुसार २५ प्रतिशत कर देने का विचार है। वित्त विधेयक, १९६१ में सामान्य मद्यसार के रूप में प्रयोग न की जाने वाली पेटेन्ट दवाइयों पर एक दस प्रतिशत का नया शुल्क भी लगाया जा रहा है। अतः एक संशोधन द्वारा औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम की अनुसूची में भी एक नया प्रशुल्क जोड़ा जा रहा है ताकि मद्यसार, अफीम अथवा भारतीय भांग युक्त पेटेन्ट दवाइयों पर भी उसी दर से कर लगाया जा सके। संशोधित प्रशुल्क तैयार किये जाने के बाद भेषज (संशोधन) विधेयक, १९६० लागू किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप भेषज अधिनियम, १९४० की धारा ३ का खण्ड (घ) खण्ड (ज) हो गया है। इसलिये संशोधित अनुसूची में व्याख्या १ में पेटेन्ट दवाइयों की भेषज अधिनियम, १९४० की धारा २ के खण्ड (घ) में दी गई व्याख्या को पेटेन्ट दवाइयों की भेषज अधिनियम, १९४० की धारा ३ के खण्ड (ज) में दी गई व्याख्या पढ़ी जाये।

जहां तक अनुसूची की अन्य वस्तुओं पर कर की दरों का सम्बन्ध है, सिवाय दरों के प्रति गैलन रुपये और आनों से प्रति लिटर रुपये और नये पैसों में बदल दिये जाने और संख्या को पूर्णांकों में व्यक्त करने के अन्य कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। मद्यसार युक्त आयुर्वेदिक औषधियों पर कर की दर वर्तमान अनुसूची में ३ रुपये प्रति गैलन है। उन्हें कुछ राहत देने के लिये औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) नियम, १९५६ के नियम ८ के अन्तर्गत जारी की गई एक अधिसूचना द्वारा शुल्क की दर १० सितम्बर, १९६० से १.७५ रुपये प्रति गैलन कर दी गई है। यही घटी हुई दर विधेयक में मीट्रिक इकाइयों के रूप में व्यक्त की गई है।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री वें० प० नायर (क्विलोन) :** अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने इस विधेयक को आनुषंगिक प्रकृति का बताया है। परन्तु हम देखते हैं कि उसमें एक नए कर की व्याख्या की गई है जो कुछ वस्तुओं के मामले में अधिक होगा और आयुर्वेदिक औषधियों के सम्बन्ध में कम। अतः हमें यह विचार करना है कि एक इस प्रकार के विधेयक से हम इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित कर सकेंगे ?

विधेयक में लन्दन प्रूफ स्पिरिट की व्याख्या की गई है। परन्तु यह पर्याप्त नहीं है। हमें यह देखना चाहिए कि क्या इस प्रकार के विधान के अन्तर्गत वे सभी वस्तुयें आ जायेंगी जिन्हें यह विधान लाना चाहता है। अभी जो व्यवस्था है उसे देखते हुए यह संभव नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

कानून का यह सर्वविदित सिद्धान्त है कि जब कोई कर लगाया जाता है तो जिस वस्तु पर कर लगाया जाता है उसकी निर्दिष्ट व्याख्या की जानी चाहिए । जहां तक मद्यसार का सम्बन्ध है उसका रसायन शास्त्र में अभिप्राय कुछ आर्गेनिक कम्पाउंड्स से है परन्तु सामान्यतः उसका अर्थ ईथल या एथनोल लगाया जाता है । अतः माननीय मंत्री को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उनका तात्पर्य रसायन शास्त्र वाले अर्थ से है अथवा सामान्य अर्थ से ।

दूसरी कठिनाई लन्दन प्रूफ स्पिरिट के सम्बन्ध में है । चूंकि यह शुल्क लन्दन प्रूफ स्पिरिट के प्रति गैलन के आधार पर लगाया जायेगा अतः हमें यह समझना चाहिये कि लन्दन प्रूफ स्पिरिट क्या है । सरकार ने इस विधेयक में उसकी ब्याख्या तो की है परन्तु उससे कोई लाभ नहीं होगा । प्रसाधन सामग्री की असंख्य वस्तुओं में लन्दन प्रूफ के अनुसार मद्यसार की मात्रा निश्चित करना आसान नहीं है । मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री यह बतायें कि लन्दन प्रूफ के अनुसार मद्यसार की मात्रा कैसे निश्चित की जायेगी ? मेरा विचार है कि इसके लिए अनेक प्रकार के यंत्रों की आवश्यकता होगी जो अभी हमारे राज्यों के पास नहीं हैं । अतः इस विधेयक के उपबन्धों का क्रियान्वयन असंभव है। जब हमारे पास मद्यसार की मात्रा जानने के यंत्र ही नहीं हैं तो शुल्क का निर्धारण कैसे किया जा सकेगा परिणाम यह होगा कि अधिकारी मनमानी करेंगे जिससे उत्पादक परेशानी में पड़ जायेंगे ।

यही नहीं इस विधेयक का प्रभाव बहुत व्यापक है क्योंकि उसमें केवल औषधीय तथा प्रसाधन की वस्तुयें ही सम्मिलित नहीं हैं वरन "अन्य सभी" शब्द प्रयुक्त हुए हैं । मैं नहीं समझता कि जब विभिन्न औषधीय तथा प्रसाधन वस्तुयें और आयुर्वेदिक औषधियां गिना दी गई हैं तब "अन्य सभी" शब्द क्यों रखे गए हैं ?

जहां तक आयुर्वेदक औषधियों का सम्बन्ध है, उनके सम्बन्ध में और भी अधिक कठिनाई पड़गी । हम जानते हैं कि वे जिन वस्तुओं से तैयार की जाती हैं उनमें कारबोहाइड्रेट की मात्रा बहुत होती है। उसके सड़ने से ही मद्यसार उत्पन्न होता है। अतः उनके मद्यसार के तत्व का निश्चय कैसे किया जा सकेगा ?

इसके अतिरिक्त मैं एक बात की ओर सरकार का ध्यान और आकर्षित करना चाहता हूं । मैं मद्यनिषेध को बुरा नहीं कहता परन्तु जब से वह लागू हुआ तब से बहुत से लोग टिंक्चरों का सेवन करने लगे हैं क्योंकि किसी-किसी टिंक्चर में मद्यसार १५ या १६ प्रतिशत तक होता है । औषधियों के इस प्रकार के दुरुपयोग का रोका जाना आवश्यक है ।

अन्त में मैं यही कहूंगा कि इस विधेयक को भली प्रकार सोच विचार करके संपरिवर्तित किया जाये ताकि भविष्य में कठिनाइयां न उत्पन्न हों । विलासिता की वस्तुओं पर कर लगा कर राजस्व एकत्र करने की नीति अच्छी है परन्तु समस्त प्रसाधन की वस्तुयें विलासिता में सम्मिलित नहीं की जानी चाहिएं । उदाहरण के लिए साबुन में मद्यसार का प्रयोग होता है परन्तु सावुन को विलासिता की वस्तु नहीं कहा जा सकता है । यदि हम इस विधेयक को इसी रूप में पारित कर देंगे तो बाद में कठिनाइयां उत्पन्न होंगी और हमें यह दोष दिया जायेगा कि हमने बिना सोचे समझे ऐसा कानून बना दिया । इसके अतिरिक्त मद्यसार की मात्रा का निश्चय करने के लिये यंत्र न होने के कारण अधिकारियों को मनमानी करने का मौका मिल जाएगा । इसलिए मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि वह अपर्याप्त और अपूर्ण जिससे अनेक कठिनाइयां उत्पन्न होंगी ।

†**डा० सुशीला नायर** (झांसी): मैं श्री वें० प० नायर की अधिकांश बातों से पूर्णतः सहमत हूं। यह विधेयक बहुत जल्दबाजी में बनाया गया मालूम होता है। यह सर्वथा ठीक है ल दन प्रुफ के आधार पर शुल्क का आकलन किया जाना प्रायः असंभव है, विशेषकर इसलिये कि विभिन्न औषधियों में प्रयोग किये जाने वाले मद्यसार की मात्रा समान नहीं होती है। आयुर्वेदिक औषधियों के मामले में यह कठिनाई और भी अधिक है। आयुर्वेदिक आसवों में मद्यसार का प्रतिशत १८ से २० तक होता है और उनको मद्य निषेध कानून का उल्लंघन करने के लिये काम में लाया जा सकता है। अतः श्री मोरारजी देसाई के वित्त मंत्री रहते हुए आयुर्वेदिक औषधियों पर शुल्क कम होना एक विचित्र बात है। यह कहना गलत है कि लोग टिंक्चर पीने लगे हैं क्योंकि एक तो उनमें मद्यसार की मात्रा कम होती है और दूसरे वे बहुत कड़वे होते हैं। उन पर सरकार ने कर भी बहुत लगा रखा है। इसीलिए आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो औषधियां खरीदने में असमर्थ हैं वास्तव में सरकार को मुफ्त दवाइयां देनी चाहिए। प्रसाधन की वस्तुओं पर कर लगाना तो ठीक है परन्तु औषधियों को उनके साथ मिला देना मेरी समझ में नहीं आता है। सरकार यदि मुफ्त दवाई नहीं दे सकती तो उनके मूल्य तो कम कर ही सकती है ताकि सामान्य व्यक्ति भी खरीद सके।

मैं श्री नायर की इस बात से सहमत हूं कि मद्यसार के मूल्यांकन का जो आधार है उससे दवाई बेचने वालों को बहुत कष्ट होगा। अतः इस विधेयक को अगले सत्र तक स्थगित कर देना ठीक होगा ताकि वित्त उपमंत्री इस बीच में उन सब बातों पर भली प्रकार विचार कर सकें जिनकी ओर उनका ध्यान आकर्षित किया गया है।

†**डा० मेलकोटे** (रायचूर): मेरा ऐसा विचार है कि इस विधेयक से किसी को कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि इस प्रकार के कानून बनने से असंख्य केमिस्टों और दुकानदारों को बहुत कठिनाई होगी। वर्तमान स्थिति में कई दवाइयों में मद्यसार की मात्रा निर्धारित करना असंभव होगा। और सरकार के लिये इन दवाइयों की जांच करना बड़ा कठिन हो जाएगा। शायद इस विधेयक के दो उद्देश्य हैं एक तो यह है कि राजस्व बढ़े दूसरे वे दवाइयां जिनमें मद्यसार की मात्रा अधिक है जनता पर थोपी न जाये। जहां तक राजस्व बढ़ाने की बात है उस उपबन्ध का तो हम स्वागत करते हैं लेकिन जो दवाइयां जन साधारण के लिये आवश्यक हैं उन पर शुल्क लगाने का स्वागत नहीं किया जा सकता। विधेयक में "सेवन" शब्द की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। उदाहरण के लिये टिन्चर बाहर लगाया जाता है। यह स्पष्ट नहीं कि इसे क्या कहा जाये। इसके अलावा कई डाक्टर अपने अस्पतालों में खुद टिन्चर बनाते हैं जिससे मद्यसार के अंश का पता लगाना कठिन होगा। मेरा निवेदन है कि यह विधेयक या तो प्रवर समिति को सौंपा जाये अथवा इसे वापस ले लिया जाये।

†**श्री वारियर** (त्रिचूर): यह मुख्य अधिनियम कुछ दिनों से चल रहा है। कुछ प्रसिद्ध आयुर्वेद संस्थाएं ये दवाइयां बना रही है। बहुत से रोगी इन दवाइयों से लाभ उठा रहे हैं। लेकिन अब इन संस्थाओ को काफ़ी परेशानी हो रही है और रोगियों को अच्छी दवाइयां नहीं मिल पातीं। यह मामला स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजा गया और उन्होंने बताया कि उत्पादन शुल्क से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। यह तो वित्त मंत्रालय का मामला है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

इस विधेयक के अन्तर्गत आम आयुर्वेदिक दवाइयां आ जाती हैं जो प्रख्यात आयुर्वेदिक फार्म ही नहीं वरन् लोगों द्वारा घरों में, विशेषकर केरल में, तैयार की जाती है। इन सब लोगों को उत्पादन

†मूल अंग्रेजी में

शुल्क लग जाने से बहुत कठिनाई होगी। कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों में मद्यसार का प्रयोग नहीं किया जाता लेकिन उनमें इसका कुछ अंश आप ही आप बन जाता है। ये दवाइयां बिल्कुल नशीली नहीं होतीं। लोग नशा करने के लिए अन्य चीज़ों को जिनमें मिथिलेटेड स्पिरिट शामिल है, काम में ला सकते हैं। उदाहरण के लिये अरिष्ट ही लीजिये यह घर घर में तैयार किया जाता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि प्रसिद्ध एवं विश्वस्त आयुर्वेद संस्थाओं द्वारा तैयार चीज़ों को, जो राज्य सरकारों द्वारा प्रमाणित है इस अधिनियम के क्षेत्र में नहीं लाना चाहिये।

†**श्री राधेलाल व्यास** (उज्जैन): उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है, इस में जो ट्रायलेट प्रिपरेशन्स हैं जिन पर अलग अलग ड्यूटियां थीं, उन को अब समान रूप से लगाया गया है और जो आयुर्वेदिक औषधियां हैं, जिन में कहा जाता है कि अल्कोहाल की कुछ मात्रा होती है, उन पर ड्यूटी को कम किया गया है। कुछ माननीय सदस्यों ने बतलाया कि इस से कुछ छोटे निर्माताओं का हैरसमेंट होता है, उन को बड़ी दिक्कतें होती हैं, लेकिन इस बिल के पास न करने से वे खत्म नहीं हो जातीं, क्योंकि ड्यूटी तो अब भी है। कम है, यह अवश्य है। ड्यूटी की मात्रा का फर्क है, उस से हैरसमेंट समाप्त नहीं होता। अगर इस बिल को ड्राप भी कर दिया जाय तो हैरसमेंट तो वही रहता है क्योंकि ड्यूटी तो लगी हुई ही है। इस लिये जो माननीय सदस्यों ने यह कहा कि इस बिल को ड्राप कर दिया जाये, यह बात मेरी समझ में नहीं आती।

जहां तक उन आयुर्वेदिक औषधियों का सम्बन्ध है जिन में अपने आप अल्कोहल पैदा हो जाता है, उन पर ३ रु० प्रति गैलन से घटा कर १¹/₄ रु० प्रति गैलन ड्यूटी की जा रही है।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा): नोटिफिकेशन के जरिये से पहले से ही आयुर्वेदिक प्रिपरेशन्स पर ड्यूटी घटा दी गई है।

श्री राधेलाल व्यास: ठीक है, लेकिन कानून तो बनाना ही पड़ेगा, केवल नोटिफिकेशन से काम नहीं चलता। कानून जरूरी है।

लेकिन मैं यह निवेदन जरूर करूंगा माननीय मंत्री जी से कि जहां तक आयुर्वेदिक औषधियों का सम्बन्ध है, उन पर वह गम्भीरता से विचार करें कि जिस तरह कानून के द्वारा प्रतिबन्ध लगाया गया है कि वहां पर केमिस्ट रक्खे जाने चाहियें, यह कहां तक व्यवहार्य है और कहां तक जरूरी है। वे इस पर इस लिये सोचें कि काफी लोग, खास कर छोटे छोटे निर्माता जो आसव और अरिष्ट बनाते हैं "द्राक्षासव" और "अशोकारिष्ट" आदि लिख दिया करते हैं, लेकिन आसव और अरिष्ट कई तरह के होते हैं। ये आसव और अरिष्ट आयुर्वेद की बहुत ही उपयोगी और कारगर औषधियां हैं। जैसे रस उपयोगी हैं वैसे ही आसव और अरिष्ट भी भिन्न भिन्न रोगों के लिए बड़े उपयोगी सिद्ध हुए हैं। माननीय सदस्या डा० सुशीला नायर ने कहा कि आयुर्वेदिक औषधियों में आसव और अरिष्टों का काफी नशा लाने के पेयों के रूप में उपयोग होता है। मैं कहता हूं कि कोई चाहे किसी आसव की एक या दो बोतल तक पीले उसको नशा नहीं होगा। मैं तो कहता हूं कि कोई पीकर देखे। मैं ने एक बार सदन में कहा था स्वास्थ्य मंत्री से कि आप चाहें किसी आसव या अरिष्ट की दो चार बोतल तक पीकर देख लें और अगर आपको थोड़ा भी नशा हो जाए तो इन चीजों पर टैक्स लगा दें।

---

†मूल अंग्रेजी में

उपाध्यक्ष महोदय: स्वास्थ्य मंत्री तो इस वक्त यहां नहीं हैं। लेकिन जब माननीय सदस्य ने खुद पीकर देख लिया है तो स्वास्थ्य मंत्री को पीने को क्या जरूरत है।

श्री राधेलाल व्यास : मैं ने पिया तो नहीं है। मैं समझता हूं कि कोई दो बोतल पी नहीं सकता, लेकिन मैं ने वैद्यों से तलाश किया है। उनका कहना है कि उसमें अलकोहल की ऐसी मात्रा नहीं होती कि जिससे नशा आ जाए। उसमें औशधियां मिलायी जाती हैं, शहद होता है और कुछ अंगूर होता है। इन सब को सील बन्द करके चालीस दिन तक रखा जाता है। तो इनमें फरमेंटेशन तो हो ही जाता है। लेकिन उनमें जो गुण है वह औशधियों का है, उनमें कोई नशा नहीं है। अफीम से फेन आसव बनता है जो कि कालरा की बहुत अच्छी दवा है। गन्ने के रस से और नारियल के पानी से नारिकेलासव बनता है। ये आसव बड़े उपयोगी हैं और इस देश में गरीबों के लिए ये औशधियां सहज सुलभ हैं और सस्ती हैं। और इनसे बड़ा लाभ होता है। ये आसव और अरिष्ट जितने पुराने होते जाते हैं उतने ही अधिक लाभदायक होते जाते हैं। तो मेरा सुझाव है कि इस प्रश्न पर विचार होना चाहिए। यह सही है कि इसकी आड़ में कुछ नशीले पदार्थ भी दवाओं के नाम से बेचे जाते हैं उन पर अवश्य प्रतिबन्ध लगाना चाहिए लेकिन उसका यह रास्ता तो नहीं है कि इन औशधियों पर ड्यूटी लगा दी जाए। कई लोग जो वैद्यक नहीं करते, जिनको इलाज से कोई सम्बन्ध नहीं है, वे लोग कुछ चीजें जोकि नशा करती हैं बना लेते हैं और आयुर्वेदिक दवाओं के नाम से बेचते हैं। उन चीजों से स्वास्थ्य भी खराब होता है। तो उन पर प्रतिबन्ध होना चाहिए। लेकिन इस प्रकार इन औषधियों पर ड्यूटी लगा देने से वह उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। इसलिए यह नहीं करना चाहिए कि सब को एक ही घाट से उतारा जाए और आयुर्वेदिक औशधियों पर भी ड्यूटी लगा दी जाए। यह उचित नहीं होगा। इस पर गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है।

मेरा सुझाव है कि मिनिस्टर साहब इस प्रश्न पर विचार करने के लिए एक कमेटी बनाएं और इस प्रश्न पर इस तरह से विचार किया जाए कि जो छोटे वैद्य हैं और जो किसी एजेंट के द्वारा अपनी औषधियां नहीं बेचते बल्कि केवल अपने रोगियों का इलाज करने के लिए ही औषधियां तैयार करते हैं उनकी औषधियों पर ड्यूटी न लगायी जाए। अब तो हर राज्य में आयुर्वेदिक बोर्ड काम कर रहे हैं। जिन वैद्यों के लिए वे बोर्ड यह तसदीक कर दें कि वे अपने रोगियों के लिए ही औषधि बनाते हैं उन पर यह ड्यूटी न लगायी जाए जैसे कि आपने हैंडलूम आदि की काटेज इंडस्ट्रीज को कर से मुक्त रखा है। हां जो बड़े बड़े वैद्य दवाएं बनाते हैं जैसे झंडू हैं या वैद्यनाथ, का कारखाना है, इन पर आप टैक्स लगा सकते हैं क्योंकि इन पर आप कंट्रोल भी रख सकते हैं वे लोग आपके कानून का पालन भी ठीक तरह से कर सकते हैं, कैमिस्ट भी रख सकते हैं। लेकिन छोटे वैद्य न तो कैमिस्ट रख सकते हैं और न आपके कानून की दूसरी शर्तें पूरी कर सकते हैं। अगर उन पर यह ड्यूटी लगायी गयी तो इसका परिणाम यह होगा कि उनका काम बन्द हो जायेगा। तो इस पर इस दृष्टि से विचार किया जाये कि जो छोटे वैद्य अपने रोगियों के लिए दवा तैयार करते हैं उनका हैरासमेंट न हो। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उसका परिणाम यह होगा एक ऐसे छोटे वैद्यों को हैरास किया जाता रहेगा पर आपको कोई लाभ नहीं होगा और अफसरों को तनख्वाह आदि देने में आपका काफी पैसा खर्च होगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस विचार का हूं कि यह बिल तो पास कर दिया जाये, लेकिन नये सिरे से इस प्रश्न पर अध्ययन करके आयुर्वेदिक औशधियों के लिए एक दूसरा बिल लाया जाए। इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री श्रीनारायण दास : उपाध्यक्ष महोदय, जब सन् १९५५ में मेडिसिनल एंड टाइलेट प्रिपेरेशन्स ऐक्ट पास किया गया उससे पहले आयुर्वेदिक औषधियों पर कोई कर नहीं लगाया गया था। वह पहला समय था कि जब उस ऐक्ट द्वारा उन आयुर्वेदिक औषधियों पर कर लगाया गया जिनमें स्वयमेव अलकोहल पैदा हो जाता है। इस कारण उन वैद्यो के काम पर बड़ा धक्का लगा जो कि इस प्रकार की औषधियां जिनमें अपने आप अलकोहल पैदा हो जाता है अपने रोगियो के लिये तैयार करते थे। इन वैद्यों ने चारों तरफ से गवर्नमेंट को रिप्रैज़ेंटेशन भेजे जिनके फलस्वरूप एक नोटिफिकेशन के द्वारा उस कर को आधा कर दिया गया। तो यह तो खुशी की बात हुई। लेकिन जहां तक छोटे वैद्यों की दिक्कतों का सवाल है वे किसी प्रकार भी हल नहीं हुईं। अभी भी देश में बहुत से वैद्य ऐसी दवाएं तैयार करते हैं जिनमें अपने आप अलकोहल पैदा हो जाता है। लेकिन जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा है उनमें कोई नशा नहीं होता वे तो दवाएं हैं और एक प्रकार के पौष्टिक पदार्थ हैं जिनको आयुर्वेद के जानने वाले छोटे छोटे वैद्य बनाते हैं।

इस बिल का दायरा बहुत सीमित है। इसके जरिए जो पहले गैलन के हिसाब से कर लगाने की प्रणाली थी उसको बदल कर मीट्रिक प्रणाली में किया जा रहा है। इसलिए यह ऐसा मौका नहीं है कि मैं आयुर्वेदिक दवाओं पर कर हटाने पर जोर दे सकूं लेकिन जब इस प्रकार का विधेयक सदन के सामने हैं तो जनता के प्रतिनिधि के रूप में मैं इसको अपना कर्तव्य समझता हूं कि इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करूं कि जो छोटे छोटे वैद्य इस प्रकार की दवाएं बनाते है जिनमें अपने आप अलकोहल पैदा हो जाता है उन को इस कर के कारण बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि देश में बड़ी तादाद में लोग, करीब ५०-६० प्रतिशत लोग, इन दवाओ का प्रयोग करते हैं और इस प्रकार जो वैद्य ये दवाएं तैयार करते हैं उनसे उनका काम चलता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि जो आयुर्वेद के वैद्य इस प्रकार की दवाएं बनाते हैं जिनमें अपने आप अलकोहल पैदा हो जाता है, उन पर कोई कर न लगाया जाए। लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य श्री व्यास जी ने बताया, इस देश में जो बड़े कारखाने हैं जो कि इस प्रकार की दवाओं को बनाते हैं उन पर सरकार कुछ इस प्रकार का कर लगा सकती है। यह इतना नुकसानदेह नहीं होगा। लेकिन अगर यह कर उन वैद्यो की दवा पर भी लागू रहेगा जो कि छोटे पैमाने पर अपने रोगियों के लिये देश भर में इस प्रकार की दवाएं बनाते हैं तो उनके व्यवसाय को इससे बड़ा धक्का लगेगा और उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ये छोटे वैद्य अपना हिसाब किताब भी ठीक से नहीं रख पाते। वे एक दिन दवा तैयार करते हैं और दूसरे दिन उसे बेच देते हैं। अगर ऐसे लोगों को हिसाब किताब रखने के लिये मजबूर किया जाएगा तो उनको बड़ी कठिनाई होगी। इसलिए यह जरूरी है कि सरकार इस बात पर विचार करे कि जहां तक उन छोटे वैद्यों का सम्बन्ध है जो कि इस प्रकार की दवाएं बनाते हैं जिनमें अपने आप अलकोहल पैदा हो जाता है, उन पर कर न लगाया जाए। इन छोटे वैद्यों पर कंट्रोल रखना भी बहुत कठिन होगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं पर उम्मीद करता हूं कि सरकार इस पर विचार करेगी कि उन आयुर्वेदिक दवाओं पर जिनमें अपने आप अलकोहल पैदा हो जाता है कोई कर न लगाया जाए और अगर सरकार कर लगाना ही चाहती है तो केवल बड़े बड़े कारखानों की इस प्रकार की दवाओं पर कर लगाए, लेकिन जो छोटे पैमाने पर इस प्रकार की दवाएं तैयार करते हैं उन पर कोई कर न लगाया जाए।

†**श्री वे० प० नायर** : मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह इस विधेयक को वापस ले लें क्योंकि किसी ने भी इसका समर्थन नहीं किया है ।

†**श्री ब० रा० भगत** : इस वधेयक के विरुद्ध जो बातें कही गई हैं वे गलत तथ्यों पर आधारित हैं तथा निराधार हैं । यह कहना गलत है कि मद्यसारिक तत्व का निर्धारण नहीं किया जा सकता और कर विभाग के पदाधिकारी मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं। अब अधिकाधिक सही रासायनिक विश्लेषण हो रहे हैं । मद्यसार की परिभाषा अधिनियम में दी हुई है । निस्सन्देह, कुछ कमियां हैं, पर हमारे रासायनिक विशेषज्ञ समस्या को हल करने का प्रयत्न कर रहे हैं । जहां तक प्रशासन का मामला है वह राज्यों के अधीन है । हर राज्य सरकार की अपनी अपनी प्रयोगशालाएं हैं जिनमें वे नमूनों की जांच कराती हैं । डा० सुशीला नायर ने कहा है कि बम्बई के आसव तथा आरिष्ठ नशीली वस्तुओं के रूप में काम में आती है । हमने एक स्थायी समिति बना रखी है, जिसमें रसायन शास्त्री है और सभी औषधियों के मद्यसारिक तत्वों का परीक्षण किया जा रहा है । और आसव तथा आरिष्ठ के बारे में जांच की जायेगी ।

औषधियों में कितना प्रतिशत मद्यसार है इसके लिये प्रत्येक एकस्व औषधि निर्माता को यह घोषित करना पड़ता है कि इसमें इतने प्रतिशत मद्यसार है । हमारा काम तो इसकी जांच करके केवल यह देखना रहता है कि उत्तघोषणा ठीक है अथवा नहीं । अधिकांशतः तो यह ठीक होते हैं और जो ठीक नहीं होते उन्हें दण्ड दिया जाता है ।

एक नियम है जिसके अधीन वैद्यों द्वारा अपने मरीजों को दी जाने वाली मद्यसारिक औषधियां कर से मुक्त हैं । हमसे उन वैद्यों को लाभ होता है, जो कुटीर उद्योगों के रूप में औषधियां तैयार करते हैं ।

यह कोई नया अधिनियम नहीं है । कुछ कारणों से प्रेरित हो कर संशोधन करने के लिये ही हमने यह विधेयक प्रस्तुत किया है । इस संशोधन विधेयक को लाने के तीन प्रयोजन हैं एक दरों को मीट्रिक प्रणाली में बदलना, दूसरे कई राज्यों द्वारा मांग किये जाने के आधार पर मद्यसारिक तत्व पर शुल्क १७ रुपये ८ आने से बढ़ा कर ३२ रुपये करना और तीसरे वित्त विधेयक के परिणामस्वरूप कुछ आनुषंगिक परिवर्तन करना । ये तीनों बातें ऐसी हैं जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । अगर हमने इस विधेयक को वापस ले लिया तो स्थिति और भी बिगड़ जायेगी । यह एक सरल सा विधान है, जिसे प्रवर समिति को सौंपने की कोई आवश्यकता नहीं है । अतः मैं निवदन करता है कि सभा इस विधेयक को पारित कर दे ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम १९५५, को संशोधित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खण्ड ३ (अनुसूची का संशोधन)

†श्री ब० रा० भगत : एक संशोधन प्रस्तुत किया गया है उसमें एक शुद्धि करनी है । व्याख्या संख्या १ में ।

" Patent or Proprietary Medicine " (जिन औषधियों का पेटेण्ट अथवा एक स्वाधिकार हो) का अर्थ वही है जो धारा ३ के खण्ड (घ) में निहित हैं यहां (घ) के स्थान पर (ज) होना चाहिये ।

यह आनुषंगिक परिवर्तन है क्योंकि हमने औषधि अधिनियम में भी परिवर्तन कर दिया है ।

Amendment made

Page 2,—

for lines 3 to 38, *substitute*--

"THE SCHEDULE

(See section 3)

Item No.	Description of dutiable goods	Rate of duty
	Medicinal Preparations	
1	Medicinal preparations, being patent or proprietary medicines, containing alcohol and which are not capable of being consumed as ordinary alcoholic beverages.	Ten per cent. *ad-valorem.*
2	Medicinal preparations, containing alcohol, which are prepared by distillation or to which alcohol has been added, and which are capable of being consumed as ordinary alcoholic beverages.	Rupees three and eighty-five naye paise per litre of the strength of London proof spirit.
3	Medicinal preparations, not otherwise specified containing alcohol—	
	(*i*) Ayurvedic preparations containing self-generated alcohol, which are not capable of being consumed as ordinary alcoholic beverages.	Nil
	(*ii*) Ayurvedic preparations containing self-generated alcohol, which are capable of being consumed as ordinary alcoholic beverages .	Thirty-eight naye paise per litre.
	(*iii*) All others . . .	Rupee one and ten naye paise per litre of the strength of London proof spirit.
4	Medicinal preparations, being patent or proprietary medicines, not containing alcohol, but containing opium, Indian hemp, or other narcotic drug or narcotic.	Ten per cent *Ad valorem.*

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब० रा० भगत]

Item No.	Description of dutiable goods	Rate of duty
5	Medicinal preparations, (not being patent or proprietary Medicines), not containing alcohol, but containing opium, Indian hemp, or other narcotic drug or narcotic.	Nil
	Toilet Preparations	
6.	Toilet preparations containing alcohol, or opium, Indian hemp, or other narcotic drug or narcotic.	Twenty-five per cent. *ad valorem.*

Explanation I. " Patent or proprietary medicine" has the same meaning as in clause (h) of section 3 of the Drugs Act, 1940 (23 of 1940).

Explanation II.—Where any article is chargeable with duty at a rate dependent on the value of the article, such value shall be deemed to be,—

(*a*) the wholesale cash price for which an article of the like kind and quality is sold or is capable of being sold at the time of the removal of the article chargeable with duty from the place where the duty is leviable thereon in accordance with the provisions of section, 3 or if a wholesale market does not exist for such article at such place, at the nearest place where such market exists; or

(*b*) where such price is not ascertainable, the price at which an article of the like kind and quality is sold or is capable of being sold by the manufacturer or his agent, at the time of the removal of the article chargeable with duty from the place where the duty is leviable thereon in accordance with the provisions of section 3, or if such article is not sold or is not capable of being sold at such place, at any other place nearest thereto :

Provided that in determining the price of any article, under this Explanation, no abatement or deduction shall be allowed except in respect of trade discount and the amount of duty payable at the time of the removal of such article from the place where the duty is so leviable.

Explanation III.—"London proof spirit" means that mixture of ethyl alcohol and distilled water which at the temperature of 5 degrees Fahrenheit weighs exactly 12/13th parts of an equal measure of distilled water at the same temperature.

Explanation IV.—Where in respect of any dutiable goods the unit of assessment for the purpose of any duty under this Act is a litre of the strength of London proof spirit, the duty shall be increased or reduced in such proportion as the strength of the dutiable goods is greater or less than that of the London proof spirit."

—[*Shri B. R. Bhagat*].

किया गया संशोधन

पृष्ठ २, पंक्ति ३ से ३८ के स्थान पर यह रखा जाय :

"अनुसूची"

(देखिये भाग ३)

मद संख्या	उन वस्तुओं का वर्णन जिन पर शुल्क लगेगा	शुल्क की दर
१	औषध सम्बन्धी वस्तुएं ऐसी पेटेंट या प्रोप्राइटरी औषधियें, जिनमें मद्यसार की मात्रा हो पर जिन्हें मद्यसार या शराब के रूप में ग्रहण न किया जा सके।	मूल्यानुसार १० प्रतिशत
२	ऐसी औषधमयी सुरायें जिनमें मद्यसार हो, और जिन्हें कशीद किया जाय या जिनमें मद्यसार का मिश्रण हो या जिन्हें साधारण शराबों की तरह पान किया जा सके।	लन्दन प्रूफ स्पिरिट के समकक्ष एक लीटर पर ३ रुपये ८५ नये पैसे।
३	ऐसे औषध, जिनके बारे में अन्यथा निर्देशन नहीं किया गया :	
	(१) आयुर्वेदिक आसव आदि जिनमें स्वजन्य मद्यसार रहता है और जिन्हें सामान्य मद्य की भांति पान नहीं किया जा सकता।	शून्य
	(२) एसे आयुर्वेदिक आसव आदि जिनमें स्वजन्य मद्यसार रहता है और जिन्हें सामान्य मद्य की भांति पान किया जा सकता है।	प्रति लीटर ३८ नये पैसे।
	(३) अन्य	लन्दन प्रूफ स्पिरिट के समकक्ष एक लीटर पर १ रुपया १० नये पैसे।
४	एसे औषध जो पेटेंट हों पर जिनमें मद्यसार न होकर, अफीम भांग या कोई अन्य मादक पदार्थ हों।	मूल्यानुसार १० प्रतिशत
५	एसे औषध (जो पेटट न हों) जिनमें मद्यसार न हो पर अफीम, भांग या अन्य मादक पदार्थ हों।	शून्य
	प्रसाधन सामग्री	
६	ऐसी प्रसाधन सामग्री जिसमें मद्यसार, या अफीम, या भांग या अन्य मादक पदार्थ रहे हों।	मूल्यानुसार २५ प्रतिशत

व्याख्या १—"पेटेंट या प्रोप्राइटरी औषधि" इसका वही अर्थ है जो कि औषध अधिनियम, १९४० (१९४० का संख्या २३) के धारा ३ के खण्ड (ज) में हैं।

व्याख्या २:—जहां किसी वस्तु पर वस्तु के मूल्यानसार शुल्क लगे तो मूल्य का निर्धारण इस आधार पर समझा जायेगा :—

(क) धारा ३ के उपबन्धों के अनुसार एक चीज को उसके स्थान से जहां कि शुल्क लगाया जाता है। यदि हटाया जाय तो उसी के समकक्ष अन्य वस्तु के थोक का नकद मूल्य

[श्री ब० रा० भगत]

जिसके अनुसार वह बिकती हो, पर यदि उस स्थान पर उस वस्तु का थोक बाजार न हो तो निकटतम थोक बाजार के मूल्यों के आधार पर ही सब गणना होगी; अथवा

(ख) यदि ऐसा मूल्य ज्ञात न हो सके तो उसी की किस्म की अन्य वस्तु जो किसी निर्माता या अभिकर्ता द्वारा बेची जाय। यदि वैसी चीज उस स्थान पर न बिकती हो तो उस स्थान की गणना की जाय जो निकटतम हो।

परन्तु यह कि ऐसा मूल्य निर्धारित करने के मामले में कोई कमी या टूट, साधारण बट्ट को छोड़ कर नहीं घटाया जायगा जो उस चीज को वहां से हटाने के समय देय हो।

व्याख्या ३ "लन्दन प्रूफ स्पिरिट" का अर्थ एथल अल्कोहल और कशीद किये हुए उस पानी से है जो ५१ दर्जे फाहरनहीट पर उतने ही पानी के उतने ही तापमान के १२/१३ भाग के बराबर होता है।

व्याख्या ४—जहां इस संदर्भ के अन्तर्गत एक "लीटर" लन्दन प्रूफ स्पिरिट का दिया जाय तो तो वहां शुल्क की मात्रा में उसी आधार पर घट बढ़ की जायगी जिस हिसाब से कि शुल्क लगाये जाने वाली वस्तुओं की मात्रा लन्दन प्रूफ स्पिरिट की मात्रा से न्यूनाधिक होगी।

[श्री ब० रा० भगत]

†**श्री श्रीनारायण दास** : यह खण्ड, संशोधित रूप में, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक पर मतदान लेने से पूर्व मतदान के लिय सभा में प्रस्तुत कीया जाय।

†**उपाध्यक्ष महोदयः** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३, संशोधित रूप में, विधयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ३, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

†**उपाध्यक्ष महोदयः** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री वै० प० नायर** : मैंने यह कभी नहीं कहा कि मद्यसार की मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती। कई प्रकार के रासायनिक है जिनकी सहायता से मद्यसार के बारे में मालूम किया जा सकता है। लंदन प्रूफ स्पिरिट एक टैक्नीकल शब्द है। मै यह मालूम करना चाहता हूं कि इसके आधार पर कितने नमूनों की जांच की गई है और उसके बाद शुल्क लगाया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

हम किसी भी अधिनियम में जब चाहें तब परिवर्तन कर सकते हैं बशर्ते कि उसमें कठिनाई हो। एक बात यह भी है कि मद्यसार का निपटारा करने का प्रश्न हम अदालतों पर नहीं छोड़ सकते। क्योंकि इससे बहुत सी कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी। मद्यसार की परिभाषा को अस्पष्ट नहीं रहने दिया जाना चाहिये, अन्यथा इससे अनेक कठिनाइयां पैदा हो जायेंगी। सरकार यह भी बताये कि गत वर्ष कितना शुल्क इकट्ठा किया गया था और चालू वर्ष में कितना शुल्क इकट्ठा होने की आशा है ।

†**श्री ब० रा० भगत:** लंदन प्रूफ स्पिरिट के मामले में मद्यसारिक तत्व निर्धारित करने के सिद्धान्त के सम्बन्ध में जो कठिनाई है वह कठिनाई हमारे सामने नहीं है क्योंकि यह विभाग काफी अर्से से अपने ढंग से शुल्क निर्धारित करता आया है। इस समय औषधीय सामग्री से ६९ लाख रुपये का और प्रसाधन सामग्री से १२ लाख रुपये का राजस्व प्राप्त होता है। इस विधान के फलस्वरूप १५ लाख रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा । अतः यह कोई काफ़ी नहीं है।

†**उपाध्यक्ष महोदय:**

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उड़ीसा की अनुदानों की मांगें, १९६१-६२

वर्ष १९६१–६२ के लिए उड़ीसा की अनुदानों की मांगें प्रस्तुत की गईं:—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
१	निर्वाचन और गृह विभाग संबंधी अन्य व्यय	३३,३९,०४७
२	जेलें	३१,१३,१७१
३	पुलिस	१,९२,३५,३९१
४	योजना और सामान्वय तथा राजनीतिक और सेवा विभागों सम्बन्धी व्यय	४०,०१,८६७
५	सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि	३,६७,०५,६०४
६	नदी घाटी विकास	१३,९०,८०७
७	विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	४,२५,०००
८	स्टाम्प	१,५०,२५६
९	मंत्रियों, असैनिक सचिवालय और वित्त विभाग सम्बन्धी अन्य व्यय	९०,३३,८७३
१०	निवृत्ति-वेतन	३४,५३,६७४

†मूल अंग्रेजी में

मांग	मांग का नाम	मांग की राशि
		रुपये
११	शिक्षा विभाग सम्बन्धी व्यय	४,५५,७६,७३७
१२	करारोपण	१२,४८,१०३
१३	भूमि-राजस्व	१,५४,२०,१७३
१४	उत्पादन-शुल्क	१७,९१,०७६
१५	पंजीयन	५,०८,०३३
१६	जिला प्रशासन और राजस्व विभाग सम्बन्धी अन्य व्यय .	२,११,३४,७७०
१७	उद्योग विभाग सम्बन्धी व्यय	१,७०,०६,३०१
१८	व्यवहार तथा सत्र न्यायालय और विधि विभाग सम्बन्धी अन्य व्यय	२३,३२,६९९
१९	लेखन-सामग्री और छपाई तथा वाणिज्य विभाग सम्बन्धी अन्य व्यय	३५,२६,८३०
२०	श्रम और उत्प्रवास और नियोजन संगठन . .	१६,९०,३११
२१	आदिम जाति तथा ग्राम कल्याण विभाग . .	१,९९,०५,४५७
२२	चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग सम्बन्धी अन्य व्यय .	१,४८,९०,५७३
२३	लोक स्वास्थ्य . . .	६६,१०,३८२
२४	सिंचाई	५,६३,१८,१४५
२५	असैनिक निर्माण-कार्य .	५,५५,१९,९६७
२६	राज्य विधान मण्डल	५,५०,४५५
२७	सार्वजनिक निर्माण, सामूहिक स्थापना और निर्माण विभाग सम्बन्धी अन्य व्यय .	५०,५४,७६७
२८	विद्युत् योजनायें . .	२,४८,८२,७८६
२९	गाड़ियों पर कर	११,००,९७२
३०	परिवहन योजनायें . .	१,००,८२,१०५
३१	वन .	१,०६,४४,१९७
३२	मीन-क्षेत्र .	२४,२३,२६९
३३	सहकारिता . . .	३७,८६,०१२
३४	स्थानीय निकायों को अंशदान .	१३,७८,१९६
३५	पशु-पालन . .	७४,६३,९५२२
३६	जन-सम्पर्क .	१४,५२,२२१
३७	कृषि	१,२८,४०,५१५
३८	संभरण विभाग .	१८,१७,४००
३९	हीराकुड बांध परियोजना	६३,५०,०००

मांग	मांग का नाम	मांग की राशि
४०	सामुदायिक विकास परियोजनायें .	२२,००,०००
४१	स्थानीय निधियों, सरकारी नौकरों आदि को ऋण .	१,४३,७९,६२४
४२	जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिये प्रति और राजस्व विभाग सम्बन्धी अन्य व्यय . . .	७४,६०,०००
४३	राजस्व लेखे से बाहर की विद्युत् योजनायें और निर्माण विभाग संबंधी अन्य व्यय	१३,१४,८०,१५२
४४	कृषि सम्बन्धी सुधार और अनुसन्धान . . .	५८,२३,६३१
४५	सरकार द्वारा व्यापार की राज्य योजनायें .	२,५४,९८,८७०
४६	सड़क परिवहन योजनायें . . .	१,६७,०००
४७	लोक स्वास्थ्य पर पूंजी व्यय और स्वास्थ्य (एल० एस० जी०) विभाग सम्बन्धी असैनिक निर्माण-कार्य का पूंजीगत लेखा	२८,३४,०००
४८	औद्योगिक विकास पर पूंजीगत व्यय	२२,६८,४६५
४९	पत्तनों (चान्दबली) पर पूंजीगत व्यय .	८४,०००
५०	पत्तनों (पराद्वीप) पर पूंजीगत व्यय .	६८,४०,४२०
५१	सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना	४,१७,०००
५३	गृह विभाग सम्बन्धी अन्य कार्यों का पूंजीगत लेखा . .	३,०१,१६०
५४	वनों पर पूंजीगत व्यय . . .	११,०४,१२०
५५	विकास (सहकारिता) विभाग सम्बन्धी पूंजीगत व्यय	१५,६३,०००
५७	विकास (पशु चिकित्सा) विभाग सम्बन्धी पूंजीगत व्यय .	६,३५,०००
५८	योजना और समन्वय (ग्राम पंचायत) विभाग सम्बन्धी अन्य निर्माण-कार्यों का पूंजीगत लेखा	५,८७,०००
६०	असैनिक निर्माण-कार्यों का पूंजीगत लेखा . . .	३,४३,७९,५१४

उड़ीसा की मांगों के संबंध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए:—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१	१	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही .	उड़ीसा विधान सभा के निर्णय से १९५७ में रोक दिए गए उड़ीसा के भूतपूर्व शासकों के संबंधियों को भत्ते पुनः दिलाना	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१	२	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	. सार्वजनिक निधि उपयोग जांच समिति के प्रतिवेदन को प्रकाशित करने में असफलता	१०० रुपये
१	३	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	. उड़ीसा के गांव के चौकीदारों के वेतन बढ़ाने में असफलता	१०० रुपये
३	४	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	. गुप्त सेवाधन का ग़लत प्रयोग .	१०० रुपये
४	५	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	. सरकारी अतिथ्य संगठन के व्यय कम करने में असफलता	१०० रुपये
४	६	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	. भारत सेवक समाज, उड़ीसा शाखा को दिया गया अनुदान	१०० रुपये
		श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	. खण्ड क्षेत्रों में ग्राम्य जल संभरण प्रबन्ध सुधारने में असफलता	१०० रुपये
४	८	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	. ग्राम्य सड़क, स्कूल, तथा अस्पतालों में सुधार करने के लिए अपर्याप्त उपबन्ध	
४	९	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	. राज्य के खण्ड क्षेत्रों के राष्ट्रीय विस्तार सेवा प्रशासन तथा सामुदायिक विकास का असंतोषजनक कार्यवहन	१०० रुपये
४	१०	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	. राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा खण्ड क्षेत्रों को दिए गए द्रव्य चूर्ण में चोर बाज़ारी रोकने में असफलता	१०० रुपये
४	११	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	. तहसील कार्यालयों, खण्ड विकास कार्यालयों, पुलिस विभाग, तथा शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार रोकने में असफलता	१०० रुपये
५	१२	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	. राज्य के राष्ट्रीय विस्तार सेवा क्षेत्रों में दुग्धचूर्ण की बिक्री में चोर बाज़ारी रोकने में असफलता	१०० रुपये
६	१३	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	. उड़ीसा की मुख्य नदियों में बाढ़ रोकने के लिए पर्याप्त निधि न देना	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
६	१४	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	रूरकेला में रहने वाले लोगों के लिए जलसंभरण का सुधार करने में असफलता	१०० रुपये
६	१५	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	. हीराकुड में पुनर्वास की नई नीति बनाने में असफलता	१०० रुपये
६	१६	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	. रूरकेला के विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास करने में असफलता	१०० रुपये
६	१७	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	हीराकुद परियोजना के लिए अर्जित भूमि के लिए प्रतिकर देने में असफलता ।	१०० रुपये
७	१८	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	राज्य के भूमिहीन व्यक्तियों को दण्डकारण्य तथा अन्य क्षेत्रों में बसाने में असफलता ।	१०० रुपये
११	१९	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	पुरी में ३०० प्राइमरी अध्यापकों की पदच्युति ।	१०० रुपये
११	२०	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	पुरी में गातीश्वर मंदिर की मरम्मत कराने में विलम्ब ।	१०० रुपये
११	२१	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	पुरी में बलियन्टा खण्ड क्षेत्र में सुभालो एल० पी० स्कूल को मान्यता न देना ।	१०० रुपये
११	२२	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	उड़ीसा में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर ३०० पदच्युत अध्यापकों को पुनः नियुक्त करने में असफलता ।	१०० रुपये
१३	२३	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	१९४५ में अधिक अन्न उपजाओ योजना के अधीन किसानों को दिय गये ऋण की जबरदस्ती उगाही रोकने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१३	२४	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	भूतपूर्व राजाओं तथा उनके संबंधियों की निःशुल्क भूमि पर शुल्क लगाने में असफलता ।	१०० रुपये
१६	२५	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	जोतों की चकबन्दी में प्रगति .	१०० रुपये
१६	२६	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	राजस्व बोर्ड का प्रशासन .	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१६	२७	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	उड़ीसा भूदान यज्ञ समिति को अनुदान ।	१०० रुपये
१६	२८	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	आग तथा तूफान से नष्ट हुए लोगों को सहायता देने में असफलता ।	१०० रुपये
१६	२९	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	मकानों के निर्माण के लिए बाढ़-पीड़ित लोगों को सहायता देने में असफलता ।	१०० रुपये
२२	३०	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	पुरी के सरकारी अस्पताल में सुधार की आवश्यकता ।	१०० रुपये
२२	३१	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	कटक के मैडिकल कालिज अस्पताल में सुधार करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
२२	३२	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	उड़ीसा में तीसरा मैडिकल कालिज बनाने में असफलता ।	१०० रुपये
२४	२३	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	राज्य में बाढ़ से पीड़ित व्यक्तियों का उचित पुनर्वास करने के लिए सहायता देने में असफलता	१०० रुपये
२४	३४	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	राज्य में बाढ़ नियंत्रण कार्यवाही करने में असफलता ।	१०० रुपये
३०	३५	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	बाढ़ द्वारा नष्ट किय गये पुलों, सड़कों, बांधों की मरम्मत करने के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करने में असफलता ।	१०० रुपये
३२	३६	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	चिल्का झील का मुंह समुद्र में खोलने में असफलता ।	१०० रुपये
३६	३७	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	लोक सम्पर्क विभाग को आवंटित धन का अनुचित उपयोग ।	१०० रुपये
३७	३८	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	राज्य में चावल और धान के उचित मूल्य निर्धारित करने में असफलता ।	१०० रुपये
४३	३९	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	उड़ीसा सरकार का परामर्श लिये बिना बालिकेला परियोजना के लिए भूमि का चुनाव ।	१०० रुपये

कटौती मांग संख्या	प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
४३	४०	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	पुरी में बालाकारी से वनमालीपुर तक तथा चन्दनपुर से खजुरिया तक बिजली देने की आवश्यकता।	१०० रुपये
४४	४१	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	ब्रह्मगिरी क्षेत्र में भरगाबी नदी में सिंचाई करने की आवश्यकता।	१०० रुपये
५०	४२	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	दूसरी योजना में परदीप पत्तन का विकास करने में असफलता।	१०० रुपये
५०	४३	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	लौह अयस्क के बारे में सरकारी योजनायें।	१०० रुपये
५१	४४	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	राज्य में मजदूरों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजनायें चालू करने में धीमी प्रगति।	१०० रुपये

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : उड़ीसा के लिये वर्ष १९६१–६२ के लिये २५ करोड़ की राशि रखी गयी है। इसमें से १७ करोड़ रुपये सामान्य प्रशासन, भूतपूर्व राजाओं की निजी थैलियों, भारत सरकार से लिये गये ऋण के ब्याज के रूप में व्यय किया जायगा। इस प्रकार विकास कार्यों के लिये केवल ७ से ८ करोड़ रुपये की राशि बच रहेगी।

राज्यपाल ने भूतपूर्व विधान सभा में अपने अभिभाषण के दौरान यह कहा था कि राज्य में प्रशिक्षित कर्मचारियों यथा डाक्टरों, कृषि विशेषज्ञों तथा इंजीनियरों की बहुत कमी है, अतः मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या किया है ?

एक प्रश्न के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने यह स्वीकार किया कि उड़ीसा में डाक्टरों की संख्या सभी राज्यों की अपेक्षा कम है। अतः उड़ीसा की सरकार अपने एक पड़ोसी राज्य से ३०० डाक्टरों के सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार कर रही है। यद्यपि देश में ६२ मैडीकल कालेज हैं तथापि उड़ीसा में केवल एक ही मैडीकल कालेज है यद्यपि एक दूसरा मैडीकल कालेज खोला गया है तथापि अभी वहां पूरी सुविधायें प्राप्त नहीं हैं। सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि तीसरी योजना के प्रथम वर्ष में उड़ीसा में एक अन्य मैडीकल कालेज खुल जायगा। तथापि इस बजट में उसके लिये कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। राज्य में अभी तक केवल एक ही इंजीनियरिंग कालेज है।

अतः सरकार को स्पष्ट शब्दों में एक बताना चाहिये कि इस सम्बन्ध में वह क्या कर रही है ? मेरा सुझाव है तीसरी योजना के प्रारम्भ में ही इस दिशा में उचित प्रयत्न किया जाय।

अब मैं अनुदानों की मांगों को लेता हूं। उड़ीसा में महिला पुलिस नहीं है तथापि बजट में सहायक महिला पुलिस अधिकारी के लिये व्यवस्था की गयी है। सरकार को इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करना चाहिये।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री चिन्तामणि पाणिग्रही]

उत्कल विश्वविद्यालय के लिये ७ लाख रुपये का उपबन्ध किया गया है। इस सम्बन्ध में मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि उत्कल विश्वविद्यालय भारत के सबसे अधिक अव्यवस्था वाले विश्वविद्यालयों में से एक है जहां परीक्षायें केवल इसी कारण स्थगित कर देनी पड़ीं कि प्रश्न पत्र उचित समय पर प्रकाशित नहीं हो सके। अतः सरकार को इस ओर उचित ध्यान देना चाहिये जिससे कि यह अपना कार्य कुशलता पूर्वक कर सके।

वर्ष १९५९–६० से १९६१–६२ के बीच भारत सेवक समाज की उड़ीसा शाखा को २ लाख रुपये से अधिक राशि स्वीकृत की गयी । तथापि समाज के लेखाओं का लेखा परीक्षण नहीं किया गया। सरकार को यह बताना चाहिये कि वे कितने शिविरों का संचालन कर रहे हैं और या उनके लेखाओं को परीक्षा की जाती है। सरकार को इस विषय में सावधान रहना चाहिये और इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि धन राशि केवल जनता के हित में ही व्यय की जाय।

गांवों में चौकीदारों का वेतन बहुत कम है। उसमें वर्षों से कोई वृद्धि नहीं की गयी है। यद्यपि इस सम्बन्ध में आश्वासन दिया गया था तथापि उसमें कोई वृद्धि नहीं की गयी है। वे लोग अपने वेतन से जो कि केवल १२ रु० माहवार है, असन्तुष्ट हैं और आन्दोलन कर रहे हैं।

अब मैं भूतपूर्व शासकों की निजी थैलियों को लेता हूं। उड़ीसा विधान सभा में १९५७ में सर्वसम्मति से यह संकल्प पारित हुआ था कि भूतपूर्व शासकों के सम्बन्धियों को जो भत्ते दिये जाते हैं वह तत्काल बन्द कर दिये जायें, उन्हें उस समय बन्द कर दिया गया था तत्पश्चात उन्हें पुनः जारी किया यया। इस सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि यदि इन शासकों की निजी थैलियां बन्द नहीं हो सकती हैं तो कम से कम इनके भत्ते बन्द कर दिये जायें। आपने अपने चुनाव घोषणा पत्र में यह कहा है कि देश में सामन्तशाही का कोई स्थान नहीं है तब कम से कम इस वर्ष के बटज में इन शासकों के भत्तों के लिये कोई राशि न रखी जाये।

उड़ीसा के राज्यपाल के सैलून के संधारण और उसके यात्रा व्यय तथा विशेष गाड़ी इत्यादि के लिये क्रमशः १६५०० रु० और ४७००० रु० का उपबन्ध किया गया है। मेरे विचार से राज्य-पाल को इन आडम्बरों की आवश्यकता नहीं है और न यही आवश्यक है कि राज्यपाल के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने पर सारा यातायात रोका जाये। इस सम्बन्ध में मैं स्वयं प्रधान मंत्री ने भी अपील की हुई है।

उड़ीसा में अस्पतालों और डिस्पेंसरियों की संख्या बहुत कम है। वर्तमान वर्ष के बजट में गांवों के अस्पतालों को दी जाने वाली दवाओं तथा औषधियों के लिये बहुत कम राशि का उपबन्ध किया गया है इस के लिये और अधिक धन राशि की व्यवस्था की जानी चाहिये।

अब मैं जन सम्पर्क विभाग को लेता हूं। यह विभाग वास्तव में मंत्री सम्पर्क विभाग है। इसके अन्तर्गत १३३६७० रु० मानदेय के रूप में दिये जाते हैं। इस विभाग के कर्मचारी केवल मंत्रियों के दौरों या चुनाव के समय ही काम करते दिखायी देते हैं। मेरा अनुरोध है कि यदि आपने इतने कार्यकर्ता नियुक्त किये हैं तो उनसे कुछ ठोस काम लिया जान चाहिये। उन्हें चाहिये कि किसानों को अधिक अन्न उपजाओ में सहायता करें। इस विभाग के द्वारा ऐसे कई प्रकाशन निकाले जाते हैं जिनको बहुत कम लोग पढ़ते हैं। वहां होने वाले व्यय का सही लेखा जोखा भी नहीं रखा जाता है। इस कारण वह भ्रष्टाचार भी होता है।

लोक निधि जांच समिति का प्रतिवेदन प्रकाशित किया जाना चाहिये जिससे कि जनता को यह ज्ञात हो सके कि किन किन व्यक्तियों ने जनता के धन का गबन किया है।

इस बात की विस्तृत जांच की जानी चाहिये कि कटक मैडीकल कालेज और अस्पताल के लिये जो धन राशि दी गयी है उसका किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है । कालेज के लेखाओं की भी जांच की जाने की आवश्यकता है ।

भूतपूर्व शासकों और उनके सम्बन्धियों के कब्जे में ७११६२ एकड़ जमीन है, जिसका कोई लगान उनसे नहीं लिया जाता है । सरकार को यह बताना चाहिये कि इस भूमि का लगान क्यों नहीं लिया जाता है, उस भूमि का लगान तत्काल निश्चित किया जाय ।

उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों के कुओं से केवल खारा जल उपलब्ध होता है, अतः सरकार को चाहिये कि वहां नलकूप खोदने के लिये उपयुक्त धनराशि उपलब्ध की जाय, जिससे वहां के लोगों को पीने का जल उपलब्ध हो सके ।

उड़ीसा के हरिजनों और आदिवासियों के लिये अभी तक सहकारी संस्थायें पर्याप्त संख्या में नहीं खोली गई हैं । सरकार को चाहिये कि इस सम्बन्ध में मार्ग में आने वाली कठिनाइयों से जनता को अवगत किया जाय ।

सरकार ने इस बात का आश्वासन दिया था कि उड़ीसा के प्राथमिक स्कूलों में काम करने वाले अध्यापकों के वेतन में वृद्धि की जायेगी, तथापि अभी तक इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया गया है, इस बजट में इस सम्बन्ध में जो राशि रखी गयी है वह बहुत कम है ।

उड़ीसा में राष्ट्रपति का प्रशासन होने के तत्काल पश्चात पुरी जिले के ३०० से अधिक प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को नौकरी से हटा दिया गया था, यद्यपि सरकार ने इनके मामले की जांच करने का आश्वसन दिया था तथापि अभी तक इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया गया है ।

उड़ीसा साहित्य अकादमी में ऐसे लेखकों की भरमार है जो कि अमेरिकी सूचना सेवा द्वारा प्रसारित साहित्य का अनुवाद करते हैं, ये लोग अकादमी के हितों की उपेक्षा कर अपना हित साधन करने में लगे हुए हैं ।

तीसरी पंच वर्षीय योजना के दौरान राज्य को २८ करोड़ रुपये अपने अंश से व्यय करने होंगे । अन्य व्यय में से राज्य सरकार का दायित्व ३४.५७ करोड़ रुपये होगा, इसके अतिरिक्त राज्य सरकार को दूसरी योजना में लिये गये ऋण पर ब्याज देना है । उड़ीसा जैसे अविकसित राज्य के लिये इतना अधिक व्यय करना संभव नहीं हो सकेगा, अतः केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध है कि कम से कम नदी घाटी विकास योजना के सम्बन्ध में जो उड़ीसा राज्य द्वारा ऋण लिये गये हैं उन्हें बटटे खाते में डाल दिया जाय ।

अन्त में मैं एक दो महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूं । सुकिन्डा के खान क्षेत्र को निकटतम रेलवे स्टेशन तक मिलाने वाली एक रेलवे लाइन की तत्काल आवश्यकता है मैं रेलवे मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वे इस ओर ध्यान देवें ।

१९४५-४६ में अधिक अन्न उपजाओ योजना के अधीन केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा की सरकार को कुछ ऋण दिया था । उड़ीसा की सरकार ने यह ऋण किसानों में वितरित कर दिया था । जब जब केन्द्रीय सरकार ने यह ऋण बट्टे खाते में डाल दिया है तो इसे किसानों से वसूल नहीं किया जाना चाहिये ।

उड़ीसा में इस समय कोयला और सीमेंट उपलब्ध नहीं है । इसके फलस्वरूप वहां होने वाले विकास कार्य एक दम ठप्प हो गये हैं अतः मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वे इस ओर तत्काल ध्यान दें जिससे कि विकास कार्यों के निमित्त कोयला और सीमेंट उपलब्ध हो सके ।

†डा० सामन्त सिंहर (भुवनेश्वर) : श्री चिन्तामणि पाणिग्रही ने यह कहा है कि भूतपूर्व राजाओं को जनता से मतदान मांगने का कोई अधिकार नही है । मेरे विचार से लोकतंत्र में सभी को जनता से मत मांगने का समान अधिकार प्राप्त है ।

जहां तक मांग संख्या १ का सम्बन्ध है, चुनाव अधिकारियों ने चुनाव के सम्बन्ध में बहुत अच्छी व्यवस्था की है । तथापि जून के महीने में वहां बहुत गरमी होगी अतः मेरा अनुरोध है कि प्रत्येक मतदान केन्द्र में छप्पर और पीने के जल की व्यवस्था होनी चाहिये ।

किसी किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव केन्द्र बहुत दूर रखे गये हैं मौसम का विचार करते हुए उन क्षेत्रों में मतदान केन्द्रों की संख्या बढ़ाई जाये । यद्यपि चुनाव की नई प्रणाली का प्रारम्भ इस उद्देश्य से किया गया था कि इससे चुनाव व्यय में कमी आयेगी तथापि चुनावों में बहुत अधिक व्यय हो रहा है मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये ।

इस समय अधिकांश जिला अधिकारी चुनाव कार्य में लगे हुए हैं इससे विकास कार्यों की उपेक्षा की जा रही है । मेरा अनुरोध है कि इस बात का भर सक प्रयत्न किया जाय कि विकास कार्यों के निमित्त रखी गयी राशि वापस न होने पावे और अधिकारी इन कार्यों की ओर उचित ध्यान देवें ।

उच्च न्यायालय में बहुत से मामले वर्षों से निलम्बित पड़े हुए हैं । इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये और मामलों का फैसला उचित समय में होना चाहिये ।

गर्मियों के मौसम में उड़ीसा के गांवों में अक्सर आग लगने का खतरा रहता है । तथापि वहां आग बुझाने के केन्द्रों की संख्या बहुत कम है । अतः मेरा सुझाव है कि बालू गांव और दासपल्ला में आग बुझाने वाले केन्द्रों की स्थापना की जाये ।

उड़ीसा में पुलिस पर होने वाले व्यय में वृद्धि होती जा रही है । उड़ीसा में एक ओर आई० पी० एस० तथा आई० ए० एस० पदाधिकारियों की संख्या अन्य राज्यों से अधिक है तथापि वहां चौकीदारों का वेतन बहुत कम है तथा पुलिस के सिपाहियों का भत्ता भी कम कर दिया गया है, इसका फल यह हुआ है कि वहां होने वाले अपराधों में वृद्धि हुई है ।

परादीप पत्तन के विकास के सम्बन्ध में जो कार्य किया जा रहा है वह बहुत धीमी गति से हो रहा है । वे लोग दूसरी योजना में रखे गये लक्ष्य की प्राप्ति भी नहीं कर सके हैं । मेरा सुझाव है कि चिलका लेक का एक पत्तन के रूप में विकास किया जाय, क्योंकि वहां वे सभी सुविधायें उपलब्ध हैं जो कि एक अच्छे बन्दरगाह में होनी चाहिये ।

विकास अधिकारियों तथा ओवरसियरों की कमी का यह फल हो रहा है कि सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम का कार्य उचित गति से नहीं चल रहा है । वहां न तो सिंचाई की छोटी योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं और न अन्य कार्यवाही उचित गति से चल रही है । नयी सड़कों के निर्माण से तब तक कोई लाभ नहीं है जब तक हम पुरानी सड़कों की मरम्मत न करें । तथापि एक ओर हम नयी सड़कों का निर्माण कर रहे हैं दूसरी ओर हम पुरानी सड़कों की दशा खराब करते जा रहे हैं ।

इस समय जब कि अन्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो रही है धान की कीमतों में दो तीन की कमी हुई है । इससे किसानों में काफी असंतोष फैल गया है । सरकार को चाहिये कि

---

†मूल अंग्रेजी में

वह किसानों के उत्पाद के लिये उचित मूल्य और पर्याप्त बाजार की तलाश करे ।

राजनैतिक पीड़ितों को उचित सहायता दी जानी चाहिये और इस सहायता को प्राप्त करने की प्रक्रिया भी सरल होनी चाहिये ।

शिक्षा विभाग में अध्यापकों तथा शिक्षा सुविधाओं की उचित व्यवस्था नहीं है, यहां तक कि सरकारी संस्थाओं में भी अच्छे कर्मचारी नहीं हैं । सरकार को इनकी उचित व्यवस्था करने की ओर उचित ध्यान देना चाहिये । माध्यमिक स्कूलों के सभी अध्यापकों के लिये एकरूप वेतन क्रम होना चाहिये ।

पुरी जिले के स्कूलों को शिक्षा विभाग द्वारा लिये जाने के पश्चात से वहां के प्राथमिक स्कलों के कई अध्यापकों को नौकरी से हटा दिया गया है, इससे वहां के अध्यापकों में बहुत असन्तोष फैल गया है, अतः उनको तत्काल अपने पद पर बहाल किया जाना चाहिये ।

शिक्षा विभाग की मूल्यांकन शाखा को अपना कार्य तत्काल आरम्भ करना चाहिये ।

यदि ताकरा के एम० ई० स्कूल को हाई स्कूल बना दिया जाये गा तो इससे आदिवासी विद्यार्थियों को बहुत लाभ होगा । बन पुर के आदिवासी क्षेत्र में एक आश्रम स्कूल और दो सेवाश्रम स्कूल होने चाहिये ।

कालेजों में विद्यार्थियों की संख्या में उतनी वृद्धि नहीं हुई है जितनी होनी चाहिये । शिक्षा विभाग को चाहिये कि वह कालेजों में अधिक विद्यार्थियों की शिक्षा के लिये व्यवस्था करे ।

नरेन्द्रपुर ग्राम के हस्तकला स्कूल के विद्यार्थियों के छात्रावास तथा उनकी छात्रवृत्ति के लिये उचित व्यवस्था की जाये ।

उड़ीसा के अस्पतालों की अवस्था असन्तोषजनक है । कई सरकारी अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में चार डिस्पेंसरियां ऐसी हैं जहां पिछले चार वर्ष से कोई डाक्टर नहीं हैं । ६० से ८० हजार व्यक्तियों के लिये केवल १२२०० रु० की औषधियों का प्रबन्ध किया जाता है, अतः डा० लोग इस तरह नुस्खे लिखते हैं कि दवाइयां बाहर से खरीदनी होती हैं और इस तरह प्रत्येक नुस्खे पर डाक्टर को कुछ कमीशन मिल जाता है ।

एक गांव में ग्रामीणों से अस्पताल के निर्माण में अंशदान देने को कहा गया था, तथापि वहां पिछले दो वर्षों से इमारत बन कर तैयार खड़ी है लेकिन वहां कोई डाक्टर नहीं है ।

बरला मैडीकल कालेज में अध्यापन की पूर्ण व्यवस्था नहीं है और न वहां मरीजों की ही काफी संख्या आती है अतः विद्यार्थियों को व्यावहारिक शिक्षा के लिये दूर के स्थानों में ले जाना होता है । तीसरे मैडीकल कालेज की स्थापना के लिये इस बजट में कोई उपबन्ध नहीं किया गया है ।

उड़ीसा में कुछ स्थानों में अभी भी हैजा और चेचक पूरे जोरों से फैल रही है, सरकार को यह बताना चाहिये कि वह उन का मुकाबला करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ।

उड़ीसा के बहुमूल्य वनों के उत्पादों का ठेकेदारों द्वारा विनाश किया जा रहा है । इस से राष्ट्र की आय को बहुत हानि हो रही है । वनों के उचित संधारण तथा वहां के वनों की संपत्ति के उचित उपयोग के लिये सड़कों का सुधार किया जाय ।

[श्री सामन्त सिंहर]

यह हर्ष का विषय है कि राज्य में मत्सय पालन में विकास का प्रयत्न किया जा रहा है। मत्सय पालन के विकास के लिये चिलका झील के विकास की ओर ध्यान दिया जाय।

कृषि क्षेत्र में विशेषज्ञों की कमी है। सरकार को चाहिये कि केवल उचित अर्हता प्राप्त व्यक्तियों को कृषि संबंधित पदों पर नियुक्त किया जाय।

माड़ा नदी में हज और टंकोल के बीच एक पुल की बहुत आवश्यकता है। शंकर पुर के निकट एक बाढ़ रोकने वाले बंध के निर्माण की भी आवयश्यकता है। हाथी बंध के निकट से सिंचाई की नहरें निकाली जानी चाहियें।

राज्य के किसानों को अच्छे बीज उर्वरक तथा कीड़े मारने वाली दवाइयां दी जानी चाहियें जिस से कि राज्य में खाद्य उत्पादन में वृद्धि हो सके।

†**श्री बें० च० मलिक** (केन्द्रपाड़ा-रक्षित-अनुसूचित जातियां): गत २० वर्षों में उड़ीसा में बराबर बाढ़ें आ रही हैं। इस काल में बहुत से लोग बेघर हो चुके हैं। राज्य में धन के अभाव और शासन की अदक्षता के कारण बाढ़ की समस्या की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया है। राज्य में जल निस्सारण व्यवस्था बहुत ही खराब है। कुछ बंध ऐसे हैं जिन में बाढ़ के पानी की निकासी रुक जाती। मैं निवेदन करना चहता हूं कि सरकार की भागी, गर्जीरिया तथा औल रिंग बंधों को हटाने की मांग पर विचार करना चाहिये जो ब्राह्मणी, बिरूपा और खर्सरेटा नदियों की बाढ़ की निकासी रोकते हैं। १९६० की बाढ़ों ने लोगों को तबाह कर दिया है और बाढ़ पीड़ितों को दी जा रही सहायता, अपर्याप्त है। राज्य के बाढ़ पीड़ितों को जो भरण दिये जा रहे हैं उन में कुप्रथायें व्याप्त हैं।

मैं यह भी सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि बाढ़ के कारण जिन मछओं के औजार आदि खो गये हैं उन्हें औजार खरीदने के लिये सहायता दी जानी चाहिये। गांवों के चौकीदारों का बकाया तन भी उन्हें दे दिया जाना चाहिये। एक अन्य महत्वपूर्ण बात जिस की ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं वह यह है अनुसूचित जाति के छात्रों के कल्याण के लिये जो धन दिया जाता है उस का सदुपयोग होना चाहिये। मेरा सुझाव तो यह है कि इस राशि के व्यय की जांच के लिये एक समिति नियुक्त की जानी चाहिये। सरकार को ध्यान रखना चाहिये कि विकास के लिये मंजूर किये गये धन का सदुपोयोग किया जाय। १२ लाख रुपया इस के लिये स्वीकृत था, पांच वर्षों में इस राशि को खर्च किया जाना चाहिये था। परन्तु इस में से ६० हजार की राशि सरकार को वापिस कर दिया गया। हमें वे सभी ढंग अपनाने चाहियें जिस से विकास कार्य शीघ्रता से प्रगति की ओर बढ़ सके।

†**उपाध्यक्ष महोदय:** माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन तथा एयर इंडिया इंटरनेशनल कारपोरेशन के वार्षिक प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव

†**श्री दी० च० शर्मा** (गुरुदासपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा इंडियन ऐयर लाइन्स कारपोरेशन और एयर इंडिया इंटरनेशनल कारपोरेशन के वर्ष १९५८-५९ के वार्षिक प्रतिवेदनों पर, जो कि २१ दिसम्बर, १९५९ को सभा पटल पर रखे गये थे, विचार करती है।"

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद देश में विमान परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर सरकार ने बहुत ही सुन्दर और महत्वपूर्ण कार्य किया है। ऐसा करने से विमान सेवाओं में समुचित सुधार हुआ है। इसे देखते हुए ही कहना ही पड़ता है कि हमें देश के परिवहन के अन्य साधनों के राष्ट्रीयकरण हेतु कोशिश करनी चाहिये।

[श्री जगन्नाथ राव पीठासीन हुए।]

इस दिशा में सब से खेद जनक बात यह है कि दोनों निगमों के बीच सहयोग तथा समन्वय का नितान्त अभाव है। इस की ओर हमारा समुचित ध्यान जाना चाहिये और शीघ्र ही इस त्रुटि को दूर किया जाना चाहिये। साथ ही मेरा यह भी निवेदन है कि हमारे असैनिक विमान परिवहन का ऐसे ढंग से संग न किया जाना चाहिये कि वह प्रतिरक्षा विमान परिवहन के साथ मिलाये जाने लायक हो जाये।

मेरा यह भी सुझाव है कि दोनों निगमों की कार्य संचालन व्यवस्था की छानबीन करने के लिये एक संसदीय समिति नियुक्त की जानी चाहिये। उसे देश के विमान परिवहन के सम्पूर्ण प्रश्न पर विचार करना चाहिये। इस समिति के सुझावों और सिफारिशों के अनुसार दोनों निगमों के कार्यों को सुधारा जाय। समिति को यह भी सुझाव देना चाहिये कि किस प्रकार दोनों निगमों में अधिक से अधिक सहयोग पैदा किया जा सकता है।

स प्रश्न के सम्बन्ध में हमें कई एक बातें याद रखनी चाहिये। दोनों निगमों ने जो लाभ कमाया है वह इतना थोड़ा है कि अब तक हुए घाटे को पूरा करने में हमें कई वर्ष लगाने पड़ेंगे। कर्मचारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में जो नीति है वह सन्देहास्पद है। इस मामले पर भी गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये। यह भी बुरी बात है कि डकोटा जैसे पुराने विमानों को अभी भी इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन काम में ला रहा है। एयर इंडिया इंटरनेशनल भी ऐसा ही कर रहा है। इन की इस त्रुटि को यथासम्भव दूर किया जाना चाहिये।

इस विषय पर अनुसन्धान की भी कोई व्यवस्था नहीं। मैं निवेदन करूंगा कि इस के लिये कुछ व्यवस्था की जानी चाहिये। एयर इंडिया इंटरनेशनल के प्रचार कार्य में भी सुधार किया जाना चाहिये। अन्तर्राष्ट्रीय सेवाओं का विस्तार किया जाना चाहिये उन की कोटि को अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयत्न किया जाना चाहिये। ऐसा होने पर ही भारत संसार में उस मुकाबले में खड़ा रह सकेगा जो कि इस दिशा में हो रहा है।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन और एयर इंडिया इंटरनेशनल कारपोरेशन के वर्ष १९५९-६० के वार्षिक प्रतिवेदनों पर जो १४ दिसम्बर, १९६० को सभा पटल पर रखे गये थे, विचार करती है।"

मिस्टर चेयरमैन, इस साल की दोनों रिपोर्टस् को देखने से पता चलता है कि खास तौर पर जहां तक एयर इंडिया इंटरनेशनल का सावाल है वह दुनिया की किसी भी दूसरी एअर लाइन्स किसी भी तरह कम नहीं है, उस का इंतिजाम किसी भी दूसरी लाइन से किसी भी लिहाज से कम नहीं है।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रामकृष्ण गुप्त]

इस के बारे में मैं दो तीन बातें भी हाउस के सामने रखना चाहता हूं । जहां तक किसी भी मुल्क की एयर सर्विस का सवाल है उस के लिये सब से अहम फैक्टर जो है वह पैंसिजर लोड फैक्टर है । मैं इस बात को आईर हाउस आफ कामन्ज को एस्टिमेट्स कमेटी की रिपोर्ट का हवाला दे कर करना चाहता हूं। उस रिपोर्ट में कहा गया है :

"किसी एयर लाइन के वित्तीय परिणामों में मुख्य बात यह होती है कि कहां तक वह यात्रियों को उ ा सकता है ।"

यह बात मैं इसलिये कह रहा हूं कि जहां तक पैंसिजर लोड फैक्टर का सवाल है, जब एअर इंडिया इंटरनेशनल का मुकाबला दूसरे मुल्कों की एअर सरविसों से किया जाता है तो वह किसी भी लिहाज से कम नहीं है । उदाहरण के तौर पर सन् १९५७–५८ में एअर इंडिया इंटरनेशनल का लोड फैक्टर ५९.१ या और इसी तरह से दूसरे मुल्कों का एस० ए० एस० का ५५.७ था और के एल० एम० का ५९.५ था। इसी तरह से १९५६–५७ में एयर इंडिया इंटरनेशनल का लोड फैक्टर ६४.३१ था। जहां तक कास्ट का सवाल है, कास्ट पर माइल के हिसाब से भी एअर इंडिया इंटरनेशनल की कास्ट दूसरे मुल्कों से ज्यादा नहीं है । मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर और भी ज्यादा कोशिश की जाये तो हम इस मामले में दूसरे मुल्कों से कभी पीछे नहीं रह सकते । इस के लिये हमें सब से पहले यह कोशिश करनी पड़ेगी कि हम पैंसिजर लोड फैक्टर को बढ़ा । मैं यह बात इसलिये कह रहा हूं कि इस मामले में हमें कुछ नुकसान उ ाना पड़ा। मिसाल के तौर पर सन् १९५६–५७ में लोड फैक्टर के हम बावजूद कोशिश के पूरा नहीं कर सके । हम अपनी एयर सरविस को दूसरे मुल्कों में अपने लोड फैक्टर बढ़ा कर ही ज्यादा कामयाब बना सकते हैं और इसी तरह से हमारी आमदनी भी बढ़ सकती है ।

जहां तक आमदनी का सवाल है, इस साल की रिपोर्ट देखने से पता चलता है कि इस में काफी इजाफा हुआ है,लेकिन वह इतना तसल्लीबख्श नहीं है । रिपोर्ट में कहा गया है कि इस का सब से बड़ा कारण यह था कि जनवरी, १९६० में पाइलट्स का स्ट्राइक हुआ, और यह ख्याल था कि अगर यह हड़-ताल न होती तो साढ़े २१ लाख का मुनाफा ज्यादा होता ।

दूसरी मेरी अपील यह है कि अगर हम चाहते हैं कि पबलिक सैक्टर की किसी कम्पनी में हम ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमायें और वह अपनी कम्पनी कामयाब हो तो हमें वरकर्स के लि साथ जो रिलेशन्स हैं उन पर बात गौर से ध्यान देना पड़ेगा । मैं इस बात को दो तीन दफा पहले भी कह चुका हूं कि देश की तरक्की का दारोमदार सब से ज्यादा इस बात पर है कि पबलिक सैक्टर कामयाब हो और पबलिक सैक्टर को कामयाब करने का एक ही तरीका है कि हमारे कारपोरेशनों के जो वरकर हैं उन पर हम ज्यादा से ज्यादा डिपेंड करें, और उन को कानिफिडेंस में लेने की कोशिश न करें कैंपीटलिस्टों की यही बात यहां भी एप्लाई होती है । इसलि मैं अपील करूंगा कि इस बात की तरफ ध्यान दिया जाये ।

रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जो डिमांड्स थीं उन को आरबिट्रेशन के रोबरू पेश किया गया है और जो सिफारिशें हैं उन पर गौर हो रहा है । मैं चाहता हूं कि इस मामले में देरी न की जाये, उन पर विचार किया जाये और उन को ज्यादा से ज्यादा मंजूर किया जाय । मैं यह बात इस लिये कह रहा हूं कि यही एक तरीका है जिस से हम अपने पबलिक सैक्टर कान्सर्न्स को कामयाब बना सकते हैं ।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं, जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री डी० सी० शर्मा ने भी कहा है, कि सब से ज्यादा जरूरत इस बात की है कि इस मामले को देखने के लिए पार्लियामेंट के मेम्बरों की एक कमेटी बनायी जाये जो हमारी एग्रर सरविसों के वर्किंग सिस्टम को देखे ग्रौर उसको स्टडी करे ग्रौर ग्रपनी रिपोर्ट पेश करे। यह कोई नया खयाल नहीं है। हाउस ग्राफ कामन्स ने भी इस के लिए एक सिलेक्ट कमेटी बनायी थी जिसका हवाला मैं ने ग्रभी दिया था। मुझे पूरा विश्वास है कि ग्राज माननीय मंत्री जी इस बात को मंजूर करेंगे। मुझे यह कहते हुए दुःख होता है ग्रौर हाउस में यह सवाल कई दफा उठ भी चुका है कि पबलिक सेक्टर के जो कनसर्न बने हुए हैं उनके मुताल्लिक जो पालिसी है, जो डिसकशन का मौजूदा तरीका है उसमें पार्लियामेंट को उतना कानफिडेंस में नहीं लिया जाता जितना लिया जाना चाहिए। मामूली मामूली सवाल भी जो हम पुट ग्रप करते हैं वे इस बिना पर डिसएलाऊ कर दिये जाते हैं कि यह स्टैचुटरी कारपोरेशन है इसलिए इनफार्मेशन नहीं दी जा सकती है। यह बड़ा ग्रहम मामला है इसलिए मैं जोर दूंगा कि ऐसी कमेटी जरूर बनाई जाय ताकि उसकी जो रिपोर्ट हो उस पर विचार किया जाय ग्रौर उन सिफारिशों पर ग्रमल किया जाय। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो हमारा फ्यूचर है वह डार्क में है। इस मामले में हमारा दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों से मुकाबला है। ग्रगर हम वाकई उनसे मुकाबला करना चाहते हैं तो हमें बड़ी डिफीकल्टीज ग्रायेंगी ग्रौर इस तरफ हमें बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। इन तमाम बातों का जोकि मैंने ग्रापसे कहीं, वे मैंने इसलिए कही हैं कि जब दूसरे मुल्कों के ग्रन्दर इतना जबर्दस्त कम्पीटीशन है ग्रौर उस कम्पीटीशन का मुकाबला हमें करना है तो उसको मीट करने का दूसरा तरीका यह है कि हम जल्द से जल्द जैट ट्रान्सपोर्ट प्लेंस इंट्रोड्यूस करें। मुझे बड़ी खुशी है कि इस तरफ ऐक्टिव कदम उठाया गया है ग्रौर तमाम सिस्टम को मौर्डनाइज किया जायगा।

इस के बाद दो, तीन ग्रौर छोटी छोटी तजवीजें मैं हाउस के सामने रखना चाहता हूं। मेरी एक तजवीज यह भी है। पार्लियामेंट में भी यह सवाल ग्राया था लेकिन उस सवाल का जवाब देते हुए माननीय मंत्री ने उस तजवीज को मानने से इंकार कर दिया था। सवाल यह था कि क्या कोई ऐसी तजवीज है कि ऐयर इंडिया इंटरनेशनल कारपोरेशन ग्रौर इंडियन ऐयरलाइंस कारपोरेशन दोनों को ग्रापस में एमैलगमेट कर दिया जाय। हो सकता है कि ग्राप उस तजवीज के हक में न हों तो जो मेरे दोस्त श्री डी० सी० शर्मा ने व्यू रखा है उसको मंजूर कर लिया जाय। मैं यह बात इसलिए कहता हूं कि इस बात की सब से ज्यादा जरूरत है। ग्रगर ग्राप इन दोनों कारपोरेशंस् की रिपोर्ट्स के वर्किंग सिस्टम को माईन्यूटली स्टडी करेंगे तो ग्रापको यह जान कर हैरानी होगी कि दोनों के ग्रन्दर काम करने के तरीकों में जो बुनियादी चीजें हैं उनमें कितना भारी डिफ्रेंस है। उन में से दो, तीन चीजें मैं हाउस के सामने रखना चाहता हूं।

जहां तक ऐयर इंडिया इंटरनेशनल का ताल्लुक है उसमें कौस्ट पर एवेलेबुल टन-मील २.०८ रुपया पर मील है लेकिन जहां तक इंडियन ऐयरलाइंस कारपोरेशन का सवाल है उसमें कौस्ट पर एवेलेबुल टन मील १.८७ रुपया पर मील है। इसके बाद ग्रापको यह जान कर हैरानी होगी कि ऐयर इंडिया इंटरनेशनल का ग्रोवर लोड फैक्टर पिछले साल ५८.२ था लेकिन फिर भी उसमें मुनाफा ज्यादा हुग्रा जबकि इंडियन ऐयरलाइंस कारपोरेशन का ग्रोवर लोड फैक्टर बहुत ज्यादा था यानी ७०.७ था। इससे ग्राप ग्रंदाजा लगा सकते हैं कि ग्रगर ग्रोवर लोड फैक्टर ज्यादा हो तो इनकम ज्यादा होनी चाहिए। मैं यह मान सकता हूं कि जहां तक पबलिसिटी का सवाल है, ऐक्सपेंडीचर का सवाल है वह ऐयर इंडिया इंटरनेशनल में ज्यादा हो सकता है। मेरी समझ में यह बात नहीं ग्राई कि जबकि ऐयर इंडिया इंटरनेशनल का लोड फैक्टर भी कम है, खर्चा भी ज्यादा है

[श्री रामकृष्ण गुप्त]

तो उसमें आमदनी ज्यादा होती है लेकिन इंडियन ऐयर लाइंस कारपोरेशन जहां कि लोड फैक्टर उससे ज्यादा है, वहां उसमें आनदनी कम है। मैं ने इस रिपोर्ट को गौर से पढ़ा और यह मालूम करने की कोशिश की कि आखिर इसका क्या कारण है ? जहां तक मैंने इसको समझने की कोशिश की इसका सबसे बड़ा कारण एसैसमेंट औफ स्टाफ है। मेरे पास समय नहीं है नहीं तो मैं दूसरे मुल्कों का हवाला देकर बतलाता कि इंडियन ऐयरलाइंस कारपोरेशन के अन्दर स्टाफ का बाकायदा एसैसमेंट नहीं किया गया। जब प्राइवेट कम्पनीज को ओवरटेक किया गया नेशनलाइज किया गया तो तमाम स्टाफ को जोकि काफी से ज्यादा था उस सब को रख लिया गया। मेरा खयालहै कि अगर कोशिश की जाय तो स्टाफ स्पेयर हो सकता है या उससे और ज्यादा काम लिया जा सकता है। इसी तरीके से बैटर कंट्रोल आफ ऐक्सपेंडीचर की इसमें गुंजाइश है। ऐक्सपेंडीचर में जितना कंट्रोल होना चाहिए उतना कंट्रोल एक्सरसाइज नहीं किया जाता है। इसलिए इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है।

जहां तक आमदनी बढ़ाने का तरीका है उसके बारे में भी हमें कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए मैं एक छोटी सी तजवीज आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहूंगा और अगर इस तजवीज को मान लिया जाय मंजूर कर लिया जाय तो इनकम में खासतौर पर इंडियन ऐयरलाइंस कारपोरेशन की इनकम में काफी फर्क पड़ सकता है।

मिसाल के तौर पर मैं यह सुझाव दूंगा कि पार्लियामेंट के मेम्बर्स को जो रेलवे का पास मिला हुआ है अगर उनको इंडियन ऐयरलाइंस कारपोरेशन में सफर करने की इजाज़त दे दी जाय तो मैं समझता हूं कि उसकी आमदनी काफी बढ़ सकती है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि इसमें गवर्नमेंट को क्या लौस है ? आप सिर्फ इतनी इजाजत दे दें कि जो एक्सट्रा एक्सपेंडीचर है वह सफर करने वाले मेम्बर्स अपने पास से खुद पे करें। अगर वह रेल में सफर करेंगे तो उसका खर्चा लोक सभा सेक्रेटेरियट को बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर वह इंडियन ऐयरलाइंस कारपोरेशन में सफर करेंगे तो इस तरह से उतना वह खर्चा कम हो जायगा और उसकी आमदनी में भी फर्क पड़ जायेगा चूंकि बहुत से मेम्बर्स हवाई जहाज के जरिये सफर करना ज्यादा पसन्द करेंगे और उनको एक्सट्रा रुपया अपने पास से देना पड़ेगा।

जहां तक लोड फैक्टर का सवाल है और यह कहा जाय कि लोड फैक्टर इससे बढ़ जायगा तो मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं क्योंकि जो मैंने अभी आपको बातें बतलाई हैं उनको देखने से पता चलता है कि अभी लोड फैक्टर बहुत कम है। अगर मैं दूसरे मुल्कों की मिसालें आपके सामने पेश करूं तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वहां लोड फैक्टर ८०–९० है जबकि इंडिया की कम्पनी का सिर्फ ७०.७ है जबकि पिछले साल तकरीबन ७ लाख १३ हजार आदमियों ने सफर किया। अगर यह रिआयत दे दी जाय तो मेरा खयाल है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद ७ लाख १३ हजार से बढ़ कर २० लाख या २५ लाख हो सकती है और लोड फैक्टर २ या तीन प्वाएंट से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बात पर भी विचार किया जायगा और इससे भी आमदनी बढ़ने का एक अच्छा खासा रास्ता निकल सकता है।

आखिर में मैं फिर इस बात के लिए जोर दूंगा कि अगर हम इन दोनों कारपोरेशंस् का एमैलग्-मेशन न करें तो कम से कम ऐसा इंतजाम किया जाय और एक कमेटी मुकर्रर की जाय कि जिससे इन दोनों कम्पनियों के दरमियान ज्यादा से ज्यादा कोआर्डिनेशन हो। मैं इस बात पर इसलिए

भी जोर देता हूं कि जहां तक ऐयर इंडिया इंटरनेशनल का सवाल है उसमें मुनाफे की ज्यादा गुंजाइश नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि लोड फैक्टर दूसरे मुल्कों से हमारा कम नहीं है, खर्चा दूसरे मुल्कों से ज्यादा नहीं है बल्कि कई मुल्कों से कम है, ऐसी हालत में आप आमदनी वहां इसी तरीके से बढ़ा सकते हैं कि इंडियन ऐयरलाइंस् कारपोरेशन की आमदनी को बढ़ाया जाये और यह तभी मुमकिन हो सकता है जब दोनों के दरमियान ज्यादा से ज्यादा कोआर्डिनेशन और कोआपरेशन पैदा हो। ऐसा होने से उसमें और भी ज्यादा तरक्की हो सकती है। मुझे पूरा विश्वास है कि इन दो, चार बातों की तरफ पूरा ध्यान दिया जायगा।

आखिर में चूंकि मुझे इस बारे में थोड़ा सा पर्सनल तजुर्बा है और पिछले दिनों मुझे ऐयर इंडिया इंटरनेशनल के जरिये और इंडियन ऐयरलाइंस् कारपोरेशन के जरिये भी सफर करने का मौका मिला था और मुझे यह बात जान कर बड़ा दुःख हुआ कि हिन्दुस्तान जैसे देश में जहां कि वेजीटेरियंस् की तादाद सब से ज्यादा है, अब अगर हिन्दुस्तान के अन्दर वैजीटेरियन खाने का मुनासिब इंतजाम नहीं हो सकता तो दुनिया के दूसरे मुल्कों के लिए हम कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि वहां इस की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जायगा? मैं इस बात पर ज़ोर दूंगा कि इस तरफ़ भी हमें ध्यान देना चाहिए और वैजिटेरियन खाने का ख़ास तौर पर ज्यादा से ज्यादा अच्छा इन्तज़ाम करना चाहिए।

आखिर में मैं एक और तजवीज़ पेश करना चाहता हूं, जिस का ज़िक्र पार्लियामेंट में भी आया था और माननीय मंत्री जी ने इस बात को मानने से इन्कार कर दिया था। मैं समझता हूं कि इनकम बढ़ाने का एक तरीक़ा यह भी हो सकता है कि सारे केटरिंग सिस्टम को नैशनलाइज़ कर दिया जाये। उस से भी हमारी आमदनी बढ़ सकती है। एक क्वेस्टियन के दौरान में जब फैक्ट्स और पूरे हालात का पता चला, तो मुझे यह जान कर हैरानी हुई कि वहां टेंडर भी इनवाइट नहीं किये जाते हैं और जो दस पंद्रह साल से कंट्रैक्टर्ज़ बने हुए हैं, उन्हीं को काम दे दिया जाता है।

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : इस मामले का इससे कोई सम्बन्ध नहीं। वह मामला पालम हवाई अड्डा का है। मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस ओर आकृष्ट करवाता हूं।

श्री रामकृष्ण गुप्त : इसलिये मेरी तजवीज़ है कि केटरिंग सिस्टम को इंडियन एयरलाइन्ज़ और एयर इंडिया इन्टरनेशनल अपने हाथ में ले लें और वहां डिपार्टमेंटल केटरिंग जारी किया जाये, जिस से इन कम्पनियों की आमदनी बढ़े। मेरी समझ में नहीं आता कि यह सवाल इन दोनों कम्पनियों से क्यों नहीं ताल्लुक रखता। अगर दोनों कम्पनियां केटरिंग को अपने हाथ में ले लें और उस का इन्तजाम खुद करें, तो उन की आमदनी बढ़ेगी, या और किसी तीसरे आदमी की बढ़ेगी, इस बात का जवाब माननीय मंत्री जी खुद दे सकते हैं। इसलिये मेरी तजवीज़ है कि आमदनी बढ़ाने का यह भी तरीका हो सकता है कि केटरिंग सिस्टम को डिपार्टमेंटल तौर पर चलाया जाये, जैसा कि रेलवेज़ ने किया है। उस की आमदनी रेलवेज़ को ही मिल रही है, किसी दूसरे को नहीं मिल सकती है।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** (मुकुन्दपुरम) : निस्सन्देह मैं, इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के कार्यों का प्रशंसक हूं, परन्तु मेरा निवेदन है कि डकोटा विमानों के स्थान पर दूसरे विमान

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नारायणन् कुट्टिमेनन]

चलाने के प्रश्न पर सरकार काफी समय से विचार कर रही है, परन्तु अभी तक इस दिशा में कोई निर्णय नहीं किया गया। इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन ने कुछ वर्ष पूर्व कुछ हेरान विमान खरीदे थे, जो कि बाद में काम के लिये उपयोगी सिद्ध नहीं हुए। बाद में उसे बहुत ही कम मूल्य पर बेच दिया गया। इस सौदे में निगम को बहुत बड़ा घाटा रहा। सरकार का यह कर्तव्य है कि सभा को यह बताये कि इस भारी घाटे के लिये कौन उत्तरदायी है।

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने कानपुर में भारतीय विमान सेवा द्वारा बनाये जा रहे एव्रो ७४८ पर विश्वास करना आरम्भ कर दिया है। पता चला है कि इन विमानों में बहुत सी त्रुटियां हैं। इस मामले में सारी जानकारी सभा को दी जानी चाहिये यह बात भी है कि क्योंकि उचित प्रकार के विमान उपलब्ध नहीं हैं, अतः इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विस्तार में भी कोई प्रगति नहीं हो रही। इस मामले में बहुत ही गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए। इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को कम लाभ होने का एक कारण यह भी है कि देश में इस समय चार गैरसरकारी विमान सेवाओं को चलने की भी अनुमति दी जा रही है। जब तक इस नीति को चलाया जायेगा, स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन होने की कोई सम्भावना नहीं।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि दोनो निगमों को रूस अथवा रूमानिया से सस्ता विमान इधन प्राप्त करने की सम्भावना पर विचार करना चाहिये। हमारे जो ७० प्रतिशत चालक बेरोजगार हैं, उनमें से कुछ को नौकरी दी जानी चाहिये और इसके लिये कुछ विशेष चालकों को संयुक्त अरब गणराज्य भेजना चाहिये, जहां उनकी मांग है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : एअर इण्डिया इण्टरनेशनल कारपोरेशन की सीटों की क्षमता से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इसका कार्य संसार की अन्य विमान सेवाओं से किसी भी प्रकार पीछे नहीं है। जेट विमान रखने की दिशा में भी निगम ने काफी प्रगति की है। यह ठीक है कि दोनों संस्थाओं के बोर्ड अलग अलग हैं, परन्तु लगभग ५० प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो दोनों बोर्डों के सदस्य हैं। इससे यह आशा की ही जा सकती है कि दोनों निगमों के कार्य में सुनिश्चित समन्वय हो सके।

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन जो थोड़ा लाभ कमा रही है वह ऋण का ब्याज देने तथा पूंजी परिव्यय के लिये ही काफी है, इसका मतलब यह है कि वह लाभ की मद में कुछ भी नहीं कमा रही है। इसने विमानों के बेचने के लिये भी कोई योजना नहीं बनाई है। १९६२ की बात है कि बोइंग विमान चालू कर दिये जाने पर एअर इण्डिया इन्टरनेशनल के पास जो सात सुपर-कान्सटेलेशन विमान फालतू हो जायेंगे, उन्हें आई० ए० सी० द्वारा न खरीदे जाने के आखिर कारण क्या हैं।

हमें कोई समुचित कारण दिखाई नहीं देता कि क्यों न इन दोनों निगमों को एक में मिला दिया जाय। यदि इस प्रकार का विलय हो जाये तो खर्च में काफी बचत की जा सकती है। क्या यह सच है कि एअर इण्डिया इण्टरनेशनल के सभापति इन दोनों निगमों के विलय का भारी विरोध कर रहे हैं?

एक बात जो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं वह यह कि मद्रास के हवाई अड्डे को जेट विमानों के लायक क्यों नहीं बनाया जा रहा है, जबकि एअर इण्डिया इन्टरनेशनल की योजना है कि १९६२

---

†मूल अंग्रेजी में

से बोइंग ७०७ विमान चलाये जायें। एक निवेदन मैं और करना चाहता हूं वह यह कि दिल्ली से जोधपुर की विमान सेवा प्रति सप्ताह दो बार से बढ़ा कर ४ बार कर दी जानी चाहिये। इससे इस सेवा को काफी लाभ होगा और यह लाइन घाटे की नहीं रहेगी।

†**श्री सिंहासन सिंह** (गोरखपुर): मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इण्डियन एअरलाइन्स कारपोरेशन सरकारी ऋण तथा सहायता पर बहुत अधिक निर्भर रहता रहा है। चाहिये यह था कि इस निगम को एक वाणिज्यिक संस्था माना जाता और यह सरकारी सहायता पर आश्रित न रहता। मेरा मत तो यह है कि इसे अपनी सेवायें कम करने के स्थान पर बढ़ानी चाहियें। सप्ताह में दो अथवा तीन दिन के बजाय इसे दैनिक सेवा चालू करनी चाहिये।

दिल्ली से गोरखपुर के लिये एक दैनिक सेवा चलाई जानी चाहिये, यदि यह सम्भव न हो तो दिल्ली कलकत्ता जाने वाले किसी एक विमान को गोरखपुर होकर ले जाया जाना चाहिये। कारण यह कि इस नगर का महत्व बहुत बढ़ रहा है, अतः यहां हवाई सेवा अवश्य होनी चाहिए और यह सेवा दैनिक होनी चाहिये।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** (वेल्लोर) : मुझ से पहले जो माननीय सदस्य बोले हैं, उन्होंने बताया है कि एयर इण्डिया इण्टरनैशनल काफी लाभ कमा रहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि इसके प्रबन्धक श्री जे० आर० डी० टाटा सेवा को वाणिज्यिक आधार पर चला रहे हैं। पर इण्डियन एयर-लाइन्स कारपोरेशन में भी तो वह निदेशक हैं। यह समझ में नहीं आता कि वहां पर उनकी बुद्धि का पूर्ण उपयोग क्यों नहीं हो रहा।

दोनों सेवाओं के वार्षिक प्रतिवेदन पढ़ कर ज्ञात होता है कि अभिकर्ताओं को बड़ी बड़ी रकमें कमीशन के रूप में दी जा रही हैं। १९५९-६० में दोनों सेवाओं में क्रमशः ८६,६७,१६८ तथा २६,४६,५३७ रुपये कमीशन के रूप में दिये। यह रकम हमें बहुत ज्यादा प्रतीत होती है। या तो अभिकर्ताओं की संख्या घटायी जानी चाहिये या फिर कमीशन की अदायगी अलग आधार पर करनी चाहिए।

श्री नारायणन कुट्टी मेनन ने कहा कि इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को घाटा इसलिये रहता है क्योंकि गैर-सरकारी उड्डयन सेवा से उसे प्रतियोगिता करनी पड़ती है। यह बात तभी मानी जा सकती है जब कि गैर-सरकारी विमान उन्हीं मार्गों पर उड़ें जिन पर इण्डियन एयरलाइन्स के विमान चलते हैं।

बोइंग विमानों के चालू करने से हमारे अनेक लॉकहैड सुपरकांस्टिलेशन विमान फालतू हो गये हैं। इन्हें इस्तैमाल करने में क्या कठिनाइयां हैं। यदि इन्हें इस्तैमाल नहीं किया जाता तो इन्हें बेच दिया जाय।

सरकार को मन्त्री की यह बात मान लेनी चाहिये कि असैनिक उड्डयन के लिये विमान बनाने का एक अलग कारखाना स्थापित हो। इसके अलावा विमानों द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों का बीमा तीसरे पक्षों को नहीं देना चाहिये।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** (गौहाटी) : मन्त्रालय को सफलताओं के लिये बधाई देकर मैं यह कहना चाहता हूं कि विभाजन के बाद से आसाम को परिवहन सम्बन्धी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः मैं प्रार्थना करता हूं कि यदि इण्डियन एयरलाइन्स अपनी सेवा रियायती किराये पर

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्र० च० बरुआ]

आसाम तक जारी करे तो जनता को बहुत फायदा होगा। नागा क्षेत्र तक गैर लोग चले जाते हैं इस कारण हमें अपने लोगों की सुविधा का भी ध्यान रखना चाहिये। आसाम राज्य में पर्यटकों को लाने के लिये भी बढ़ावा दिया जाना चाहिये। सेवा संख्या २११ तथा २१२ में और भी ज्यादा सुधार करना चाहिये। इसी के साथ मैं यह प्रार्थना भी करना चाहता हूं कि शिलांग को भी वायुयान से जोड़ा जाय। मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि आसाम विभाग की सेवाओं पर भोजन की व्यवस्था भी रहनी चाहिए।

†**श्री दामानी** (जालौर) : एयर इण्डिया इण्टरनेशनल तथा इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के प्रतिवेदन सभा के सामने हैं। यह चीज स्पष्ट हो गयी है कि अब लोग काफी संख्या में विमानों द्वारा यात्रा करने लगे हैं। इस कारण अब सरकार को वाइकाउण्ट विमान खरीदने चाहियें। दूसरी बात यह है कि इण्डियन एयरलाइन्स के लेखा की परीक्षा नियन्त्रक महालेखा परीक्षक द्वारा होनी चाहिये।

यदि हम दोनों समवायों की तुलना करें तो प्रतीत होगा कि एयर इंडिया ने इंडियन एयरलाइन्स की अपेक्षा ज्यादा अच्छी तरह से काम किया है। उस समवाय ने लाभोपार्जन भी किया है। सरकार ने समवाय के काम के अध्ययन के लिये व्हीटक्राफ़ट समिति नियुक्त की थी। उन्होंने कहा है कि काम की योजना ठीक ढंग से बननी चाहिए तभी हालात में सुधार हो सकता है। हमें बुकिंग की प्रणाली भी ठीक कर लेनी चाहिए। यदि विमान में पूरे यात्री न हों तो हानि अनिवार्य है।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

अन्त में मैं प्रार्थना करता हूं कि बड़े नगरों की सेवाओं में सुधार किया जाना चाहिए।

†**श्री मुरारका** (झुंझुनू) : पहली बात तो यह है कि एयर इंडिया इंटरनेशनल समवाय हर साल लाखों रुपया निकम्मे पुर्जों के अन्तर्गत बट्टे खाते डालती है। ऐसा क्यों है?

इंडियन एयरलाइन्स में कर्मचारियों के वेतन की वृद्धि के कारण सरकार किराये में भी वृद्धि करने की सोच रही है। यदि हां, तो कितनी वृद्धि करने का अनुमान है?

तीसरी बात यह है कि ए० आई० आई० सुपर कान्स्टीलेशन विमानों को बहुत ही कम मूल्यों पर बेचना चाहती है। यदि ऐसी बात है तो क्यों उन विमानों को आई० ए० सी० के पास हस्तांतरित नहीं कर दिया जाता।

चौथी बात यह है कि सरकार आई० ए० सी० को ८ करोड़ रुपये का ऋण ४$^1/_2$ प्रतिशत ब्याज की दर से दे रही है पर ब्याज १९६६ तक नहीं लेगी। जब ब्याज ही नहीं लिया जाना है तब उसे पूंजीखाते में क्यों नहीं दिखाया जाता। हिसाब की दृष्टि से वह चीज ज्यादा अच्छी रहेगी।

†**श्री जोकिम आल्वा** (कनारा) : इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का आरम्भ बहुत ही बुरी हालत में हुआ था। उसे उस हालत से उबार कर आज की हालत में लाने का श्रेय उसके मुख्य प्रबन्धक को है जो कि एक बड़े अनुभवी पदाधिकारी हैं। वह चुपचाप अपना काम करते रहे हैं। उन्हें भारतीय वायु सेना से मांगा गया था। वह अपने काम को अच्छी तरह से जानते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसी प्रकार एयर इंडिया इंटरनेशनल का काम भी बड़ा अच्छा रहा है। परन्तु मैं सरकार से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह विमानों में आंधी रेडार अवश्य लगवाये ताकि यात्रियों की सुरक्षा होती रहे।

श्री माथुर की राय है कि दोनों समवायों को मिला दिया जाय पर मैं यह नहीं चाहता क्योंकि इस तरह से दोनों को फायदा नहीं होगा। मैं इतनी बात जरूर कहूंगा कि विमानों के किराये कम कर देने चाहिएं। भारत में ज्यादा किराये से लाभ नहीं हो सकता। हमें जहाजों के निर्माण का भी पूरा पूरा यत्न करना चाहिए। जो व्यक्ति नयी मशीन का आविष्कार करे, उस के नाम पर उसे मशहूर करके उसका उत्साह बढ़ाया जाय। समवायों के विमान चालकों को भी प्रशिक्षिण देना चाहिए।

†**श्री मुहीउद्दीन** : श्रीमान, कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि दोनों समवायों को मिला देना चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि दोनों समवायों के निदेशक एक ही हैं। शेष काम की प्रणाली भी एक जैसी है। मुझे श्री माथुर की इस बात पर हैरानी हुई कि यदि दोनों समवायों को मिला दिया गया तो चेयरमैन त्यागपत्र दे देंगे। यह बात निराधार है। श्री आल्वा ने जैसे कहा कि अभी इन दो समवायों को मिलाने का समय नहीं आया है, मैं इसी राय को ठीक मानता हूं। समय इस कारण नहीं है कि जहां एयर इंडिया अच्छे लाभ में जा रही है वहां इंडियन एयरलाइंस अभी संभली है। अभी हमें उसे और आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए।

जहां तक ए० आई० आई० के लाभ का प्रश्न है उसका एक कारण यह भी है कि उनके विमानों के पेट्रोल पर शुल्क नहीं लगता। विक्रय कर का भी प्रश्न नहीं उठता। राज्य सरकारें ३० लाख रुपये बिक्री कर के रूप में ले लेती हैं।

जहां तक आई० ए० सी० की स्थिति सुधारने का सम्बन्ध है मैं यह बताना चाहता हूं कि डकोटा विमानों के स्थान पर वाइकाउंट आने से हालत सुधर जायेगी। लोग उन्हें ज्यादा पसन्द करते हैं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : यदि शुल्क की रकम को भी शामिल कर लिया जाय तो आइ० ए० सी० का लाभ ज्यादा बैठेगा। क्या माननीय मंत्री यही कहना चाहते हैं?

†**श्री मुहीउद्दीन** : एयर इंडिया इंटरनेशनल भी जहां कहीं उसे शुल्क, बिक्री कर अथवा दूसरे कर देने होते हैं देता है और यह बात केवल भारत में ही नहीं है बल्कि और दूसरे देशों में भी लागू होती है जहां से कि उसे इंधन आदि लेना होता है। वे कर भी देते हैं। इसके लिये हम कोई सहायता नहीं देते। सहायता तो केवल हानि पर ही दी जाती है और उसका उल्लेख बेंलेंस सीट में किया गया है, यह उल्लेख शुल्क पर छूट के रूप में नहीं है।

यह कहा गया है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन अब भी डकोटा चला रहा है। वे ऐसा कर रहे हैं और उन्हें ऐसा करना पड़ता है। डकोटा बहुत वायुयान हैं, ये बहुत मजबूत हैं, और वे बहुत सुरक्षित हैं। लेकिन जनता ने उन्हें पसन्द इसलिये नहीं किया कि वे वायुअनुकूलित नहीं हैं और न वे टर्बोप्रोप वायुयान जैसे तीव्रगामी ही हैं। इन डकोटाओं को बदलने में कुछ परेशानी भी है। बड़ी मुश्किल से हम पांच फोकर्स खरीद सके हैं और उन्हें हम आसाम की लाइन पर चालू कर रहे हैं।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मुहीउद्दीन]

व्हीटक्रोफ्ट समिति की सभी सिफारिशों को स्वीकार करने के लिये भी कहा गया है । हम इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन पर निरन्तर इस बात का दबाव डाल रहे हैं कि जो सिफारिशें स्वीकार कर ली गई उनको क्रियान्वित किया जाये । उनमें से एक सिफारिश स्टेन्डर्ड मूल्य के बारे में है । यह कार्पोरेशन इस सिफारिश पर काम कर रहा है और हमें आशा है कि यह सिफारिश निकट भविष्य में इस कार्पोरेशन द्वारा पूरी पूरी स्वीकार कर ली जायेगी ।

इंडियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन में भर्ती करने की भी आलोचना की गई है । सभा को मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि यह भर्ती सरकार स्वीकृत नियमों के अन्तर्गत ही की जाती है । कुछ भूलें अवश्य हुई हैं जिनके बारे में कुछ शिकायतें हो सकती हैं । लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि इस बारे में वहां के निम्न श्रेणी के कर्मचारियों में कोई असन्तोष नहीं है । जहां तक नैतिक की बात है वह गिर रहा है । अब वे इस कार्पोरेशन को न्यूनाधिक रूप में वाणिज्यिक संस्था बनाने की फिकर में हैं । पिछले साल उन्हें जो छ या सात लाख रुपये का लाभ हुआ है उससे उनमें कठोर परिश्रम करने और अच्छा काम करने की भावना आई है ।

गोरखपुर के बारे में श्री सिंहासन सिंह ने जो शिकायत की है । उसके बारे में मैं उन्हें बता चुका हूं कि उनको उत्तर दे दिया गया था अतः उनकी शिकायत ठीक नहीं थी । जहां तक मद्रास हवाई अड्डे की बात है मैं कह नहीं सकता कि क्या वे जून, १९६१ से सिडनी तक बोइंग सेवा शुरू करेंगे अथवा नहीं । इसके लिये उनके पास वायुयान नहीं हैं । आजकल उनके पास केवल ४ बोइंग वायुयान हैं । मेरे पास जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार तो वे १९६२ तक यह सेवा शुरू नहीं कर सकेंगे । मद्रास के हवाई अड्डे के सुधार के लिये काफी धन की आवश्यकता है । इस पर विचार किया जा रहा है । शीघ्र ही इस बारे में आवश्यक सूचना दे दी जायेगी । जोधपुर की सेवा राजस्थान सरकार के साथ समझौते के आधार पर शुरू हुई थी । अगर वह सरकार चाहती है कि जोधपुर तक वायुयानों की संख्या बढ़ाई जाये तो वह सरकार इस मामले में स्वयं बातचीत करे और इस मामले को निपटाये ।

ए० आई० आई० विदेश स्थित अपने अभिकर्ताओं को कमीशन देती है । एयरलाइन के पदाधिकारियों को सामान्यतः यह कमीशन नहीं दिया जाता । अगर यह कमीशन दिया भी जाता है तो अधिक से अधिक काम बढ़ाने की दृष्टि से ही दिया जाता है । कमीशन की दर भी मेरे विचार से बहुत अधिक नहीं है ।

पिस्टन इंजिन का मूल्य सारे विश्व में गिर गया है । इसलिये सुपरकान्स्टीलेशन पर पिछले तीन वर्षों में काफी अवक्षयण दिया जा रहा है । और यह जान बूझ कर बढ़ाया गया है । अतिरिक्त वायुयानों पर काफी व्यय हो रहा है और मेरा विचार है कि इस कारण इस कार्पोरेशन को संभवतः काफी हानि भी उठानी पड़े । अति आवश्यकता की पूर्ति करने के विचार से ही ये अतिरिक्त वायुयान खरीदने पड़ते हैं । दो वर्षों में सुपर कान्स्टीलेशन भी काफ़ी बढ़ जायेंगे । सुपर कान्स्टीलेशन का प्रयोग भी सिडनी तक किया जाने लगेगा । इसलिये इन सुपर कान्स्टीलेशन का प्रयोग अभी कुछ वर्षों तक और चलेगा । मास्को तक भी यह सेवा जारी रहेगी ।

भारत में सुपर कान्स्टीलेशन की सेवाओं की संभावनाओं की जांच करने के लिये एक समिति भी नियुक्त की गई थी । यह समिति टेक्नीकल और विभागीय समिति थी । विभागीय समितियों के प्रतिवेदन प्रायः सभा पटल पर नहीं रखे जाया करते । समिति की सिफ़ारिश यह है कि भारत में इन

सेवाओं पर व्यय अधिक होगा। समिति का विचार है कि विसकाउंट सेवा के आधार पर ४०–५० लाख रुपये की हानि होगी। सरकार को यह तै करना होगा कि सुपर कान्स्टीलेशन का बढ़िया उपयोग क्या हो सकता है। हानि का अनुमान लगाते समय उनकी क्षमता को भी ध्यान में रखा गया है।

जहां तक वायुयानों के किराये की बात है। पेट्रोल का मूल्य बढ़ गया है। आई० ए० सी० द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु का दाम पिछले तीन वर्षों में बढ़ गया है। १९६१ में पेट्रोल का दाम ही ७ लाख रुपये बढ़ गया है। कर्मचारियों की मजूरी में भी वृद्धि हुई है। इस बढ़ी हुई कीमतों का सामना करने तथा हानि का मुकाबला करने के लिये किरायों में वृद्धि करनी पड़ेगी। जहां तक इन वायुयानों से काम लेने की बात है। मैं कह सकता हूं कि इनसे अधिक से अधिक काम लिया जा रहा है। फीडर सेवा बहुत कठिन है और यह हमारे यहां असफल रही है। जहां तक इनको खरीदने की बात है इसका दायित्व सरकार तथा कम्पनी दोनों पर ही है।

जहां तक किराये बढ़ाने की बात है, चूंकि हर चीज़ के दाम बढ़ गये हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने इस बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है। कर्मचारियों के वेतन आदि की मद में प्रतिवर्ष ८० लाख रुपये की वृद्धि हुई है।

महालेखा परीक्षक हिसाब किताबों की जांच करते हैं। मेरा विचार है कि महालेखा परीक्षक से हिसाबों की जांच कराना एक अच्छी प्रथा है। चूंकि इस समवाय ने विदेशों से ऋण लिया है, वे भी चाहते हैं कि चार्टर्ड लेखापाल इसके लेखाओं की जांच करें। यह भी एक कारण है।

†**श्री दामानी** : इण्डियन एयरलाइन्स में सन्तुलन पत्र की लेखा परीक्षा चार्टर्ड अकाउटेंट नहीं करते हैं परन्तु ए० आई० आई० में ऐसा होता है। इसके क्या कारण हैं?

†**श्री मुहीउद्दीन** : यह सच है। एयर इण्डिया इण्टरनेशनल के लेखों की लेखा परीक्षा चार्टर्ड एकाउन्टेंन्टों द्वारा की जाती है जबकि इण्टरनेशनल एयरलाइन्स कारपोरेशन के लेखों की लेखा परीक्षा चार्टर्ड एकाउन्टेंन्टों द्वारा नहीं की जाती है। इसके लेखों की लेखा परीक्षा महालेखा परीक्षक करते थे। इसके बाद प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जाते हैं।

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : श्रीमान् मैं बताना चाहता हूं कि बड़े खेद की बात है कि श्री आल्वा ने आई० ए० सी० के सभापति तथा सामान्य प्रबन्धक का उल्लेख किया है। आप तथा उपाध्यक्ष महोदय दोनों ही बता चुके हैं कि सभा में किसी पदाधिकारी का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिये परन्तु फिर भी उन्होंने ऐसा किया। उनके बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि इन दोनों पदाधिकारियों ने आई० ए० सी० में बड़ा सुन्दर काम किया है। इसीलिये हमने सामान्य प्रबन्धक को सामान्य प्रबन्धक पद पर नियुक्त रखा और सभापति को भी इस पर तब तक अंशतः रखने पर मजबूर हुए जब तक दूसरा कोई योग्य उपलब्ध नहीं हो जाता है। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय खाद्य तथा कृषि मन्त्री ने मेरे इस सुझाव को स्वीकार कर लिया है और इस पदाधिकारी के उनके अधीन हो जाने पर भी उन्होंने आंशिक रूप में आई० ए० सी० का काम करने के लिये हमें दे दिया है।

हमारे पास ऐसे विमान हैं जिनकी तुलना अन्य विदेशी विमान सेवाओं से की जा सकती है। हम भी चाहते हैं कि सिडनी मार्ग पर बोइंग विमान चलया जायें परन्तु कठिनाई विमानों की उपलब्धता की है। सरकारी सहायता तथा ऋण के द्वारा हमें छः बोइंग विमान मिलने हैं जिनमें से २ १९६२ में हमें मिलेंगे। इसलिये कांस्टलेशन विमान ही हमें चलाने पड़े।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० प० सुब्बरायन]

हम प्रयत्न कर रहे हैं कि इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन में डकोटा विमानों के स्थान पर दूसरे विमान चलाये जायें। आन्तरिक सेवाओं में हमने पांच फौकर्स विमानों को आसाम की ओर चलाया है। हमारा विचार असैनिक विमान कारखाना बनाने का था परन्तु योजना आयोग ने विचार करने के बाद यह निर्णय किया कि देश में एवरो ७४८ कारखाना प्रतिरक्षा मन्त्रालय बना चुका है। इसलिये इसके परिणामों की हमें प्रतीक्षा करनी चाहिये। हमें सलाहकारों ने यह भी बताया कि कारखाने से लाभ तभी होता है जब उसमें कम से कम १५० विमान बनाये जायें और इनको विदेशों में बेचा जाये। हमारे निगम ने भी हमें आश्वासन दिया कि वह भारत में निर्मित विमानों को विदेशों में बेचने में सहायता देंगे। उन्होंने अपना यह आश्वासन पूरा भी किया है। परन्तु फिर भी उन्होंने यही उचित समझा कि एवरो ७४८ विमान का कार्य देखें और प्रतीक्षा करें।

†**श्री नारायणन् कुट्टिमेनन** : एवरो ७४८ सेवा में कब से चालू हो जायेंग ?

†**डा० प० सुब्बरायन्** : तिथि बताना तो सम्भव नहीं है। बहुत सी बातों पर विचार करना होता है तथा उसके बाद सरकार निर्णय करती है।

कुछ माननीय सदस्यों ने हड़तालों का उल्लेख किया। मैं बताना चाहता हूं कि हड़ताल के साथ साथ हड़ताल होने के कारणों पर भी विचार किया जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि सरकार तथा निगमों ने हड़ताल का सामना करने में उचित कदम उठाये हैं।

मैं श्री जे० आर० डी० टाटा की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने ए० आई० आई० की उन्नति करने में इतना काम किया। उन्होंने अभी भी इसकी जिम्मेदारी ले रखी है जिसके लिये मैं उनका आभारी हूं।

†**श्री नारायणन् कुट्टिमेनन** : माननीय मन्त्री ने तेल के बारे में नहीं बताया कि आई० ए० सी० तथा ए० आई० आई० सस्ते मूल्य पर तेल लेने का प्रयत्न क्यों नहीं करती है। गैर सरकारी सेवाओं को बन्द करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है। वाणिज्यिक चालकों को नौकर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है।

†**डा० प० सुब्बरायन्** : हम तेल प्रतिद्वन्द्वी मूल्यों पर खरीदते हैं। गैर सरकारी एयरलाइन्स को हम लाइसेंस देते हैं जिससे वह उस काम को कर सकें जो हम नहीं कर सकते हैं। यह एयर लाइनें खतरा उठाती हैं और काम करती हैं जबकि हम खतरा उठाने को तैयार नहीं हैं। इसलिये हम इनका स्वागत करते हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मैं डा० सुब्बरायन् के इस कथन से पूरी तरह सहमत हूं कि इन निगमों ने बड़ा सुन्दर काम किया किया है परन्तु मुझे इसका बड़ा खेद है कि इन निगमों को अब भी सहायता दी जाती है। बी ओ० ए० सी० को लीजिये। उसने १२ प्रतिशत लाभ दिखाया है। मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री इस बात को समझें और इसकी जांच करें।

इन दोनों निगमों के निदेशक बोर्ड अलग अलग तथा स्वतन्त्र बनाये जाने चाहियें। माननीय मन्त्री को ए० आई० आई० तथा आई० ए० सी० की नियुक्तियों की जांच करनी चाहिये। यदि वह इनकी जांच करायेंगे तो उनको बड़ी अजीबो गरीब बातों का पता लगेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

मेरा यह भी सुझाव है कि निगमों की जांच करने के लिये एक संसदीय समिति बनाई जानी चाहिये जो इनमें सुधार के सुझाव दे ।

मेरा पूरा विश्वास है कि यदि इन कमियों को दूर कर दिया जाये तो हमारी विमान सेवायें विश्व की सेवाओं से अच्छा काम कर रही हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"कि यह सभा इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन और एयर इण्डिया इंण्टरनेशनल कारपोरेशन के वर्ष १९५८–५९ के वार्षिक प्रतिवेदनों पर, जो २१ दिसम्बर, १९५९ को सभा पटल पर रखे गये थे, विचार करती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"कि यह सभा इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन और एयर इण्डिया इण्टरनेशनल कारपोरेशन के वर्ष १९५९-६० के वार्षिक प्रतिवेदनों पर, जो १४ दिसम्बर, १९६० को सभा पटल पर रखे गये थे, विचार करती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, २६ अप्रैल, १९६१/६ वैशाख, १८८३ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

मंगलवार, २५ अप्रैल, १९६१

५ वैशाख, १८८३ (शक)

	विषय	**पृष्ठ**
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	६११५—३९
तारांकित प्रश्न संख्या		
१७११	रामगंगा नदी परियोजना	६११५—१७
१७१२	गैर-सरकारी नर्सिंग होम और उपचार-गृहों के बारे में विधान	६११७–१८
१७१४	गंडक परियोजना	६११८—२०
१७१५	नई दिल्ली के मुख्य डाकघर में "टैलर प्रणाली"	६१२०–२१
१७१६	अफ्रीकी देशों के लिए असैनिक विमान चालक	६१२१–२२
१७१९	जर्मनी से डीजल रेलवे इंजन	६१२२—२६
१७२०	गन्ने के रस को परिष्कृत करने की विधि	२१२६–२७
१७२१	दामोदर घाटी निगम के मुख्य कार्यालय का स्थानान्तरण	६१२७–२८
१७२३	ढिलवां में रेलवे के लकड़ी के डिपो में अग्निकांड की जांच	६१२९–३०
१७२५	दिल्ली में तपेदिक के रोगियों के लिये चिकित्सा सुविधायें	६१३०—३३
१७२६	उत्तर रेलवे में विभागीय भोजन–व्यवस्था	६१३३–३४
१७२७	देहरादून के निकट रेलवे लाइन पर से फिश-प्लेटों का हटाया जाना	६१३४–३५
१७२८	चावल का उत्पादन	६१३५–३६
१७२९	राज्यों में सड़क परिवहन निगम	६१३६–३७
१७३०	दिल्ली और मद्रास के बीच विशेष गाड़ियां	६१३८–३९
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	६१३९—७८
तारांकित प्रश्न संख्या		
१७१३	परदीप पत्तन	६१३९
१७१७	हिमाचल प्रदेश में पंचायती सम्मेलन	६१४०
१७१८	हुगली नदी में मिट्टी का जमा हो जाना	६१४०
१७२२	खाद्यान्न के नौवहन का भाड़ा	६१४०–४१
१७२४	रेलवे डाक सेवा के जौन	६१४१

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित प्रश्न संख्या

३७८३	दिल्ली में सड़क दुर्घटनाएं . .	६१४१—४३
३७८४	चंडीगढ़ में टेलीफोन कनैक्शन . . .	६१४३
३७८५	उत्तर रेलवे के बीकानेर डिवीजन में भ्रष्टाचार के मामले	६१४३
३७८६	दिल्ली जंकशन के निकट "डायमंड क्रासिंग"	६१४३—४४
३७८७	महाराष्ट्र में कृषि विकास	६१४४
३७८८	महाराष्ट्र में ग्राम्य जल संभरण तथा स्वच्छता योजनायें	६१४४
३७८९	कोल्हापुर के लिये जल विस्सारण योजना .	६१४४
३७९०	पंजाब में डाक तथा तार घर .	६१४४—४५
३७९१	पंजाब में डाक तथा तार घर .	६१४५
३७९२	पंजाब में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	६१४५
३७९३	हिमाचल प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	६१४५
३७९४	भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के उप प्रधान	६१४५—४६
३७९५	मछुवों में परिवार नियोजन .	६१४६
३७९६	डाक तथा तार विभाग में स्टेनोग्राफर .	६१४६
३७९७	उर्वरक परियोजनायें . .	६१४७
३७९८	भारत की आहार सम्बन्धी एटलस	६१४७
३७९९	उड़ीसा में मानसिक रोगों का अस्पताल . .	६१४८
३८००	मौलाना आजाद मैडिकल कालेज, दिल्ली .	६१४८
३८०१	दामोदर घाटी निगम अधिनियम के संशोधनों का प्रारूप .	६१४९
३८०२	वृहद कलकत्ता के लिये जल संभरण तथा जल निस्सारण .	६१४९
३८०३	दिल्ली में ट्रकों का अड्डा . . .	६१४९
३८०४	हिमाचल प्रदेश में फलों के लिये पेटियां बनाने की लकड़ी .	६१४९—५०
३८०५	हिमाचल प्रदेश में पौधशालायें	६१५०
३८०६	हिमाचल प्रदेश में सिंचाई सम्बन्धी सर्वेक्षण . .	६१५०—५१
३८०७	उड़ीसा में गन्ने की फसल	६१५१—५२
३८०८	परदीप पत्तन से जापान को लोह-अयस्क का निर्यात . .	६१५२
३८०९	छोटे पैमाने के एककों से रेलवे की आवश्यकताओं की खरीद .	६१५२—५३
३८१०	तिलहन की गहन खेती के लिये "पैकेज प्रोग्राम" .	६१५३
३८११	अंगूरों के बाग .	६१५३—५४

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--जारी

अतारांकित प्रश्न संख्या

३८१२	त्रिपुरा में डूमबुर जल-विद्युत परियोजना . .	६१५४–५५
३८१३	लैवल क्रासिंग . . .	६१५५
३८१४	पंजाब में आयात किया गया गेहूं . . .	६१५५–५६
३८१५	पंजाब में मत्स्यपालन की विकास . . .	६१५६–५७
३८१६	अर्जन करके भुगतान का योजना . . .	६१५७–५८
३८१७	व्यास नियंत्रण बोर्ड . .	६१५८
३८१८	तुगलकाबाद मार्शलिंग यार्ड . .	६१५८–५९
३८१९	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती . .	६१५९
३८२०	मद्रास सर्किल में डाक तथा तार विभाग के क्लर्की के पदों के लिए विभागीय परीक्षा . . .	६१५९
३८२१	इम्फाल नगर का विकास . .	६१६०
३८२२	इम्फाल में क्षय रोग के क्लिनिक .	६१६०
३८२३	मनीपुर में भूराजस्व की बकाया	६१६०
३८२४	भाखड़ा में दाये किनारे का बिजली घर .	६१६१
३८२५	पंजाब में भाण्डागार . .	६१६१
३८२६	पंजाब में गेहूं . . .	६१६१
३८२७	प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों का प्रशिक्षण .	६१६१
३८२८	फाइलेरिया . .	६१६२
३८२९	ोशनपुर में पवन चक्की . .	६१६२
३८३०	अगरताला में एक बिजली मिस्त्री की मृत्यु . .	६१६३
३८३१	अगरतला में विद्युत संभरण व्यवस्था में खराबी . .	६१६३
३८३२	त्रिपुरा में सामान्य सर्वेक्षण का . .	६१६४
३८३३	त्रिपुरा में चावल का मूल्य	६१६४
३८३४	चिकित्सा विज्ञान में स्त्रियों की शिक्षा . .	६१६४–६५
३८३५	उड़ीसा में चावल और धान की कीमत . . .	६१६५–६६
३८३६	विदिशा (मध्य प्रदेश) में जी० टी० एक्सप्रैस का ठहरना .	६१६६
३८३७	सेन्ट्रल पोस्टल सर्किल	६१६६–६७
३८३८	भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था में अनुसंधान पदाधिकारियों का त्यागपत्र . .	६१६७

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--जारी

अतारांकित प्रश्न संख्या

३८३९	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था	६१६७–६८
३८४०	उड़ीसा में बिजली विभाग	६१६८
३८४१	उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड	६१६८–६९
३८४२	हिमाचल प्रदेश में ग्राम सहायकों का प्रशिक्षण	६१६९
३८४३	उड़ीसा में सिंचाई	६१६९
३८४४	उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में डाक तथा तार की सुविधायें	६१७०
३८४५	पूर्व रेलवे में कानून निरीक्षक	६१७०–७१
३८४७	गुप्त रोगों का निवारण	६१७१–७२
३८४८	ेरूपलयम विजयवाड़ा लाइन को दुहरा बनाना	६१७२
३८४९	कृषकों को बिजली का सम्भरण	६१७२–७३
३८५०	सिंचाई वाली जमीन	६१७३
३८५१	दिल्ली की किशनगंज बस्ती के निकट कोयला 'साइडिंग'	६१७३–७४
३८५२	रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल, रतलाम	६१७४
३८५३	रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल, रतलाम	६१७४
३८५४	पश्चिम रेलवे पर विभागीय भोजन व्यवस्था	६१७५
३८५५	डाक-निरीक्षकों के लिए परीक्षा	६१७५
३८५६	दिल्ली दुग्ध योजना	६१७५–७६
३८५७	रेलवे में विज्ञापन	६१७६–७७
३८५८	विशाखापत्तनम में ेलीफोन	६१७७
३८५९	रक्त दान	६१७८
३८६०	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की सामान भाड़े की दरें	६१७८

३. अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ६१७८–७९

श्री प्र० चं० बरुआ ने भाखड़ा बांध के बिजली-घर में हाल की दुर्घटना की ओर, जिसके परिणामस्वरूप दो कामगरों की मृत्यु हो गई और अन्य बहुत से कामगर जख्मी हुए, सिंचाई और विद्युत् मंत्री का ध्यान दिलाया ।

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) ने इस बारे में एक वक्तव्य दिया ।

PLS 41. LV. 53 61.
125

© १९६१ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवा संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र ६१७९

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गये :--

(१) दामोदर घाटी निगम अधिनियम, १९४८ की धारा ४५ की उप-धारा (५) के अन्तर्गत वर्ष १९५९-६० के लिए दामोदर घाटी निगम के वार्षिक प्रतिवेदन और उस पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(२) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ७ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची १ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १५ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५३५ की एक प्रति ।

अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (सामान्य) १९५८-५९ के बारे में वक्तव्य ६१७९

वित्त उपमंत्री (श्री ब० र० भगत) ने १९५८-५९ के (सामान्य) बजट के बारे में अधिक अनुदानों की मांगों को दिखाने वाला एक विवरण उपस्थापित किया ।

अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (रेलवे) १९५८-५९ के बारे में वक्तव्य ६१८०

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) ने १९५८-५९ के (रेलवे) बजट के बारे में अधिक अनुदानों की मांगों को दिखाने वाला एक विवरण उपस्थापित किया ।

लाभ-पदों संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित ६१८०

तीसरा प्रतिवेदन उपस्थापित हुआ ।

विधेयक--पारित ६१८०-९७

(१) गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री दातार ने, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में उड़ीसा राज्य विधान सभा (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, १९६१ पर विचार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया । खंडवार विचार के बाद विधेयक पारित किया गया ।

(२) वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) ने औषधि और प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) संशोधन विधेयक पर विचार के लिए प्रस्ताव रखा । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंडवार विचार के बाद विधेयक संशोधित रूप में पारित हुआ ।

उड़ीसा अनुदानों की मांगें, १९६१-६२ . . . ६१९७--६२०८

उड़ीसा राज्य के १९६१-६२ के आयव्ययक के बारे में अनुदानों की मांगों पर चर्चा शुरू हुई । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

विषय **पृष्ठ**

इंडियन एयरलाइन्स निगम तथा एयर इंडिया इंटरनैशनल कारपोरेशन की वार्षिक प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव ६२०८--२१

सर्वश्री दी० चं० शर्मा तथा रामकृष्ण गुप्त ने इंडियन एयरलाइन्स निगम और एयर इंडिया इंटरनैश्नल कारपोरेशन के वार्षिक प्रतिवेदनों पर प्रस्ताव प्रस्तुत किये । श्री दी० चं० शर्मा ने वाद विवाद का उत्तर दिया और दोनों प्रस्ताव स्वीकृत किये गये ।

बुधवार, २६ अप्रैल, १९६१/६ वैशाख, १८८३ (शक) के लिए कार्यावलि

उड़ीसा राज्य के १९६१-६२ के बजट के सम्बन्ध में अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा और मतदान और निम्न विधेयक पर विचार तथा उन्हें पारित करना :

(१) अत्यावश्यक (संशोधन) विधेयक ।

(२) विधि व्यवस्थायी विधेयक संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ।

GMGIPND—LS. III—555 (Ai) LSD.— 29-6-61—125.

औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) संशोधन विधेयक . ६१८५–९७
विचार प्रस्ताव ६१८५–९७
श्री ब० रा० भगत ६१८५–८६, ९२
श्री वें० प० नायर ६१८६–८७
डा० सुशीला नायर . ६१८८
डा० मेलकोटे . ६१८८
श्री वारियर ६१८८–८९
श्री राधेलाल व्यास ६१८९–९०
श्री श्रीनारायण दास . . . ६१९१
खंड २, ३ और १ . . . . ६१९२
पारित करने का प्रस्ताव . . ६१९२–९७
श्री ब० रा० भगत ५१९३–९६
श्री वें० प० नायर . . . ६१९६–९७
उड़ीसा अनुदानों की मांगें १९६१–६२ . . . . ६१९७–६२०८
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही . . ६२०३–०५
डा० सामन्त सिंहार . . ६२०६–०८
श्री बै० चं० मलिक ६२०८
श्री ब० रा० भगत . . . . .
इंडियन एयर लाइंस कारपोरेशन तथा एयर-इंडिया इंटर नेशनल कारपोरेशन की वार्षिक प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव . . . ६२०८–२१
श्री दी० चं० शर्मा ६२०८–०९
श्री राम कृष्ण गुप्त ६२०९–१३
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन . . . ६२१३–१४
श्री हरिश्चन्द्र माथुर ६२१४–१५
श्री सिंहासन सिंह ६२१५
श्री न०रा० मुनिस्वामी ६२१५
श्री प्र० चं० बरुआ ६२१५–१६
श्री दामानी ६२१६
श्री मुरारका ६२१६
श्री जोशिम आल्वा . . . ६२१६–१७
श्री मुहीउद्दीन . . . ६२१७–२०
डा० पे० सुब्बरायन ६३२०–२१
उड़ीसा की अनुदान की मांगों के बारे में . . . .
दैनिक संक्षेपिका . . ६२२२–२७